हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में, विधान सभा भवन, तपोवन , धर्मशाला176215- में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

10.12.2014/1100/ Negi/Jt1

प्रश्न संख्याः .1380

श्री रविन्द्र सिंह :अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है इसमें माननीय वन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इसके अन्तर्गत कुल 1 जनवरी,2013 से 31 अक्तूबर, 2014 तक कुल 5051 मामले अवैध कटान के दर्ज़ किए गए। जिनमें से 4808 मामलों में जांच की गई 3906 ,मामले निपटाए गए। विभाग के पास 1033 मामले लम्बित हैं, पुलिस के पास 80 मामले लम्बित हैं और न्यायालय के पास 32 मामले लम्बित हैं। अभी तक कुल 1145मामले शेष हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये मामले 31 अक्तूबर, 2014 तक के हैं। एक तो जो 1145 मामले शेष बताए गए हैं , इनकी अद्यतन स्थिति क्या है ? पुलिस के पास जो 80मामले लम्बित हैं उनकी पोजिशन क्या है ? न्यायालय में जो 32 मामले हैं , ये कब से लम्बित पड़े हुए हैं? जो आपने यहां पर 5051 मामले दर्शाए हैं उनमें से 4808 मामलों में जांच चल रही है बाकि 243 मामले बीच में से कहां गायब हो गए? दूसरा, 31 अक्तूबर, 2014 से लेकर अब तक जो नए मामले ध्यान में आए, चाहे तारादेवी का विषय है और चाहे चम्बा जिले में हुए नए अवैध कटान का विषय है, इन मामलों की स्थिति क्या है ? इन दो महीनों के अन्तराल में कितने और मामले ऐसे दर्ज़ किए गए हैं , क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी अगर आपके पास यह सूचना है तो बताइये।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्वैस्टीगेशन जारी है और यह डिटेलड सूचना अभी मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य को यह सूचना उपल्बध करवा दी जाएगी।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय ,यह मामला बार-बार उठ रहा है। अभी हाल ही में जब यह विषय यहां पर उठा, विशेषकर चम्बा का, वहां पर यह घटना सितम्बर, अक्तूबर या नवम्बर में यह घटी है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एफ.आई.आर. दर्ज़ हुई है। यहां पर इन्होंने 10 पेड़ माने थे लेकिन वो 101 पेड़ निकले।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पास एक सी.डी. और साथ में एक पैन-ड्राईव इस माननीय सदन में दिखाने का अनुरोध किया। कल , मैंने यह मीडिया को भी जारी कर दी है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

10.12.2014/1105/ यूके/जेटी/1
प्रश्न संख्या---1380---जारी---
श्री रविन्द्र सिंह रवि----जारी ----

कल मैने मीडिया को भी जारी कर दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मीडिया को दी है उस सी0डी0 को यहां फिर दिखाया जाए ,माननीय मुख्य मंत्री जी यह अवैद्य कटान का मामला है, यह भी इसी के अन्तर्गत आता है। मैं उस प्रश्न से बाहर नहीं जा रहा हूं। तो हमने जो तथ्य आपके सामने लाया है और उसको दिखाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है इतने सारे तथ्य सामने है तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हो जाता। जब यह सारी सूचना मैने आपके समक्ष रख दी है, कल मीडिया को जारी कर दी है तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस सी0डी0 को मैने यहां ले कर दिया है, अध्यक्ष महोदय के लैपटॉप में भी डाल दिया है उसको यहां पर इस माननीय सदन को, अधिकारियों को और मीडिया को दिखाया जाए कि यह मामला क्या है ?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वीडियों को कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप दिखाना चाहते थे उनको आप दिखा चुके हैं। उसको सदन में दिखाने की जरूरत नहीं है। This is not a cinema hall, nor an entertainment centre. Let it be clear. ..(interruption)..

श्री रविन्द्र सिंह : सर, सारे जंगल के जंगल तबाह हो गए हैं।

मुख्य मंत्री: कोई जंगल तबाह नहीं हुए है। आईसोलेटिड इंसिडैंट है, आप बात को बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं। जंगल तब तबाह हुए थे जब कभी हुए थे। उसके बाद कोई जंगल तबाह नहीं हुआ है। कई आईसोलेटिड इंसिडैंट्स होते हैं। Whenever a matter comes to the attention of the Government, Government has taken action against that and we will take action against it. और दूसरी बात

मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक ये केसिज हैं ,माननीय वन मंत्री जी ने उनका जवाब दे दिया है। ये केसिज कोर्ट में चल रहे हैं, कई केसिज ऐसे हैं जो under investigation हैं। जैसे आपने तारादेवी का जिक्र किया है या शिमला के अन्दर मछी वाली कोठी का इंसिडैंट है , they are under investigation. After investigation, they will go to court. अभी तो यह मामला अंडर इनवेस्टिगेशन है उसके बाद ही कोर्ट में जायेगा और जो मामले माननीय कोर्ट में हैं उसके बारे में

10.12.2014/1105/ **यूके/जेटी**/2

माननीय वन मंत्री जी ने पूरी सूचना दे दी है। इससे आप यह मत समझिए कि सरकार इसके बारे में जागरूक नहीं है . We are very much concerned about the preservation of forests and we will take every stringent step to see that if anything wrong is done, they are punished and such things do not occur in future.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं पूछ रहा था माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसका जवाब दे दिया। यह जो प्रश्न का जवाब आया है यह 31 अक्तूबर तक का है। और तारा देवी जंगल कटान का मामला है उसमें 470 पेड़ है वह सूचना उसके बाद की है। अध्यक्ष महोदय, मैने पूछा था कि 31 अक्तूबर के बाद आज तक की सूचना दी जाए। जब से यह सत्र लगा है, 5 दिसम्बर से आज तक कितने और मामले आपके ध्यान में आए हैं उसमें तारादेवी जंगल कटान का मामला भी है क्योंकि वह कटान उसके बाद में हुआ है। आप उसका जवाब तो दे रहे हैं लेकिन चम्बा का जवाब क्यों नहीं दे रहे ?

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी ने बता दिया है कि इन सारे केसों की इनवेस्टिगेशन हो रही है जब सारी रिपोर्ट आयेगी तो सूचना दे दी जायेगी।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने यह पूछा है कि इन ढाई महीनों में ऐसे और कितने मामले सामने आए हैं उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी इस सदन को दे दें। हमारा जैसे चम्बा का केस है वह पहले का केस नहीं परसों उसकी एफ0आई0आर0 भी दर्ज हो गयी है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि वे सूचना दे देंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना दे रहा हूं। उसको आप क्यों नहीं मानते उसको आप यहां पर दिखाइए सभी को। सूचना आपके पास पड़ी हुई है। सी0डी0 आपके पास पड़ी है। पैन ड्राईव आपके पास पड़ा है। आप दिखाते क्यों नहीं सबको?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न में के जवाब में 2014-12-31तक की पूर्ण सूचना दे दी गयी है उसके बाद की अवधि की सूचना अलग से दी जा सकती है। चम्बा के मामले में पहले ही सदन में चर्चा हा चुकी है। The case is under investigation. उससे पहले हम हाऊस में अवगत नहीं करवा सकते क्योंकि केस इनवेस्टिगेशन में

10.12.2014/1105/ यूके/जेटी/3

है। ऐसे कैसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप अलग से प्रश्न करें , we will give you response.

एस0एल0एस0 द्वारा जारी------

10.12.2014/1110/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 1380 ...क्रमागत

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अवैध कटान के जो लगभग 5100 मामले इन्होंने बताए हैं, जो पिछले 31 अक्तूबर तक हुए हैं; क्या तारादेवी और चम्बा के पेड़ कटान के मामले भी इनमें सम्मिलित है या नहीं है? (व्यवधान)

मुख्य मंत्री : नहीं है। आप मेरी बात सुनिये। I have right to intervene. आपका प्रश्न ही गलत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष : भारद्वाज जी, आप बैठ जाइए। Let him reply. मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुन लें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री ने अपने उत्तर में केवल 31 अक्तूबर तक के मामले दिए हैं। जो मामला 31 अक्तूबर के बाद हुआ है वह इसमें कैसे शामिल हो सकता है? यह तो कॉमनसैंस की बात है। आपको ऐसा प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : आप मेरा प्रश्न तो सुन लें। मेरा प्रश्न यह है कि तारादेवी में जो वन कटान हुआ है इसकी एफ. आई. आर. तो 21 नवम्बर के बाद हुई है लेकिन जो 477 पेड़ कटे हैं यह 31 अक्तूबर से पहले कटे हैं। क्या इस बारे में कोई डैमेज रिपोर्ट इन्होंने बनाई है और जो केस इन्होंने बनाया है उसके अंतर्गत यह मामले आते हैं या नहीं आते हैं ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इन्होंने लगभग 4800 केस 31 अक्तूबर तक कंपाऊंड कर दिए हैं, उन 4800 पेड़ों के कटने पर दोषियों को क्या-क्या सजा दी गई है ? अगर डैमेज रिपोर्ट काटी गई है तो उसमें कुल कितना पैसा रिकवर हुआ और उसमें क्या पैनल्टी लगी है ? एफ. आई. आर. ये अब दर्ज़ कर रहे हैं। चम्बा की एफ . आई . आर . भी इन्होंने तब की जब यह मामला सदन में उठा जबकि यह पेड़ तो उससे पहले कट चुके हैं। क्या इन्होंने डैमेज रिपोर्ट काटी है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष : जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया, उसके बाद कार्रवाई हुई है। अब इसमें इनवैस्टिगेशन होनी है और तब तक तो आप इंतजार कर ही सकते हैं। 31अक्तूबर तक की सूचना मंत्री जी ने दे दी है। (व्यवधान)

10.12.2014/1110/SLS-AG-2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया है और मैंने सी. डी. और पैन ड्राईव भी आपको दे दी है। वह तो आप... (व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सी. डी. और पैन ड्राईव को हाऊस में चलाना उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री : सी. डी. और पैन ड्राईव के बारे में यहां चर्चा हो चुकी है जबकि ये बार-बार सी. डी. और पैन ड्राईव की बात कर रहे हैं। Does it mean to say that he is a modern Sharlok Homes (detective)? You have said it. We have taken note of it. You have said it here and outside in the Press. We have taken note of it. Action is being taken.

Speaker: Please be calm. Just a minute. ...(Interruption)... आप सब बैठ जाएं। रविन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाएं। मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) शोर मचाने से कोई समाधान नहीं होगा। समाधान तब होगा अगर आप एक-एक करके बोलें। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सी. डी. आपने पहले ही काफी लोगों को दिखा दी है और अब उसको इस सदन में दिखाना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कमिट किया था कि मैं सी . डी. के बारे में रूलिंग दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि सदन में इस सी . डी. का चलाना उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

Chief Minister: Sir, I take objection. ये (विपक्ष के सदस्य) कह रहे हैं कि ये सारे वन माफिया बैठे हुए हैं। I take objection to these words. यह गलत बात है। (व्यवधान) यह गलत बात है। (व्यवधान)

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे और सत्तापक्ष के सभी सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष : मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया शांत हो जाएं। (व्यवधान) कृपया शांत रहें।

जारी ...गर्ग जी

10/12/2014/1115/RG/AG/1

प्रश्न सं. 1380----क्रमागत

-------(व्यवधान)-------

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

मुख्य मंत्री : बैमलोई का वन माफिया कौन है ? उनको मुर्दाबाद करो। You cannot browbeat the House.

(पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे)

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से इनसे अपील करना चाहते हैं कि हम इनके हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं और हम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। कृपया ये सदन को चलने दें। आपसे (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) मेरा आग्रह है कि कृपया बैठ जाएं।
अध्यक्ष : आप लोग कृपा करके बैठ जाएं। --------(व्यवधान)------कृपया आप लोग बैठ जाएं।

(विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

Chief Minister: Sir, I want to make a submission. अध्यक्ष महोदय, इस किस्म का rowdyism हमने कभी इस विधान सभा में ऐसा नहीं देखा है और यह rowdyism दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज कह रहे हैं कि सी.डी. दिखाओ ,कल कहेंगे कि सारे documents_दिखाओ। ऐसा ही चलता रहेगा। This is wrong thing. Their demand to show any CD/picture should have been rejected outright. If they want to show it, they can show it somewhere. Let people see to it. We are not afraid of that. They should not make mockery of this House. They are making mockery of this House.

Speaker: I have already rejected. That CD cannot be shown here.

Chief Minister: They are taking disadvantage of your kindness.

10/12/2014/1115/RG/AG/2

Speaker: I am taking action against them and that no CD will be displayed in the House.
10/12/2014/1115/RG/AG/3

प्रश्न सं. 1381

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है वह प्रश्न से मेल नहीं खाती है। मैंने जो प्रश्न किया है वह यह है कि 'क्या यह सत्य है कि बैजनाथ विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत बिनवा खड्ड में रेलवे पुल के पास खनन से बांध का स्तर नीचे आने से जमीन बंजर हो चुकी है तथा रेलवे पुल व एन.एच. के पुल को भी खतरा बढ़ गया है?' वहां जो खनन हो रहा है उसको रोकने हेतु मैंने प्रश्न किया था ताकि वहां के जो किसान हैं उनकी कूहलें प्रभावित न हों और उनकी जमीन बंजर न हो। वहां जिन किसानों की जमीन बंजर हुई है उन्होंने तो मेरे घिराव की चेतावनी परसों के दैनिक समाचार-पत्र पंजाब केसरी में दे दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां खनन बन्द हो और हम कूहल का निर्माण कर सकें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक स्थलों, ऐतिहासिक मंदिरों ,सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य योजनाओं, पुलों एवं भवनों के निकट खनन करने पर पूर्णता रोक है। इनके 300 मीटर के दायरे में कोई खनन नहीं कर सकता। जिस क्षेत्र की चर्चा ये कर रहे हैं यहां पर कोई वाहन द्वारा तो खनन नहीं हो रहा, लेकिन यह पाया गया है कि वहां घोड़े और खच्चरों वाले यदाकदा प्रयास करते हैं------------जारी

प्रश्न एम.एस. द्वारा जारी

10/12/2014/1120/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः1381 क्रमागत----

उद्योग मंत्री जारी-----------

घोड़े और खच्चर वाले यदाकदा प्रयास करते हैं कि वे इस क्षेत्र में माइनिंग करें। हमने उनके अभी तक 18 चालान किए हैं और समय-समय पर हम इस जगह की जांच भी करते रहते हैं। मैंने भी कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा था कि कुछ लोगों ने यह कहा है कि हम इस सिलसिले में स्थानीय विधायक का घेराव करेंगे । मैं माननीय विधायक को अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह आश्वास्त करवाना चाहता हूं कि तत्काल हमारे विभाग की टीम मौके पर जाएगी और पता लगाएगी कि कौन से लोग ऐसे हैं जो बार-बार नियम तोड़ते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके।

प्रश्न समाप्त/

10/12/2014/1120/MS/JT/2

प्रश्न संख्याः 1382

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री सुरेश कुमार।

अनुपस्थित।

10/12/2014/1120/MS/JT/3

प्रश्न संख्याः 1383

Shri Ravi Thakur: Hon. Speaker, Sir, I would like to ask the Hon. IPH Minister that is it a fact that concrete kuhls constructions are damaged by minus degree temperature and leakage obstructs the supply of water? Is it also a fact that round full pipes are cause for obstruction of water supply as the water freezes due to minus temperature?

Is it a fact that Chokhang-Sumnam Kuhl construction is under process since last more than 35 years and crores of rupees have been spent on it? Is Chokhang-Sundhwari Kuhl under construction since 1972 and Sumnam-Khandip since undivided Punjab? Does the Department propose to introduce new technique or some kind of study by foreign experts so that these constructions are done in due period of time to avoid escalation of cost and ensure timely completion as there are similar other kuhls also lying pending? Also, does the Department have blasting material stock and magazine in reserve to carry out the blasting works in tribal area as on ground the IPH staff has always complained about its non-availability?

Irrigation & Public Health Minister: Mr. Speaker, Sir, I am sorry to say I could not understand properly, but I would like to explain. The Department is providing cement concrete lined kuhls and HDPE pipes in irrigation schemes in tribal areas. HDPE pipes उनको पॉलीथीन से भी हम कर सकते हैं। No irrigation schemes have been proposed with half cut material i.e. half cut Reinforced Cement Concrete (RCC) pipes in District Lahaul & Spiti. Laying of half cut RCC pipes which have better hydraulic

characteristics and better quality control during manufacturing have the following disadvantages:

1. The alignment of irrigation channel in hilly area does not allow laying of RCC half cut pipes.

10/12/2014/1120/MS/JT/4

2. It is difficult to carry the half cut RCC pipes to far flung areas due to its heavy weight.
3. The half cut RCC pipes are prone to damage during carriage.
4. The use of RCC pipes has been discouraged in irrigation schemes in other parts of the State due to leakage.

Because of above reasons, the half cut RCC pipes are not proposed for use in irrigation kuhls in Lahaul & Spiti district. These are the issues which, I am sure, Hon. Member will be able to understand.

Remodelling of Flow Irrigation Scheme Chokhang-Sindhwari has been administratively approved vide Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti letter No. 1962-69 dated 09.7.2014 for Rs. 77,35,750/- for irrigating 44.53 hectares of land. During the current financial year there is a budget provision of Rs. 1,000/-. The tenders have been opened on 10.11.2014 and are under process. Three years construction period has been incorporated in the approved estimate. Efforts shall be made to complete the scheme by July, 2017 subject to availability of funds.

Construction of Sumnam, Malang & Khandip Kuhl appears as MLA Priority scheme for 2014-15 and DPR is under preparation. Efforts shall be made to expedite submission of the DPR to the Planning Department. I hope Hon. Member will understand the whole thing.

(Concluded)

जारी श्री जे0के0/जे0टी-----

10.12.2014/1125/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्या:1384

अध्यक्षः श्री रविन्द्र सिंहः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1385

अध्यक्षः श्री गोविन्द राम शर्माः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1386

अध्यक्षः श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1387

अध्यक्षः श्री महेश्वर सिंहः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1388

अध्यक्षः श्री रिखी राम कौंडलः अनुपस्थित।

10.12.2014/1125/**जेके**/**जेटी**/2

प्रश्न संख्याः1389

अध्यक्षः श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी वर्षा शालिकाएं हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनको सुधारने का प्रबन्ध किया जाए। नई वर्षा शालिकाएं बनाने की योजना तो नहीं है लेकिन मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश नेशनल हाई-वे के साथ लोक निर्माण विभाग वर्षा शालिकाएं नहीं बना सकता है। न्यू शिमला से जो बाई पास ढली को गया है उसमें पंथाघाटी, मैहली, मल्याणा और भट्टाकुफर में किसी भी घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक भी वर्षा शालिका नहीं है। इसको जरूर विचार में रखा जाए और इनके लिए अगले वित्त वर्ष में बजट का प्रावधान करके एन0एच0 को डायरैक्शन दी जाए कि यहां पर वर्षा शालिका जनहित में बनाई जाए। अगर जमीन की उपलब्धता की दिक्कत आ रही है तो उसमें हम लोग जरूर मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।

10.12.2014/1125/**जेके**/**जेटी**/3

प्रश्न संख्याः1390

अध्यक्षः श्री ईश्वर दास धीमानः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1391

अध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंहः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1392

अध्यक्षः श्री इन्द्र सिंहः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1393

अध्यक्षः श्री सुरेश भारद्वाजः अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः1394

अध्यक्षः श्री रणधीर शर्माः अनुपस्थित।

10.12.2014/1125/**जेके/जेटी**/4

प्रश्न संख्याः1395

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है वहां पर सिंचाई हेतु जो कूहलें हैं उनको चलाने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है तो उन कूहलों का रख-रखाव कैसे होगा ,यह सोचने की बात है ? मैं मंत्री महोदया से गुजारिश करता हूं कि इसके बारे में वे अपना उत्तर इस माननीय सदन में दें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि यहां पर माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पास सिंचाई की स्कीम नहीं है। सिंचाई की स्कीम बैजनाथ चुनाव क्षेत्र से पालमपुर के लिए मैंटिनैंस हेतु 190 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत्त हैं। इसमें सारी केटेगरी शामिल हैं। इसमें 161 रैगुलर बेलदार हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

10.12.2014/1130/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1395 क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

8फीटर्ज़ हैं और 12 पम्प ऑपरेटर्ज़ भी हैं। इसी तरीके से 10 चौकीदार और 3 मिस्त्री हैं। एक मेट है। इसके अलावा 150 जल रक्षक हैं जिनको वाटर गार्डस कहते हैं। वे पंचायत के द्वारा डिप्लॉयड हुए हैं। हर पंचायत के पास उनको पैसा दिया जाता है। आई0पी0एच0 के द्वारा दिया जाता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि वहां पर कोई नहीं लगाया है। यह सम्भव नहीं है। मैंटीनैंस एंड इरीगेशन स्कीम में सीज़नल वर्क है और वर्कर्ज़ शिफ्ट होते हैं from water supply scheme to irrigation scheme. जहां ज़रूरत होती है वहां जाते हैं और जहां नहीं होती है तो वहां नहीं जाते। वाइस-वरसा डिपैंड करता है। डिपार्टमैंट की फील्ड की ज़रूरत है, उसके मुताबिक शिफ्ट करते हैं। आपकी 16 फ्लो इरिगेशन स्कीम्ज़ हैं, कूहल हैं, सब बैजनाथ में हैं। **मैं**

आपको रेगुलर बेलदार की डिप्लॉयमैंट की लिस्ट दे दूंगी। आप इसको पढ़ लीजिए। एक-एक नम्बर को देखना मुश्किल होगा पर मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगी। धन्यवाद।

प्रश्न समाप्त

10.12.2014/1130/SS-AG/2

अध्यक्षः अगला प्रश्न (1396), श्री सुरेश कुमार, अनुपस्थित।
अगला प्रश्न (1398), श्री रविन्द्र सिंह, अनुपस्थित।
अगला प्रश्न (1399), श्री सतपाल सिंह सत्ती, अनुपस्थित।
अगला प्रश्न (1400), श्री गोविन्द राम शर्मा, अनुपस्थित।
अगला प्रश्न (1401), श्री महेश्वर सिंह, अनुपस्थित।
अगला प्रश्न (1402), श्री रिखी राम कौंडल, अनुपस्थित।

10.12.2014/1130/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 1403

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा, जैसे कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 25 म्युनिसिपल कारपोरेशन वार्डस में से 12 वार्डस में चिल्ड्रन पार्कस है। शेष 13 स्थानों पर उचित स्थान देखकर पार्क के लिए प्रॅपोजल बनाया जाए।

साथ में जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि कैलस्टन लाँगवुड एरिया में ही 5 पार्कस हैं। मंत्री जी का घर भी उसी एरिया में है लेकिन उनके रख-रखाव के नाम पर कुछ नहीं है। वहां पर घास तक नहीं उगी है। यह काम विभागीय श्रमिकों का नहीं है। यह मालियों का काम है। कितने माली म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा रखे गए हैं ? अगर माली नहीं रखे गए हैं तो माली म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा रखे जाएं ताकि पार्कस का रख-रखाव समय रहते हो। हमारी ग्रीन स्टेट है परन्तु यहां पर फूल देखने के नाम पर कुछ नहीं है। आपसे निवेदन है कि अगर माली नहीं हैं तो इनकी नयी पोस्टस क्रियेट करवाई जाएं।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में 25 वार्डों में से 12 वार्ड में 24 चिल्ड्रन पार्कस हैं। 13 वार्डस में चिल्ड्रन पार्कस नहीं हैं। पार्क बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रयास करेंगे लैंड आइडंटीफाई हो जाए तो नगर-निगम शिमला और पार्कस विकसित करने का प्रयास करेगा। अभी वर्तमान सरकार ने लगभग 6 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान खेल मैदान और स्टेडियम के निर्माण के लिए रखा है। लेकिन जो आपने तीसरे पार्ट में पूछा है कि इस प्रकार की कोई नीति चिल्ड्रन पार्कस बनाने की है तो मैं कहना चाहता हूं विभाग की कोई नीति नहीं है लेकिन प्राथमिकता ज़रूर है और सरकार चाहती भी है कि इस तरह के क्रीड़ा स्थलों का निर्माण किया जाए। **कैलस्टन और भराड़ी के इलाके में 5 पार्कस हैं उनके रख-रखाव की स्थिति ठीक नहीं है इसके लिए एम0सी0 , शिमला को दिशा-निर्देश देंगे कि वहां पर माली का जिम्मा लगाया जाए कि उनका रख-रखाव ठीक ढंग से हो। इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा।** ज्या◌ादातर जो रेजीडैंट सोसाइटीज़ हैं

10.12.2014/1130/SS-AG/4

हमें चाहिए कि हम उनको प्रेरित करें कि ऐसी जो पार्कस उनके घरों के आसपास हैं हम नगर निगम से कहेंगे कि..

जारी श्रीमती के0एस0

/1135/10.12.2014केएस/एजी/1
प्रश्न संख्याः 1403 जारी-----
शहरी विकास मंत्री जारी---

उनको प्रेरित करें कि जो पार्क उनके घरों के आसपास हैं, वैल्फेयर सोसायटीज़ अगर नगर निगम शिमला से कहेंगी, वहां के स्थानीय काँ ऊसलर अगर प्रयास करें तो उनको हैंड ओवर कर दें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित तरीके से रख-रखाव हो पाएगा। बाकी जो आपने सुझाव दिए हैं, उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगें।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा कि जहां तक जमीन की उपलब्धता की बात है, कॉफी हाऊस के सामने और माल पर खादी ग्रामोद्योग के सामने बहुत सुन्दर और खुली जगह है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पांच साल पहले किन्हीं कम्पनीज़ ने आवेदन भी

किया था कि हम इसका रख-रखाव करेंगें। वहां पर जो भी कम्पनी रख-रखाव करेगी, वह अपना एडवर्टाइज़मैंट जरूर करेगी । अगर आप कोई ऐसी प्रोपोज़ल ले कर आएं कि किन्हीं कम्पनीज़ के टैंडर आमंत्रित करें ताकि वह उसका रख-रखाव कर सके क्योंकि माल रोड़ पर बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं। कालीबाड़ी से मॉल की तरफ आएं तो करीबन 15 बीघा जमीन वहां खाली पड़ी है। इसी तरह से खादी ग्रामोद्योग के बाहर भी कोई दो बीघे जगह है और कॉफी हाऊस के सामने भी बहुत सुन्दर पहाड़ी है जहां पर पार्क बना सकते हैं। वहां सुबह-सुबह बुजुर्ग भी सैर करने के लिए आते हैं उनके बैठने के लिए बैंचिज़ का प्रावधान भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की एक प्रोपोज़ल जरूर बनाएं, यह मेरा सुझाव है।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस पर अवश्य गौर करेंगें और इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है, इसने 40 साइट्स मॉलरोड़ के साथ-साथ आईडैंटिफाई की हैं जिनके लिए सेजिज़ नाम की एक एजैंसी के साथ उन्होंने अपना कॉंट्रैक्ट किया है कि उनका रख-रखाव वे लोग करेंगें।

/1135/10.12.2014केएस/एजी/2

प्रश्न संख्या 1404

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री ईश्वर दास धीमान (अनुपस्थित)

/1135/10.12.2014केएस/एजी/3

प्रश्न संख्या 1405

अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री इन्द्र सिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त

प्रश्नकाल समाप्त

/1135/10.12.2014केएस/एजी/4

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहूंगा । I want to put the record straight. अभी जंगल में जो इलिसिट फैलिंग हुई है, उसके बारे

में सवाल था। उसको विपक्ष द्वारा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर यहां पर शोर-शराबा करने की कोशिश की गई है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पिछले पांच सालों के अन्दर कुल मिलाकर 11 744केसिज़ इलिसिट फैलिंग के डिटैक्ट हुए हैं और 7722.34 क्यूबिक मीटर इसका वोल्यूम था और उसकी वैल्यू 24.23 करोड़ रुपये थी। इस दौरान जो टिम्बर सीज्ड हुआ , उसकी वैल्यू 10.86 करोड़ रु0 है और इस तरह से कुल मिलाकर 35.09 करोड़ रुपये की लकड़ी इलिसिट फैलिंग में पाई गई है। ये छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है और उनको राई का पहाड़ बनाना गलत है। महज एक राजनीतिक षडयंत्र के अंतर्गत यह सारा मामला उठाया गया है।

Speaker: Hon'ble Chief Minister, I would like to say that I have not shown any weakness in favour of any Member.

Chief Minister: I have respect for you. There are no aspersions on you. I only want to put the record straight.

/1135/10.12.2014केएस/एजी/5

<u>**कागजात सभा पटल पर**</u>

अध्यक्ष : अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपी0एल0जी0-ए (3)2010/2- (अनुसन्धान अधिकारी/डीएसओ/संख्याविद्व) दिनांक 30. 0 1.2014द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2014 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग- ।(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपीएलजी-बी(2) 2013/1-दिनांक 10.11.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.11.2014 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.12.2014/1140/jt/av/1

कागजात सभा पटल पर -----

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 12 (2)(ई),24(5)(सी) , और 40(2)के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसरण में उचित मूल्य की दुकानें खोलने हेतु जारी दिशा-निर्देश जो कि अधिसूचना संख्या : एफ.डी.एस.-एफ (10)-2012/06-शिमला दिनांक 2.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 4.8.2014 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

10.12.2014/1140/jt/av/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए जाएंगे तथा सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

अब श्री रविन्द्र सिंह , सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का 75वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 76वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 77वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के 175वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत

10.12.2014/1140/jt/av/3

कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित है; और

(v) समिति के 157वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 248वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2014-15) प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2014-15) -:अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति (वर्ष 2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का सप्तम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में वन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई

/1140/10.12.2014jt/av4/

प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री अनिरुद्ध सिंह , सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिरुद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का 29वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:3.5 व 3 .6 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित; और

(ii) समिति का 30वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 6वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पब्बर घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल , सदस्य, मानव विकास समिति , (वर्ष 2014-15) समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल ,सदस्य, मानव विकास समिति (वर्ष 2014-15): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा)

/1140/10.12.2014jt/av5/

(वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वित्त विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2014-15) सामन्य विकास समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज , सभापति, सामान्य विकास समिति , (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री संजय रतन , सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति , (वर्ष 2014-15), ग्रामीण नियोजन समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रतन, सदस्य , ग्रामीण नियोजन समिति , (वर्ष 2014-15) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति का 10वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है , की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

10./1140/12.2014jt/av6/

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम कुमार नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बद्दी-बरोटीवाला तथा नालागढ़ में पिछले एक वर्ष में हुए अपराध की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बद्दी-बरोटीवाला तथा नालागढ़ में 1 जनवरी 2014 , से अभी तक करीब 65 लोग रोड ऐक्सिडैंट में मारे गए। 191 लोग रोड ऐक्सिडैंट में इनजर्ड हुए हैं तथा एक दर्जन मामले हत्या के सामने आए हैं। बी.बी.एन. में एक सिर कटी लाश हमारे बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के ढाणा गांव के पास मिली----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

10.12.2014/1145/negi/jt/1

श्री राम कुमार ... जारी...

हमारे बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के ढाणा गांव के पास मिली ,जिसका अभी तक कोई भी इन्वैस्टीगेशन सामने नहीं आया है। वहां पर रोज़ाना बैंको के ए.टी.एम. के ताले तोड़ने की घटनाएं घट रही है। इसको ध्यान में रखते हुए , मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा क्योंकि बद्दी-बरोटीवाला और नालागढ़ एक सैंसेटिव क्षेत्र है, वहां जो भी उच्च अधिकारी लगाए गए हैं, उनका अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ लैंग्वेज़ गेप है। मैं चाहता हूं कि वहां पर अनुभवी अधिकारियों को लगाया जाए ताकि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन किया जा सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में दो पुलिस चौकियों की मांग की थी क्योंकि बद्दी में पुलिस नफरी बहुत कम है । मैंने वहां पर एक बटालियन की भी मांग की थी । वहां पर बाहरी लोग कार्यरत हैं , मैं चाहता हूं कि प्राईवेट हाऊसिज़ में और इंडस्ट्रीज़ में जो लोग कार्यरत हैं उनकी शिनाख्त हो और पुलिस के माध्यम से उनके आई-कार्ड बनें। पंचायत के माध्यम से लोगों को यह हिदायत दी जाए कि जो बाहरी लोग उनके यहां रहते हैं उनकी आईडेन्टीफिकेशन पुलिस के माध्यम से करवाएं। यह पता लगाया जाए कि वे कहां -कहां कार्यरत हैं। वे लोग वाकयी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या बेवजह वहां पर रह रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इसका समाधान चाहूंगा।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में निवेदन है कि नालागढ़ क्षेत्र में हत्या का मामला 6.12.2014 को घटित हुआ न कि 7.12.2014 को। इस अभियोग के अन्वेषण के दोरान पाया गया कि दिनांक 3.12.2014 को एक विवाह समारोह के दौरान मृतक रामकरण उर्फ कुन्टी, उम्र 23 साल तथा मौनू, उम्र 23 साल के बीच गांव ढाणा में झगड़ा हुआ था तथा उसी रंजिश के कारण दिनांक 6.12.2014 को मौनू तथा उसके साथियों ने कुन्टी उर्फ रामकरण की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस बारे थाना नालागढ़ में अभियोग संख्या 290/14 दिनांक 6.12.2014 ज़ेर धारा 302, 24 भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में दर्ज़ की गई ।

10.12.2014/1145/negi/jt/2

अभियोग के अन्वेक्षण के दौरान चार व्यक्ति शिव कुमार उर्फ मौनू, 23 साल, हंस राज, उम्र 21 साल, कमला , उम्र 42 साल तथा लायक राम उर्फ लक्की, उम्र लगभग 24 साल संलिप्त पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा तुरन्त कार्रवाई करते हुए इन 4 अभियुक्तों में से 3 को 24 घण्टे के अन्दर दिनांक 7.12.2014 को 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 8.12.2014 को इन्हें अदालत में पेश कर 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है । चौथे अभियुक्त लायक राम उर्फ लक्की की गिरफ्तारी अभी शेष है , जिसके लिए उप-मण्डल पुलिस अधिकारी, नालागढ़ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई है, जो कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कार्यरत है।

मृतक रामकरण उर्फ कुन्टी के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 7.12.2014 को करवा कर उसके परिवारजनों के सुपुर्द करवा दिया गया था ,जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है ।

अतः इस मामले में प्रशासन द्वारा तुरन्त कार्रवाई की गई है ।

अध्यक्षः अब क्या आप इसमें स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं? अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बोलिए।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं,

अध्यक्षः आप जो पूछना चाहते हैं वह संक्षेप में पूछिए। Do not make a speech. आप इसमें स्पीच नहीं देंगे , लेकिन आप जो स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं केवल वही पूछिए।

10.12.2014/1145/negi/jt/3

श्री राम कुमारः अध्यक्ष जी, अभी पिछले एक वर्ष में जो मामले वहां पर घटित हुए हैं उनके बारे में, मैं जानना चाहता हूं। एक सिर कटी लाश का मामला है , जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है , मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास इस मामले की सूचना नही है । मैं पूरी सूचना प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करवा दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि जो बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ का इलाका है...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

10/1150/2014-12-यूके/एजी/1

मुख्य मंत्री----जारी ----

बद्दी बरोटीरवाला इलाका अति संवेदनशील है। क्योंकि वहां पर बहुत से कारखाने लगे हुए हैं और कई जगहों के लोग वहां पर रहते हैं। जिसकी वजह से उसको ध्यान में रखते हुए हमने बद्दी के अन्दर अलग से पुलिस एस0पी0 कायम किया है, उस क्षेत्र के लिए और आधी फोर्स उसके साथ है जो कि जिला पुलिस के अतिरिक्त है। यह फोर्स इसलिए रखी गयी है ताकि वहां पर अमन और शांति कायम रहे और यदि कोई ऐसी वारदात होती है तो उसका तुरन्त निपटारा किया जा सके।

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, शिमला का कार्ट रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, यह शिमला की लाईफ लाईन कहा जा सकता है। दिनांक 9 दिसम्बर 2014 को कार्ट रोड शिमला में मैट्रोपोल विधायक सदन के नीचे 10 मीटर के लगभग सड़क के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की यह वस्तुस्थिति इस प्रकार है-ः

दिनांक 8-12-2014 को सुबह करीब 11-00 बजे शिमला मोटर राऊंड सड़क आर0डी0 149/198 लम्बाई (27मीटर) पर सड़क धंस जाने के कारण यातायात यात्रियों की सुरक्षा के कारण बन्द पड़ा। इस क्षतिग्रस्त स्थल का निरीक्षण मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग शिमला ने अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त लोक

10/1150/2014-12-यूके/एजी/2

निर्माण विभाग शिमला, अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) वृत्त ढली शिमला व नगर निगम शिमला के अधिकारियों के साथ किया। इस सन्दर्भ में क्षतिग्रस्त सड़क के किनारे सभी अधिकारियों ने आपस में बैठक के दौरान विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया कि यथापूर्वक स्थिति से निपटने के सभी प्रयास किए जाएं।

उपरोक्त अधिकारियों ने मिलकर सड़क को तकरीबन 2-30 बजे अपराह्न छोटे वाहनों को चलाने के लिए खुलवा दिया और शाम करीब 4-00 बजे सड़क को भारी वाहनों के लिए एक तरफा (Single lane) यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस सड़क पर अब बसें व अन्य छोटे वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। अब लोक

निर्माण विभाग इस सड़क को चौड़ा करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि दो-तरफा (Double lane) वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। जिसका कार्य पहले चरण में एक सप्ताह के भीतर पूर्ण होने की संभावना है।

इस सड़क के धंसने का मुख्य कारण सड़क के नीचे पार्किंग स्थल नगर निगम शिमला द्वारा पहाड़ी को काट कर बनाया जाना है। इस सन्दर्भ में मामला आयुक्त नगर निगम शिमला के ध्यान में मुख्य अभियंता शिमला क्षेत्र द्वारा भी लाया गया है और उनसे कहा गया है कि क्षतिग्रस्त सड़क को शीघ्र अति शीघ्र पूर्व अवस्था में लाया जाए।

इस समय क्षतिग्रस्त सड़क में एक जेसीवी, दो टिप्पर व 70 मजदूर कार्यरत हैं तथा अन्य निर्माण सामग्री जैसे कि रेत, स्टील और बजरी इत्यादि सड़क पर पहुंचा दी गई है और सड़क को दिनांक 8-12-2014 से यातायात के लिए बहाल भी करवा दिया गया है। चूंकि इस सड़क पर एकतरफा *(Single lane)* भारी वाहनों की

10/1150/2014-12-यूके/एजी/3

आवाजाही बहाल कर दी गयी है और अब इस सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है।

इस सड़क को दो-तरफा *(Double lane)* गाड़ियों की आवाजाही के लिए चौड़ा किया जा रहा है। जिसके लिए विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और शीघ्र अति शीघ्र इस क्षतिग्रस्त मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी------

10.12.2014/1155/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : ...क्रमागत

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार में उत्तर दिया है। मैं केवल एक बात और जानना चाहता हूं। यह रास्ता हाईकोर्ट के लिए भी और सचिवालय के लिए भी जाता है। जो ऊपर का रास्ता है वह सील्ड रोड है और वहां से गाड़ियां नहीं चल सकती। अधिकांश स्कूल भी इसी रोड पर स्थित हैं। अब जब इस सड़क को चौड़ा करने की बात है ताकि यह डबल लेन हो सके तो उसमें दीवार और डंगे इत्यादि लगाने की बात आती है। लेकिन क्योंकि पिछली ओर मैट्रोपोल है जिसके कारण इसे पीछे की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता ,इसलिए अगली

साईड इसमें जो डंगा लगना है या दीवार लगनी है, उसको लगाने में कितना समय लगेगा ताकि यह रोड डबल लेन बन जाए और यह रास्ता चालू हो जाए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा है ,इस सड़क को शीघ्र ही डबल लेन कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके आगे इमारत बन रही है ,पार्किंग ब्लॉक बन रहा है, इसलिए उनसे भी कहा जाएगा कि वह रिटेनिंग वॉल को और पुख्ता करने के लिए कदम उठाएं ताकि ज़ेरे तामील दोबारा से हासिल हो सके। इस सड़क को डबल लेन करने के लिए लगभग एक महीने का समय लग जाएगा और यह सड़क एक महीने के अंदर डबल लेन हो जाएगी।

समाप्त

10.12.2014/1155/SLS-AG-2

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्रीमती सरवीन चौधरी कार्य सलाहकार समिति के षष्टम् प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेगी और प्रस्ताव भी करेगी कि इस प्रस्ताव को अंगीकृत किया जाए।

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के षष्टम् प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करती हूं तथा प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने षष्टम् प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों से सहमत है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने षष्टम् प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने षष्टम् प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

10.12.2014/1155/SLS-AG-3

विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 6) को वापिस लिया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 6) को वापिस लिया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 6) को वापिस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 6) को वापिस लिया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

दिनांक 19 फरवरी, 2014 को सदन में पुरःस्थापित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 6) वापिस हुआ।

10.12.2014/1155/SLS-AG-4

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक , 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक , 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक , 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' को पुरःस्थापित हुआ।

अगला बिल ...गर्ग जी के पास

10/12/2014/1200/RG/AG/1

अध्यक्ष महोदय के पश्चात

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 2014)' को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 2014) 'पुरःस्थापित हुआ।

<u>'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 15)'</u>

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 15)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 15) 'को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) 'को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 15) 'को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
(अनुमति दी गई)

अब माननीय मुख्य मंत्री 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) 'को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 15) 'को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : 'हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 15) 'को पुरःस्थापित हुआ।

10/12/2014/1200/RG/AG/2

'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16)'

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16) 'को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16) 'को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16) 'को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
(अनुमति दी गई)

अब माननीय मुख्य मंत्री 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16) 'को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16) 'को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : 'हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 16) 'पुरःस्थापित हुआ।

10/12/2014/1200/RG/AG/3

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा। अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 13)' पर विचार किया जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 13) 'पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 13) 'पर विचार किया जाए। इस पर कौन बोलना चाहते हैं? हां, धूमल साहब आप बोलना चाहते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, 'हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 13) 'में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके अंग्रेजी वर्शन के पेज-2 के सब-सैक्शन (के) पर ले जाना चाहता हूं। Page 2 sub-section (k) - "Hall" or "Hostel" means a unit of residence for the Students maintained or recognized by the University in accordance with the conditions prescribed. तो होस्टल तो रैजीडैन्स के लिए होता है ,परन्तु हॉल किस सैन्स में रैजीडैन्स होगा ? हॉल क्या ऐग्जामिनेशन हॉल होगा, डाइनिंग हॉल होगा ,यह तो माना जा सकता है, but it cannot be residence. इसको आप देखें।

अध्यक्ष महोदय, Page 2, Sub-section (r) - "Student" means a person who is admitted to a College or Institution and is borne on the

attendance register thereon until the end of the academic year. Admitted to the College or Institution is okay, but borne in the end, suppose the Student migrates in between तो उसको स्टूडैंट नहीं गिनेंगे। यह परिभाषा भी बहुत अटपटी सी लग रही है। मान लो किसी दूसरी संस्था में माइग्रेट कर गया------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

10/12/2014/1205/MS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी-----------

मान लो अगर कोई विद्यार्थी दूसरी युनिवर्सिटी में माइग्रेट करेगा तो विद्यार्थी के तौर पर माइग्रेट करेगा। Chapter-IV - Authorities of the University आपने यहां अलग से डिफाइन किया है। इसमें एक्स ऑफिशियल मैम्बर्ज का भी जिक्र है। Nominated Members: Two eminent representative of Industry to be nominated by the State Government; Two eminent Academicians or Technologists or Scientists to be nominated by the State Government; One Dean, by rotation; इसमें अध्यक्ष महोदय , जो सारी युनिवर्सिटीज ,जो प्राइवेट युनिवर्सिटीज का बिल आया है, उसमें भी कम-से-कम दो चुने हुए विधायक नोमिनेटिड होते हैं। हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी में भी हैं तथा एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी और होर्टिकल्चर युनिवर्सिटी में भी हैं। जैसा मैंने कहा, सब प्राइवेट युनिवर्सिटीज में हैं। तो क्या चुने हुए प्रतिनिधि सांसद या विधायक इस बॉडी में नहीं होने चाहिए? मेरा सुझाव है कि इस बात पर विचार किया जाए। यही दो-तीन बातें मेरे ध्यान में आई हैं और मैंने उनको प्वाइंट आउट कर दिया है।

अध्यक्षः कोई और माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें अभी माननीय विपक्ष के नेता ने कही हैं । जहां तक इन्होंने हॉल की बात कही है, इसको देख लेंगे। इसके अलावा ,जो दूसरी बात कही कि विद्यार्थी यदि बीच में माइग्रेशन करेगा, यह ठीक बात है कि student will remain the student इसमें टैक्नेलिटीज को देख लेते हैं। तीसरी बात जो मैम्बर्ज की कही, उन दो मैम्बर्ज को

सरकार लगाएगी, यह सरकार पर छोड़ा हुआ है। उसमें विधायक भी हो सकते हैं और कोई अन्य भी हो सकता है। सरकार ही दो मैम्बर्ज को लगाएगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मेरा प्वाइंट यह है कि आपने इसमें इण्डस्ट्रिलिस्ट्स के लिए दो मैम्बर्ज का प्रावधान किया और डिफाइन किया है कि किस-किस में से हो सकता है। आपने सांइटिस्ट्स और शिक्षाविदों का भी प्रावधान किया है। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक और सांसद होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यहां के दो माननीय सदस्य मनोनीत हैं और अन्य विश्वविद्यालयों जैसे कृषि

10/12/2014/1205/MS/AG/2

विश्वविद्यालय और हॉर्टिकल्चर युनिवर्सिटी में भी हैं। सभी प्राइवेट युनिवर्सिटीज में भी दो-दो मैम्बर्ज कम-से-कम यहां विधान सभा से नोमिनेट होते हैं। अध्यक्ष महोदय को हम इसका अधिकार देते हैं। यह भी सरकार की ही युनिवर्सिटी है।

मुख्य मंत्रीः धूमल जी का सुझाव ठीक है, इसको इनकोरपोरेट कर दीजिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि दो सदस्य सरकार ने नोमिनेट करने हैं। मंशा यही थी कि विधायक यहां से नोमिनेट किए जाएंगे। जैसे सुझाव आया है और मुख्य मंत्री जी ने भी कह दिया है, हम इसको पूरी तरह से कन्सीडर करेगे और उसमें विधायकों को प्रतिनिधित्व देंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः जब विपक्ष की तरफ से सुझाव आ गया और मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि ठीक है तो इसके बाद विचार क्या करेंगे ? इसके बाद तो इसको अमैंडमैंट करके इसमें शामिल करो।

अध्यक्षः मंत्री जी का मतलब यही था कि इसको शामिल करेंगे। You would like to proceed with the amendment.

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: I correct myself. शामिल कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 13)' को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 13)' जो संशोधित रूप में रखा गया है, पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

क्या कोई इस पर कहना चाहेगा?

माननीय सदस्यगणः जी नहीं।

10/12/2014/1205/MS/AG/3

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 , 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48एवं 49 तक विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 , 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,4 6,47,48एवं 49 तक विधेयक का अंग बने।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

10.12.2014/12/10जेके/एजी/1

अध्यक्षः जारी-----**जारी**------

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बनें

प्रस्ताव स्वीकार,

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार,
खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

10.12.2014/12/10जेके/एजी/2

पारणः

अध्यक्ष :अब माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री विचार , 2014 , करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक(का 2014 13 विधेयक संख्यांक) को पारित किया जाए।

खाद्य : नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ,अध्यक्ष महोदय मैं आपकी , , अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2014(13 का विधेयक संख्यांक 2014) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष :प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक , 2014(13 का विधेयक संख्यांक 2014) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।
2014 , तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक (13 का विधेयक संख्यांक 2014) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2014 ,(का विधेयक 2014 13 संख्यांक) संशोधित रूप में पारित हुआ।

10.12.2014/12/10जेके/एजी/3

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 ,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,और 17 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 और 17 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

10.12.2014/12/10जेके/एजी/4

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक 2014 ,(का 2014 10 विधेयक संख्यांक) को पारित किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से , , प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक 2014(10 का विधेयक संख्यांक 2014) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक 2014 ,(10 का विधेयक संख्यांक 2014) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व 2014 ,विधेयक(10 का विधेयक संख्यांक 2014) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार,

हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक 2014 ,(का 2014 10 विधेयक संख्यांक)पारित हुआ।

10.12.2014/12/10जेके/एजी/5

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 8) पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार,
खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

10.12.2014/12/10जेके/एजी/6

प्रस्ताव स्वीकार।
खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

10.12.2014/1215/SS-AG/1

अध्यक्ष क्रमागतः

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014(2014 का विधेयक संख्यांक-8) को पारित किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-8) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-8) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-8) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक-8) पारित हुआ।

10.12.2014/1215/SS-AG/2

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) पर विचार किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

इस खण्ड में खण्ड-2 पर सरकार की ओर से जो संशोधन आया है उसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

10.12.2014/1215/SS-AG/3

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 11) पर स्वीकृत संशोधन।

पृष्ठ	खण्ड	उप-खण्ड	पंक्तियां	प्रस्तावित संशोधन
.1	2	)क)	16-7	विधेयक के उप-खण्ड(क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-

				खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:- (क) विद्यमान उपधारा(5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात:- "(5) यदि किसी व्यौहारी को, उस द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी विवरणी में, किसी लोप या अन्य गलती का पता चलता है तो वह,- (i) मासिक और त्रैमासिक विवरणी की दशा में, आगामी विवरणी को दाखिल करने के लिए विहित तारीख से पूर्व संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा, और (ii) वार्षिक विवरणी की दशा में, वार्षिक विवरणी को दाखिल करने के लिए विहित की गई अंतिम तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा, और यदि संशोधित विवरणी में दर्शाए गए देय कर की रकम, मूल विवरणी में दर्शाए गए कर की रकम से अधिक है, तो उसके साथ साथ उपधारा(4) के अनुसार अतिरिक्त रकम के संदाय को दर्शाने वाली रसीद संलग्न करनी होगी।"
Page	**Clause**	**Sub-clause**	**Lines**	**Proposed Amendment**
1	2	(a)	(7-15)	For sub-clause (a) of the Bill, the following sub- clause shall be substituted, namely:- ट (a) for existing sub- section(5), the following sub-section shall be substituted, namely:- ट (5) If any dealer discovers any omission or other error in any return furnished by him, he may, - (i) in the case of monthly and quarterly return, furnish a revised return before the date prescribed for filing of next return, and (ii) in the case of annual return, furnish a revised return within a period of sixty days from the last date prescribed for filing of annual return, and if the revised return shows a greater amount of tax to be due against the tax shown in the original return, it shall be accompanied with a receipt showing payment of extra amount in accordance with sub-section(4).छ.

10.12.2014/1215/SS-AG/4

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 पर जो संशोधन आया है वह विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) को पारित किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

10.12.2014/1215/SS-AG/5

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक-11) संशोधित रूप में पारित हुआ।

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख जोकि यहां पर अंकित किये गए हैं इनको पढ़ा हुआ समझा जायेगा और इनके उत्तर दिए हुए समझे जायेंगे जोकि इस प्रकार हैः-

10.12.2014/1215/SS-AG/6

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अब नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव होंगे। अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

/1220/10.12.2014केएस/जेटी1/

श्री महेन्द्र सिंह :आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें।" महेन्द्र सिंह जी, आप शुरू करें।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां पर रह रहे हमारे लगभग 70 लाख लोग और लाखों की संख्या में देश व विदेश से आने वाले टूरिस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए केवल मात्र सड़कों पर ही निर्भर है। हमारे यहां पर हवाई व रेल सफर न के बराबर है और जल मार्ग तो हमारे यहां पर है ही नहीं। प्रदेश की इन सर्पीली सड़कों पर हमारा जहाज गाड़ी के रूप में चलता है और इन दो वर्षों के कार्यकाल के बीच में ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सर्पीली सड़कें हैं, सौंदर्य की दृष्टि से हमारा प्रदेश बहुत सुन्दर है। हमारे प्रदेश के अन्दर मैदानी क्षेत्र तो नाम मात्र ही है । यह केवल 5 % या ज्यादा से ज्यादा 10 %है। शेष 90 % क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र में लाखों पर्यटक बाहर से आते हैं । इस बार यहां पर पर्यटकों की आमद इसलिए बढ़ी है क्योंकि पिछले साल उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बाढ़ आने से वहां की सड़कें टूट गई थी, उस पहाड़ी क्षेत्र की सुन्दरता खत्म हो गई थी और इस बार उसी तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में बहुत भयंकर बाढ़ आई जिस वजह से पर्यटक अब उत्तराखंड की तरफ भी नहीं जा रहे हैं और जम्मू-कश्मीर की तरफ भी नहीं जा रहे हैं। सारे के सारे पर्यटक भी और प्रदेश - वासी भी इन्हीं सर्पीली सड़कों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के अन्दर जो गाड़ियां पंजीकृत होती है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यहां पर लगभग 9 लाख या इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ी कम गाड़िया हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हुई है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहां पर हाईडल प्रोजैक्ट्स के काम बहुत जोरों पर चले हुए हैं और जो हाईडल प्रोजैक्ट्स के कार्य हैं, उनके कार्यों के लिए भी भारी मशीनरी सड़कों के माध्यम से ही आती है। सड़कों की लम्बाई जहां लगभग 34 हजार किलोमीटर है वहीं वैसे तो ब्लैक स्पॉट्स

/1220/10.12.2014केएस/जेटी2/

पहले यहां 568 थे लेकिन अब मैं आंकड़े देख रहा था कि 314 के लगभग बताए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह 314 का आंकड़ा गलत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक होड़ लगी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.12.2014/1225/jt-av/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी ----------

पूरे प्रदेश के अन्दर होड़ लगी है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति है। आप अपने गांव में देखेंगे कि अगर किसी ने गांड़ी खरीद ली है तो कम्पीटिशन के तौर पर यह सोच कर कि मेरे पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली है ; मैं भी गाड़ी खरीदूंगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुल कितने ड्राइविंग लाईसैंस होल्डर्ज चालक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग गाड़ियां ले रहे हैं और उनके पास ड्राइवर रखने की क्षमता नहीं होती है। क्षमता न होने की वजह से फिर सैल्फ ड्राइविंग पर चलते हैं। अच्छी ड्राइविंग न होने की वजह से वह चालक अपने साथ साथ गाड़ी में बैठे दूसरे-लोगों को तो मारता ही है परंतु सामने से आ रही गाड़ी वाले को भी मारता है। जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे प्रदेश के अंदर इस वक्त कितने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज हैं ? मैंने इस प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज भी देखे हैं जिनको केवलमात्र ड्राइविंग स्कूल चलाने की परमिशन मिली हुई है। जो इनफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वह उनके पास मौजूद नहीं होता। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। जो ड्राइवर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से निकलेगा वही अच्छा ड्राइवर हो सकता है। जो चलते फिरते ड्राइविंग सीखता है वह अच्छा ड्राइवर नहीं हो सकता। हमारे पास जो-

ऐक्सिडैंट्स के आंकड़े आए हुए हैं उनके मुताबिक मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें टू व्हिलर विशेषकर के मोटरसाइकिल के ऐक्सिडैंट्स के आंकड़े भी शामिल- किए हुए हैं या नहीं? आजकल तकरीबन हर परिवार में एक दो बच्चे होते हैं और- धमका कर या इमोशनली ब्लैक मेल करके कहता है कि /बेटा अपनी मां को डरा कर मुझे मोटरसाइकिल ले दो। मैंने बाइक केऊपर चलना है। मैंने ऐसी अनेकों दुर्घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखी हैं कि मैक्सिमम ऐक्सिडैंट्स टू व्हिलर और बाइक्स के- व्हिलर या बाइक्स चलाने वालों के-हो रहे हैं। क्या इस पर चैकिंग रखी जायेगी कि टू पास लाइसैंस है या नहीं है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछले कल हुई घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कल मैं जब यहां से पालमपुर जा रहा था तो पालमपुर से दो किलोमीटर पीछे पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। एक मोटर साइकिल वाला लड़का दूसरी तरफ से आ रहा था। उस मोटर साइकिल वाले को रोकने के लिए वहां दो पुलिस वाले सड़क के बीच में खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी पुलिस ऑफिसर ने उनको कहा कि जो यह मोटर साइकिल वाला आ रहा है; उसको रोको। दोनों पुलिस वाले बीच में खड़े हो गये। उन दोनों पुलिस वालों

10.12.2014/1225/jt-av/2

के बीच में खड़े होने के बावजूद उस मोटर साइकिल वाले ने वह मोटर साइकिल नहीं रोकी बल्कि उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी। अगर उसको जबरदस्ती रोकते तो शायद वे पुलिस वाले मरते या फिर उस मोटर साइकिल वाले का ऐक्सिडैंट हो जाता। इस तरह से जिन पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की उनके ऊपर उलटा केस बन जाता। आजकल कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया चली हुई है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे पास पूरे आंकड़े तो नहीं हैं मगर इन दो सालों के ,माननीय मंत्री जी बीच में कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों में विशेषकर के साथ मैं तो सभी-चम्बा और सिरमौर के साथ ,शिमलाजगह देख रहा हूं क्योंकि कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में ऐक्सिडैंट्स कम हुए हैं। अगर हम अखबारों की कटिंग के ऊपर जाएं या आप रोज किसी भी अखबार को उठाकर देखें तो पढेंगे कि आज इतने मर गये। आज मोटर साइकिल का ऐक्सिडैंट हो गया। आज बस का ऐक्सिडैंट हो गया आज ट ,्रक का ऐक्सिडैंट हो गया। किसी किसी रोड-न- आपका दो साल का ,ऐक्सिडैंट का जिक्र अखबार में रोज होता है। माननीय मंत्री जी

दिसम्बर को शपथ ली थी और 25 कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। वर्तमान सरकार ने दो साल के कार्यकाल के बीच में यह जो ऐक्सिडैंट का रेट बढ़ा है; इसके पीछे क्या कारण है? क्या पुलिस की तरफ से कोई कोताही है या आपके विभाग की तरफ से कोई कोताही बरती जा रही है ? या फिर प्राइवेट सैक्टर में जो गाड़ियां चलाई जा रही है उन प्राइवेट सैक्टर की गाड़ियों में उनके पास अच्छे ड्राइवर न होने की वजह से यह कोताही हो रही है? मैं माननीय मंत्री जी --------

श्री बीद्वारा जारी.जे.

10.12.2014/1230/negi/ag/1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी....

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी-ऐसी दुर्घटनाएं हो गई, आपके एच.आर.टी.सी. की बस जो शिमला से कुठारघाट, सुन्नी की तरफ जा रही थी ,उस बस का जुलाई के महीने में एक्सीडेंट हुआ। वह बस 3 दिन तारादेवी वर्कशॉप में रही और उस बस के तारादेवी वर्कशॉप में रहने के बाद ड्राईवर ने कहा कि इस बस में कुछ मैकेनिकल खराबी है, लेकिन उसको जबरदस्ती कहा गया कि सुन्नी जा करके आ। उस बस में 13 लोगों की तो मौत हो गई । जो लोग मरे, वे तो मर गए। लेकिन जो लोग बच गए, जिनकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई , जिनका पूरा शरीर कंडम हो गया , वह तो उस परिवार के लिए और अपने लिए एक अभिशाप बन करके रह गए हैं। मंत्री महोदय इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन वाहनों की दुर्घटनाओं में , जो इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं में जो अहतियात बरतने चाहिए थे उन अहतियात को बरतने में आपने आज तक क्या कार्रवाई की है ? मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि गत 2 वर्षों में चाहे स्कूटर है ,चाहे बाइक है, उनके कितने एक्सीडेन्ट्स हुए हैं और उनमें कितने लोग अपनी जान गवा चुके हैं? उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो घायल अवस्था में है और जो 80 प्रतिशत से ज्यादा अपाहिज़ हो चुके हैं?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये एक्सीडेन्ट्स हुए हैं ,इनमें शराब पी करके या नशा के कारण , कितने गाड़ियों के एक्सीडेन्ट्स हुए हैं ? क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेन्ट होता है तो उसके लिए जांच के लिए एस.डी.एम. की कमेटी गठित किया जाता है । जो एस.डी.एम. की अधिकृत कमेटी है उसकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में सारा कुछ दर्शाया जाता है कि

यह जो एक्सीडेन्ट हुआ है क्या मैकेनिकल खराबी की वजह से है हुआ है या जो चालक उस गाड़ी को चला रहा है, उसकी वजह से हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि शराब पी करके या नशा ले करके क्योंकि मैंने देखा है कि विशेष करके जो ट्रक ड्राइवर्ज़ हैं वे अमूमन नशा करते हैं और ऐसी-ऐसी नशे की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेन्ट करते हैं। दूसरा, ऐसे कितने एक्सीडेन्ट्स तेज़ रफ्तार के कारण हुए हैं ?जिस रफ्तार के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, मोटर-साईकिल वाले, बाइक वाले, कार वाले और दूसरे वाहन चलाने वाले अक्सर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेन्ट होते हैं। कृपया आप तेज़

10.12.2014/1230/negi/ag/2

रफ्तार से गाडी चलाने वालों का जो एक्सीडेन्ट है उसका भी पूरा आंकड़ा प्रदेश वासियों और इस माननीय सदन के सामने रखें। छोटी गाड़ियों में और अब तो मोटर साईकिलों में सी.डी. प्लेयर लगे हुए हैं। आजकल मोटर साईकिलों में छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेन्ट्स चले हुए हैं, लड़के कान में ईयर फोन लगा करके मोटर साईकिल चला रहे होते हैं। क्या यह आपके ध्यान में है? जो गाड़ी वाला या मोटर साईकिल वाला है कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सी.डी. प्लेयर न लगा हो। गाड़ी के अन्दर गाने लगे हुए हैं और गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है ।

तीसरा, ऐसे ड्राईवर जिनके पास जाली ड्राइविंग लाईसैंस है, जो जाली ड्राइविंग लाईसैंस वाले हैं , आप कैसे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है, जो ड्राईवर है, उस ड्राईवर के पास लाईसैंस ओरिजिनल है ? आज तो एक -एक ड्राईवर के पास 3-3 ड्राइविंग लाईसैंस पड़े होते हैं। उसने एक लाईसैंस घर में रखा होता है, एक जेब में रखा होता है और एक गाड़ी के टूल बॉक्स में रखा होता है । जब कोई भी फ्लाइंग वाला आए तो वह अपना लाईसैंस उसको दे देता है और कहता है कि यह लो लाईसैंस और मेरा चालान कर दे, मैं चला। क्योंकि उसको पता है कि मैंने स्कैन करके दूसरा लाईसैंस घर में रखा हुआ है और तीसरा लाईसैंस मेरे टूल-बॉक्स में पड़ा हुआ है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें आप क्या कदम उठा रहे हैं क्योंकि यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय हमारे सामने है। हालांकि मोबाईल फोन के ऊपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है । हमारे समय में हमने इस हाऊस में प्रस्ताव लाया था और मोबाईल फोन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया था।

लेकिन आज आप देखेंगे कि जितने भी गाड़ी वाले हैं, विशेष करके जो कार वाले हैं, मैंने तो यहां तक देखा है कि जो मोटर साईकिल वाले हैं उन्होंने एक हाथ से स्टेयरिंग पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में मोबाईल पकड़ा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो पिछली सीट पर बैठ हुआ व्यक्ति है उसने मोटिर साईकिल चलाने वाले व्यक्ति के कान में फोन लगाया हुआ है और वह मोबाईल भी सुन रहा है और मोटर साईकिल भी चला रहा है । ऐसे कितने केसिज़ आपके सामने आए हैं? जो दुर्घटनाएं घटी हैं और उन दुर्घटनाओं के घटने में विशेष करके सबसे बड़ा जो कारण रहा है, वह मोबाईल फोन का रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

10/1235/2014-12-**यूके/जेटी**/1

श्री महेन्द्र सिंह---- जारी ----

मैं माननीय मंत्री जी से इसमें भी चाहूंगा कि मो बाईल फोन का प्रयोग करते हुए कितने लोगों के चलान किए है । चलती गाड़ी में मोबाईल फोन पर बात करते हुए, चाहे छोटी गाड़ी है, चाहे बड़ी गाड़ी है, किसी भी गाड़ी में चलाने से पहले या चलाती बार आपने कितने चलान किए है और उस पर क्या कार्रवाई की है? कितने चलान पुलिस विभाग ने किए कितने आपके परिवहन विभाग ने किए और कितने दूसरी एजेंसी ने किए ताकि इन दुर्घटनाओं को हम रोक सकें । मेरी विनम्र प्रार्थना है माननीय मंत्री महोदय से कि आज ओवर लोडिंग के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और विशेषकर के प्राईवेट बस ऑपरेटर की किसी भी बस को आप चैक कर लो चाहे वह अन्दर की ओवरलोडिंग है चाहे छत की ओवरलोडिंग है । दूर-दराज के क्षेत्रों में छत वाली ओवरलोडिंग होती है और शहरों के नजदीक अन्दर की ओवरलोडिंग होती है और अन्द र की ओवरलोडिंग भी उतनी ही घातक है जितनी कि बाहर की । उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ? आपके पास प्राईवेट बस ऑपरेटर्स का फ्लीट कितना है, 3000, 3200 या 3500 कितना हो चुका है । आपके एच0आर0टी0सी0 के पास कितना फ्लीट है ? उस पर आप ध्यान दें । एच0आर0टी0सी0 वाले छत पर नहीं बिठाते हैं लेकिन अन्दर की ओवरलोडिंग होती है । उस ओवरलोडिंग को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? ओवरलोडिंग किस कारण से होती है क्योंकि लोगों को अपने घरों, अपने गांवों तथा अपने डैस्टिनेशन तक पहुंचना है जिस के लिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं है । उनको छत पर ही बैठना पड़ेगा । उनको ओवरलोडिंग वाली बस में ही जाना पड़ेगा । आपने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं कि हम महिलाओं के लिए और जैन्ट्स के

लिए अलग सीटों का आरक्षण करेंगे। लेकिन आप यह सब तभी करेंगे जब आपके पास गाड़ियां होंगी। जब आपके पास गाड़ियां नहीं होंगी तो आप आरक्षण कैसे करेंगे? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर विशेष ध्यान दें।

मंत्री जी, मेरी आपसे एक और विनम्र प्रार्थना है जिस पर आप ध्यान देंगे कि कई बार किसी को जब कभी किसी धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थान पर या ब्याह शादी

10/1235/2014-12-यूके/जेटी/2

में जाना हो तो वे क्या करते हैं कि खुले डाले वाली जीप में 35-35 और 40-40 लोग एक साथ बैठ कर चले जाते हैं। विशेषकर के ब्याह शादी को अटैंड करके जब वे लोग घर को जाते हैं तो वहां से कुछ बाल जीवन घुट्टी भी ले लेते हैं और उसके बाद तो गाड़ी का ड्राईवर अन्धाधुन्ध गाड़ी चलाता है जिस कारण से ऐक्सीडैंट्स होते हैं। उन ऐक्सीडैंट्स को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि आपके पास परिवहन विभाग है, आपको इ न सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कहेंगे कि खुली गाड़ियों में इस तरह से सफर करने वालों को देखना तो मेरा काम नहीं है यह तो किसी और का काम है लेकिन यह सारा दायित्व आपको दिया गया है। आजकल एक और बात हो रही है कि जितनी भी गाड़ियां चाहे छोटी गाड़ी है चाहे बड़ी गाड़ी है उसको चलाते समय लोग हॉर्न नहीं देते वे समझते हैं कि हॉर्न देना तो हमारी शान के खिलाफ है। जो ड्राईवर हॉर्न देगा उसको बोलेंगे कि यह ड्राईवर तो घटिया है, इसको सड़क पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है। आप कैसे इस स्थिति से निपटेंगे ? हॉर्न किसलिए लगा होता है? हॉर्न इसीलिए लगाया गया है ताकि हर मोड़ पर या जहां भी कोई घनी ब स्ती हो वहां ड्राईवर उस हॉर्न पर हाथ रखे। उस पर आप क्या करने जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप के एच0आर0टी0सी0 के ड्राईवर जिनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उस 8 घंटे की ड्यूटी की जगह वह 22-22 या 24-24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। फिर ऐक्सीडैंट नहीं होंगे तो क्या होगा? प्राईवेट बस ऑपरेटर्स उनसे भी इतनी ड्यूटी ली जा रही है जिसकी वजह से आज ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं यही बात इन ऐक्सीडैंट्स का सबसे बड़ा कारण है। हर चीज़ की अपनी क्षमता है। इस भवन में लोगों के बैठने की भी क्षमता है उसी प्रकार से किसी इन्सान के शरीर की भी एक क्षमता है कि वह कितने घंटे काम कर सकता है। उसके शरीर को आराम के

10/1235/2014-12-**यूके/जेटी**/3

लिए कितना समय चाहिए उसमें आप क्या कर रहे हैं ? माननीय मंत्री जी भारत सरकार ने आपको छोटी-बड़ी क्रेने दी हुई हैं और मैं दो साल से देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ी क्रेन जो हमारे समय में आई थी वह जो हमारे एम0एल0ए0 रेजिडैंस के निचली तरफ खड़ी रहती है ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं रामपुर बुशहर में, ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं चम्बा और शिलाई क्षेत्र में और जिस परपज़ से उस क्रेन को लिया गया है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी------

10.12.2014/1240/SLS-AG-1

श्री महेन्द्र सिंह....जारी

वह किसलिए दी हैं ? भारत सरकार ने वह क्रेन्ज किसलिए दी हैं ? उन भारी, मीडियम और छोटी क्रेनों पर भारत सरकार ने किसलिए इनवैस्टमैंट की हुई है ? वह इसलिए ताकि उन क्रेनों को ऐक्सिडैंट प्रून एरियाज में रखा जाए। वहां ज़रूरत पड़ने पर उनके जरिए आप जल्दी से राहत पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो क्रेनें आपको दी गई हैं वह क्या काम कर रही हैं? पुलिस विभाग को अल्कोहल सैंसर्ज़, लेज़र राडार, स्मोक मीटर और गैस एनालाइजर दिए हैं। क्योंकि आप सब विभागों को कौर्डिनेट करते हैं ,इसलिए, मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी पुलिस विभाग को बुलाकर पूछा कि आपको जो लेटैस्ट टैक्नोलोजी के इंस्ट्रूमैंट्स दिए गए हैं ,उनसे आप क्या-क्या काम कर रहे हैं ? क्या उन उपकरणों को फिजिकली कार्य में लाया जा रहा है ? कहीं पुलिस विभाग ने उनको अपने कार्यालयों में या अपने स्टोर्ज़ में ही तो नहीं रखा है और वहीं पर उनको जंग तो नहीं खा रहा है ? आपको आधुनिक लेज़र स्पीड राडार दिए गए हैं। भारत सरकार से पैसा इसलिए आता है कि हर प्रदेश, विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य , जहां की सड़कें सर्पीली हैं ,जहां ऐक्सिडैंट ज्यादा होते हैं ,उन ऐक्सिडैंट को रोकने के लिए इस तरह की आधुनिक टैक्नोलोजी का इस्तेमाल किया जाए। मंत्री जी, हमारे पास उपलब्ध सूचना अधूरी है। वह इसलिए है क्योंकि हमने जब विधान सभा के अंदर एक प्रश्न पूछा तो उस समय का कालखंड एक साल का था। दूसरा प्रश्न पूछा तो अगले छः महीने की सूचना हमारे पास आई। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि 25 दिसम्बर, 2012 से लेकर आज तक कुल कितने ऐक्सिडैंट्स हुए और उनमें कितने लोगों की जानें गईं ,कितने हैंडिकैप हुए ? हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो राहत राशि दी जाती है, मुआवजा दिया

जाता है ,वह राशि कितने मृतकों के आश्रितों की दी गई। मेरा सरकार के ऊपर आरोप है कि अभी तक जितने ऐक्सिडैंट्स हुए हैं ,उन ऐक्सिडैंट्स में जो राहत राशि मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं दी गई है। जब हम एस . डी. एम. को पूछते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जो लोग ऐक्सिडैंट्स में घायल होते हैं उन्हें भी मुआवजा राशि दी जाती है। जो व्यक्ति 80% से ज्यादा घायल होता है, उसको 62-63 हजार रुपये की राशि दी जाती है। जो 40-80% के बीच में हैंडिकैप होता है उसको 43,500 रुपये की राशि दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं और इन घायलों में

10.12.2014/1240/SLS-AG-2

से कितनों को सरकार ने मुआवजा राशि प्रदान की है? यह सारे आंकड़े आपके पास होने चाहिए। आज यह चर्चा इसलिए लगी है क्योंकि आज प्रदेश का हर नागरिक चिंतित है। आज प्रदेश की कई माताओं की गोदें खाली हो गई हैं क्योंकि उनके बच्चे उनसे सदा-सदा के लिए जुदे हो गए हैं। कई महिलाओं के सुहाग उजड़ गए हैं। इन दो वर्षों के बीच में प्रदेश में इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं कि इन दुर्घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश के भीतर हा-हा कार मचा हुआ है क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं पहले कभी भी दिखाई नहीं पड़ती थीं। आजकल लगातार दुर्घटनाएं - ही-दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए प्रदेश की जनता आपसे यह सारे आंकड़े जानना चाहती है कि आप इन पर क्या-क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आप इसका ब्रेक-अप दे दें कि एच . आर . टी . सी . की बसों की कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ,प्राईवेट बसिज की कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और जो दूसरे वाहन हैं उनकी कितनी-कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं , यह ब्रेक-अप आप दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि प्रदेश की जनता को इसका पता चल सके और इस बारे में सावधानी बरती जा सके।

अब मैं क्या कहूं, माननीय मंत्री जी की गाड़ी का भी दो बार ऐक्सिडैंट हो गया। इसकी क्या वजह है? मंत्री जी, आप बताओ, क्या वजह है कि आपकी गाड़ी का दो बार ऐक्सिडैंट हो गया ? माननीय मंत्री जी बहुत व्यस्त मंत्री हैं। इनके पास बहुत विभाग हैं। इनके पास और बहुत कारोबार है।

जारी ....श्री गर्ग जी

10/12/2014/1245/RG/AG/1
श्री महेन्द्र सिंह------क्रमागत

बाकी मंत्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त क्यों नहीं होती ? अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी एक बहुत ही बिज़ी मंत्री हैं ,इनके पास बहुत सारे विभाग हैं ,इनके पास और भी बहुत सा कारोबार है। ये सारा दिन इतने व्यस्त रहते हैं कि इनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्रा करनी हो, तो अगले दिन को सो जाते होंगे ,रात को सफर करते होंगे। ऐसा ही है। अगर ऐसा है ,तो इस तरह का एक पक्षी भी है जो दिन को सोता है और रात को काम करता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि दैनिक समाचार-पत्र 'अमर उजाला' में एक बार समाचार प्रकाशित हुआ था कि 'ड्राईवर को हर्ट-अटैक ,मंत्री ने हैण्ड ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी।' अरे भई, आपकी गाड़ी चण्डीगढ़ से दिल्ली जा रही है ,तो क्या आप चण्डीगढ़ से दिल्ली पांच किलोमीटर की गति से ही जा रहे थे। आपकी एक गाड़ी पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हुई ,उस गाड़ी को कौन चला रहा था? उस गाड़ी को ड्राईवर नहीं चला रहा था ,उस गाड़ी को आपके ऑफिस का कोई स्टाफ मेम्बर चला रहा था। इसलिए वह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। आपकी दूसरी गाड़ी जब दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस बारे में समाचार छपा था कि ड्राईवर को हर्ट अटैक, मंत्री ने हैण्ड ब्रेक लगाकर कार रोकी। मंत्री जी, आप अपनी अगली सीट पर बैठते हैं ,तो क्या आपका हाथ हमेशा ड्राईवर की पटों पर रहता है? आप वहां किसलिए हाथ रखते हैं ? आपको मालूम है कि कार की हैण्ड ब्रेक कहां होती है ? कार की हैण्ड ब्रेक ड्राईवर के राइट साइड में होती है न कि आपकी तरफ जिस साइड आप बैठते हैं, उस तरफ होती है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। अपनी गलती को छिपाना भी एक सबसे बड़ा ऑफैन्स है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप इस बात का स्पष्टीकरण इस सदन में और प्रदेश की जनता के सामने दें ,प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप इसमें क्या करने जा रहे हैं? आपने अपनी दो गाड़ियां तोड़ दीं। आज तो आप लोगों की गाड़ियां भी बहुत महंगी हैं। हमारे समय में तो 8-8 या 9-9 लाख की गाड़ियां होती थीं। लेकिन शायद आज तो मंत्रियों को 40-45 लाख की गाड़ियां मिली हुई हैं।

उद्योग मंत्री : नहीं-नहीं ,इतनी महंगी नहीं हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : आप बता दीजिए कि कितने की गाड़ियां हैं?

उद्योग मंत्री : लगभग 25 लाख की गाड़ी होगी।

10/12/2014/1245/RG/AG/2

श्री महेन्द्र सिंह : 25लाख रुपये की गाड़ी है। दो गाड़ियों के 50 लाख रुपये बने। एक मंत्री दो साल में 50 लाख रुपये का नुकसान यदि प्रदेश सरकार का करता है ,तो क्या होगा? यदि 5 0लाख रुपये 50 नौजवानों को बांट दो, तो 50 घर अपना छोटा-मोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने परिवहन नीति लाई है, पता नहीं कि वह परिवहन नीति कहां 'ले' की? आज तक इस माननीय सदन में आपके विभाग की कोई चीज 'ले' नहीं हुई। आपका तो सीधा सा फॉर्मूला है कि आप प्रदेश की जनता का ध्यान बंटाने के लिए हर हफ्ते एक नया शगूफ़ा छोड़ देते हैं। इस बार आज आप कुछ कह देंगे, इस सत्र के बाद आप कुछ और कह देंगे ,अगले हफ्ते आप कुछ और कह देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो परिवहन नीति है जिस परिवहन नीति को लेकर प्रदेश की जनता आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है कि मंत्री जी कोई ऐसा चमत्कार करेंगे, कोई ऐसी परिवहन नीति परिवहन विभाग के लिए लाएंगे जिससे लोगों का भला होगा। हमें अभी पॉलिसी तो नहीं मिली ,लेकिन जो हमारे पास है मैं उसमें देख रहा था कि उसमें आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं ? आप वॉल्वो बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं ,ए.सी. और डीलक्स बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं और आप उसमें भी प्राथमिकता किसको दे रहे हैं आप वैट लीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप एच.आर.टी.सी. को खत्म करना चाहते हैं और वैट लीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें पता नहीं आपका क्या इन्ट्रस्ट है ? आप एच.आर.टी.सी. के अधिकारियों इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं ,क्योंकि मंत्री के सामने वे ज्यादा मुंह नहीं खोलते। लेकिन अन्दरखाते वे इतना जरूर कहते हैं ,मैंने भी परिवहन विभाग को या इस निगम को बहुत नजदीक से देखा है ,मुझसे तो वे फ्रीली बात करते थे कि वैट लीज की बसें नहीं चलनी चाहिए। एच.आर.टी.सी. अपना फ्लीट तैयार करे , एच.आर.टी.सी. के फ्लीट को बढ़ाया जाए ,निगम में ज्यादा-से-ज्यादा कर्मचारियों

की ऐनरोलमैंट की जाए, निगम की वर्कशॉप्स चलनी चाहिए। निगम के पास वह कैपेसिटी है जो इस देश में किसी के पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने परिवहन नीति लाई ,उसको यहां 'ले' करिए ताकि उस पर इस सदन में चर्चा हो। इससे हमें और प्रदेश एवं देश की जनता को भी उसके बारे में पता चलेगा कि आखिर आपकी परिवहन नीति क्या है! आपने

10/12/2014/1245/RG/AG/3

अभी नई बसें खरीदी हैं ,मैंने जैसा पहले कहा कि आपके पास तो बहुत सारे कारोबार हैं, आपको बसें खरीदने के लिए भी खुद जाना पड़ता है ,यदि स्पेयर पार्ट्स लेने हों, तो भी आपको स्वयं जाना पड़ता है ,यदि छोटी गाड़ियां लेनी हों, तब भी आपको खुद जाना पड़ता है---------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

10/12/2014/1250/MS/AG/1
श्री महेन्द्र सिंह जारी-----------

अगर स्पेयर पार्ट्स लेने हों तो भी आपको स्वयं जाना पड़ता है। अगर आपको छोटी गाड़ी लेनी हो ,तब भी आपको स्वयं जाना पड़ता है। अगर आपको चीनी, तेल या दालें खरीदनी हों तब भी आपको स्वयं जाना पड़ता है। मंत्री जी ,आप स्वयं क्यों जा रहे हैं? स्वयं जाने में आपका क्या इंट्रस्ट है? आप एक कमेटी बनाओ और अधिकारियों को अधिकृत करो। सबकुछ डिसेंट्रलाइज करो और सिस्टम को पारदर्शी करो। जब सिस्टम डिसेंट्रलाइज होगा , अधिकारियों को जिम्मेवारी दी जाएगी तो जो अधिकारी करेगा, वह फसेगा।

अब आपने टाटा की बसें खरीद ली। उन बसों के पीछे Financed by HUDCO लिखा है। मैं मंत्री जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने टाटा के साथ एम0ओ0यू0 या एग्रीमैंट 47 सीटर बसों का 18लाख 85 हजार रूपये में और 37 सीटर बस का 18 लाख 40 हजार रूपये में कर दिया। लेकिन जब वे बसें HRTC के डिपो या डिवीजन में पहुंची और उनका वहां से जो रेट आया, वह 15 लाख रूपये16 , लाख रूपये या 16.50 लाख रूपये आया। यह दो लाख रूपये का क्या गोलमाल है?

मंत्री जी, इसका स्पष्टीकरण दें। प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है? प्रदेश की जनता में हा-हाकार है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं , जिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में HRTC की बसों का फ्लीट चलता था, वे सारी -की-सारी बसें आपने बन्द कर दी हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं ,वे कहां हो रही हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह 18.85 लाख रूपये और 18.40 लाख रूपये का एग्रीमैंट कर दिया और 15 लाख रूपये16 , लाख रूपये और 16.50 लाख रूपये में बसें आ रही हैं। वह दो लाख रूपये का क्या गोलमाल है यह हमें पता नहीं चल रहा है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, आपने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी। वह हाई पावर्ड कमेटी उन बसों की बॉडिज की जहां फेब्रीकेशन हो रही है, वहां जाकर देखेगी और देखिए, लोन किससे ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं हुडको से। मजा देखिए, जो लोन लेकर जा रहे हैं, वे हवाई जहाज से जा रहे हैं। अरे मंत्री जी, ट्रेनें चलती हैं, HRTC को क्यों गड्ढे में डाल रहे हैं? ट्रेनें चलती हैं और ट्रेनों में किराया कम होता है। हैरानी की बात तो यह है कि उस कमेटी में क्लास फोर और क्लास थ्री के लोग भी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से और अधिकारियों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा न करें, जिससे राष्ट्र और प्रदेश को नुकसान

10/12/2014/1250/MS/AG/2

हो। ऐसा न करे जिससे कारपोरेशन को नुकसान हो। उस नुकसान के लिए कल को कौन जिम्मेवार होगा? मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

इसी तरह से एक डिब्बा बसें ला दीं जिनकी हाइट को एक फुट बढ़ा दिया। यह पहाड़ी राज्य है। मैंने अपने सम्बोधन में ही कहा है कि यह एक पहाड़ी राज्य है और इस पहाड़ी राज्य के पहाड़ी इलाके में , जैसे हाइट बढ़ा दी है तो उस बस में अगर सवारियां खड़ी हों और थोड़ा सा ड्राइवर तेज हो तो मोड़ पर आपकी बस गई समझो। एक फुट की हाइट बढ़ाने से क्या फायदा था? आप बस की लम्बाई बढ़ा देते तो सीटें ज्यादा बन जानी थी या चौड़ाई बढ़ा देते। उसकी हाइट बढ़ाने से क्या फायदा हुआ? उसका क्या औचित्य रहा है? दूसरे, जो आपकी तकनीकी कमेटी थी और जो तकनीकी लोग वहां जाने चाहिए थे, वे नहीं गए और जो नॉन-टैक्निकल लोग थे, वे उस कमेटी के सदस्य बन गए। आपने उस बस की जो ड्राइवर सीट है, उस सीट को इतना आगे कर दिया कि अगर उस बेचारे को कहीं बस बैक करनी हो

तो वह पहले खिड़की खोलेगा। अगर बाहर कहीं बर्फबारी या वर्षा हो रही हो तो फिर पहले वह आधा भीगे और फिर बाहर देखे। फिर उस बस को बैक करे। जो आपने 300 बसें ली हैं , उनका ड्राइवरों ने विरोध किया लेकिन ड्राइवर, कंडक्टर और कर्मचारियों के विरोध के बावजूद भी आपने कुछ नहीं किया। हमारे पास जिस भी विभाग या बोर्ड का दायित्व आता है, वह कुछेक समय के लिए आता है। वह दायित्व सदा के लिए हमारे पास नहीं है। लेकिन जो कर्मचारी और अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, वे 59 साल तक सरकारी सेवा में रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं?

Speaker: Hon'ble Member, you have been speaking for more than half an hour now. Please wind up. Other Hon'ble Members will also speak.

श्री महेन्द्र सिंहः जी सर , मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो तकनीकी लोग हैं। आप इसमें ऐसा मत देखो कि,

जारी श्री जे0के0 द्वारा--------

10.12.2014/125/5जेके/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः ---जारी-----

मेरा आपसे निवेदन है कि जो टेक्निकल लोग हैं उसमें आप यह मत देखो कि फलां आदमी के नज़दीक कौन था और फलां आदमी के नज़दीक कौन नहीं था ? आप विभाग के मंत्री हैं। जो विभाग का मंत्री होता है वह पिता तुल्य होता है। पिता का अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व बनता है उस कर्त्तव्य का निर्वहन उसे उस तरह से करना चाहिए। आपने बस की फ्रंट का शीशा बहुत बड़ा कर दिया। वह इतना बड़ा कर दिया कि वह टायर के पास पहुंच गया। उसमें हर चीज में कुछ न कुछ कर दिया है। आज 17 महीने हो गए जिस कंडक्टर, ड्राईवर का उसके अन्दर सोना, रहना और खाना उस बस के अन्दर है। आज बेचारा चम्बा के दूर-दराज गांव में है या सिरमौर के दूर-दराज गांव में होगा और परसों न जाने वह किस गांव में होगा। इतना होने के बावजूद उनका जो ओवर टाईम है, नाईट अलाऊंस है उसको 17 महीने से नहीं दिया जा रहा है। आपका ध्यान कहां चला गया है ? आपका ध्यान चला गया है वॉल्वो, ए0सी0 और डीलक्स बसों को चलाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग क्या इन बसों में बैठने की केपेसिटी रखते हैं ? वॉल्वो बसों में सफर करने की इनकी आर्थिकी क्या एलाऊ करती है ? इन सब बातों पर विशेष ध्यान देने की

आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी आपने तो दो सालों में बसों में डीजल प्राईवेट पम्पों में भरवाना शुरू कर दिया। क्योंकि सरकारी जो पम्प थे उनमें अब सुराख हो गए। उनमें सुराख इसलिए पड़ गए क्योंकि वे दो सालों से बन्द रहे। जब वे बन्द रहे तब उनमें सुराख पड़ गए। अब आप नये टैंक बनाने की बात कर रहे हैं। आप क्यों प्राईवेट पम्प मालिकों से तेल ले रहे हैं। यहां पर चिन्ता का एक और विषय यह है कि भारत सरकार ने डीज़ल के दाम घटाए हैं, पैट्रोल के दाम घटाए हैं। आप लोगों ने तो बस किराया भी 40 प्रतिशत तक बढ़ाया है। हम आपसे चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो बसों का किराया है उसको आप 25 से 30 प्रतिशत कम करें। देश में मोदी सरकार आई है। मोदी सरकार ने आते ही डीजल के दाम घटाए हैं, पैट्रोल के दाम घटाए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दीजिए। माननीय मंत्री जी अभी मेरा एक और विषय है क्योंकि आज आपका ही दिन है। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि जिन्होंने प्रदेश के अन्दर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसकी ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित किया है। आज प्रदेश की सड़कें खून से लहूलुहान हो रही है।   आज इस प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रदेश का परिवहन

10.12.2014/125/5जेके/एजी/2

मंत्री जिम्मेदार है। उसका यह दायित्व बनता है और उसकी यह जिम्मेदारी है। मैं देख रहा था कि शिलाई में और सुन्नी में बस एक्सिडैंट हुआ और जो फोटो अखबार में लगा है वह हंसता हुआ लगा है। 13 लोग सदा-सदा के लिए चले गए। मेरे पास अखबार की कटिंग्ज पड़ी हैं। अगर मैं सारी की सारी कटिंग्ज यहां पर लाता तो यहां पर ढेर लग जाता। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एक्सिडैंट नहीं होता है। हमारे टाईम में भी एक्सिडैंट होते थे। लेकिन इतने ज्यादा एक्सिडैंट हमारे टाईम में नहीं हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपका इसलिए आभारी हूं कि आपने इसके लिए मुझे समय दिया। आपने इस प्रदेश की जन-भावना को समझा कि यह अति आवश्यक विषय है। हम इस प्रदेश के मंत्री जी से चाहेंगे कि जो-जो मैंने इनसे प्रश्न किये हैं और यह प्रश्न कोई मेम्बर के नहीं है बल्कि इस प्रदेश की जनता के प्रश्न है। आपसे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि प्रदेश को कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाया जाये । यह प्रदेश तभी आगे जा सकता है अगर हमारी सड़कें ठीक हो, अगर हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक हो और यहां पर ज्यादा एक्सिडैंट न हो तभी जा

करके यह प्रदेश आगे जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत ध्न्यवाद।

अध्यक्षः अभी यह चर्चा भोजनावकाश के बाद भी जारी रहेगी। अब इस सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

10.12.2014/1400/SS-JT/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 2:00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्षः अब श्री रिखी राम कौंडल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः उपाध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के अंदर नियम-130 के तहत हमारे वरिष्ठ सदस्य , माननीय महेन्द्र सिंह जी ने चर्चा उठाई है कि प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे। इस पर भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की भूमि है। पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण प्रदेश है और संयोग से यह पर्यटन का विभाग भी पिछली बार मिस्टर बाली जी के पास था। अनेकों पर्यटक विभिन्न प्रदेशों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं। अपनी निजी गाड़ियों से आते हैं। कालका से ट्रेन में आकर आगे टैक्सियों के माध्यम से सारे प्रदेश का भ्रमण करते हैं और हिमाचल की देवभूमि में कुछ समय बिताने के बाद वे अपने-अपने गंतव्य को वापिस चले जाते हैं। किसी भी प्रदेश में रेलवे की सुविधा, हवाई जहाज़ की सुविधा, जिसका माननीय महेन्द्र सिंह जी ने ज़िक्र किया है वह इस प्रदेश में न के बराबर है। मनाली हमारा एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। वहां पर ऐअर के माध्यम से सुविधा थी, वह भी काफी दिनों से बंद पड़ी है। अब एक ही विकल्प है..

जारी श्रीमती के0एस0

/1405/10.12.2014केएस/जेटी/1
श्री रिखी राम कौंडल जारी---

अब एक ही विकल्प है कि सड़क के रास्ते से पर्यटक इस प्रदेश में आएं। वे यहां आते हैं और घुमते हैं। आज प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं का जो सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे कुछ तथ्य हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले जहां मोटर वाहन चलते हैं, छोटी गाड़ियां हो, मोटरसाईकल हों ,दो पहिया या तीन पहिया वाहन हों या बसें हों, इन सब के लिए सबसे पहले अच्छी सड़कों की व्यवस्था करना जरूरी है। इस सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण सड़कों का ठीक ढंग से रख-रखाव न होना है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे ही चुनाव क्षेत्र में राईयां नामक स्थान पर अभी पीछे बस का बहुत बड़ा एक्सीडैंट हुआ। संसदीय सचिव, माननीय राजेश धर्माणी जी भी वहां मौके पर पहुंचे थी । जैसे ही हमारे विपक्ष के नेता श्री धूमल जी को मालूम हुआ ये भी अपना पालमपुर का दौरा छोड़कर तुरंत राईयां गांव पहुंचे । माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर जी का घर भी वहां पर है, ये भी वहां पहुंचे। राजनीति की भावना से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने उस दुर्घटना पर शोक प्रकट किया और हैरानी जताई। उस दुर्घटना का कारण क्या था ? जैसा माननीय महेन्द्र सिंह जी ने भी जिक्र किया , प्राईवेट बसें ओवर लोडिड होती है। उनमें अन्दर भी और छतों पर भी सवारियां होती है। इसके अलावा वहां दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण वहां की खराब सड़क बनी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के भी और मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि जब राईंया में बस आई तो वहां पर सड़क इतनी खराब थी, वहां पर पैरापिट भी नहीं लगे थे और एक बहुत बड़ा गड्ढा था। जिसमें बस जम्प करके दूसरे गड्ढे में गई वह वहां कंट्रोल नहीं हुई और सीधे झील में चली गई। वहां पर 2 5लोगों की मौत हो गई । 17 व्यक्ति तो मेरे ही चुनाव क्षेत्र से थे। मेरा सरकार को सुझाव रहेगा कि अगर आप इस प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं, लोगों के जान-माल की हिफ़ाज़त करना चाहते हैं तो सड़कों की ठीक व्यवस्था की जाए । इनकी हालत बहुत खराब है। दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि जब भी वर्कशॉप से बस निकलती है, ये पूरी मेंटिनैंस के साथ नहीं निकलती। ड्राईवर बार-बार बोलते हैं कि बस ठीक नहीं है, बसों का फ्लीट कम है , गांव की सड़कों में बसें बन्द कर दी गई है, लोग परेशान है और मैं माननीय मंत्री जी

के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो यह राईयां का एक्सीडैंट हुआ , वहां माननीय मंत्री जी पहुंचे और एकदम से सख्ती कर दी, मैं मानता हूं कि सख्ती होनी चाहिए। इन्होंने

/1405/10.12.2014केएस/जेटी/2

वहां आदेश कर दिए कि 10 साल की बसें बन्द कर दी जाएगी। ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन तीन-चार दिन तो थोड़ी सख्ती पुलिस ने दिखाई, एच.आर.टी.सी. ने भी दिखाई लेकिन उसके बाद जिला बिलासपुर के अंदर वही स्थिति ओवर लोडिंग की है। ऐसा करने से लोगों के आई वाश थोड़े दिन तो कर सकते हैं लेकिन इसका परमानैंट सोल्यूशन यही है कि पुलिस की पैट्रोलिंग सख्त होनी चाहिए। दाड़लाघाट से ले कर बिलासपुर तक और कीरतपुर से बिलासपुर तक जितनी भी प्राईवेट बसें और ए.सी.सी. और अम्बुजा के ट्रक चलते हैं, वे छोटी गाड़ियों को पास ही नहीं देते। वैसे ही हाईवे की हालत खराब है। अब मुख्य मंत्री जी के हस्तक्षेप करने के बाद उस नेशनल हाईवे का थोड़ा सा सुधार हुआ है। जो बात ठीक है वह बतानी चाहिए लेकिन ये जो वर्कशॉप से बसें निकलती हैं, यह पूरी मेंटिनेंस के साथ निकलकर नहीं आती और जो वर्कस मैनेजर हैं उनकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए ताकि इन दुर्घटनाओं को रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज एच.आर.टी.सी. क्यों फेल हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके ड्राईवर, आपके जो जिला के अधिकारी हैं, वे अपनी मन-मर्जी से बसों का समय बढ़ा देते हैं और प्राईवेट बसों को---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

/1410/10.12.2014jt/av1/
श्री रिखी राम कौंडल ----जारी

और प्राइवेट बसों को 15-15, 20-20 मिनट की छूट दे देते हैं। आज हर सवारी प्राइवेट बसों में बैठती है और एच.आ.टी.सी.की बसें खाली होती है। जैसे महेन्द्र सिंह जी ने कहा, यह सही है कि एक समय ऐसा आयेगा जब एच.आर.टी.सी. की बसें बंद हो जायेगी। आज एच.आर.टी.सी. बंद होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके आर.टी.ओ. जो जिला के मेनेजर हैं वे

मीटिंग भी नहीं करते और अपनी मर्जी से टाइम बढ़ा देते हैं। टाइम को आगे-पीछे करते रहते हैं जिसके कारण बसिज का आपस में क्लैश होता है। इस कारण प्राइवेट बस वालों के रोज झगड़े हो रहे हैं। प्राइवेट बस वाले भी हमारे भाई हैं और इस प्रदेश के रहने वाले हैं। उनको भी अपनी रोजी-रोटी कमाने का अधिकार है , उनका भी ध्यान रखिए। आप ऐसा टाइम शैड्यूल बनाइए ताकि किसी भी प्राइवेट बस ऑपरेटर को नुकसान न हो। प्राइवेट बस वाला भी चार पैसे कमाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अंदर आवागमन का साधन केवल सड़कें ही हैं। हमारे बिलासपुर में भाखड़ा बांध से लेकर सलापड़ तक थोड़ी वॉटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है। जब झील में पानी भर जाता है तो कुछ लोग आवागमन मोटर बोट से करते हैं। उन मोटर बोट को जब पास किया जाता है , तो कैसे किया जाता है ? माननीय मंत्री जी उस बारे में छानबीन करें। दूसरे, जो बिलासपुर में फिशरमैन हैं वे क्लोज सीजन में छोटी मोटर बोट से फिशिंग करते हैं। मगर उनको जो अनुदान की राशि मिलनी चाहिए थी वह अनुदान की राशि सरकार उनको आज तक नहीं दे पाई है। मैं यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस बारे में गहन छानबीन कीजिए। वे गरीब लोग हैं और उनकी रोजी-रोटी का साधन मछली पालन है तथा उनका बिलासपुर के लिए आवागमन का साधन छोटी मोटर बोट ही हैं। बिलासपुर में घाटों की स्थिति ऐसी है कि जब पानी उतरता है तो वहां लोगों को चलना मुश्किल होता है।

जहां तक प्राइवेट बसिज का सवाल है तो इनका टाइम ठीक किया जाए। राईंया में जो ऐक्सिडैंट हुआ , वह ऐक्सिडैंट नहीं होता अगर वहां पर पेरापैट लगे होते। वे 17 के 17 व्यक्ति मेरे चुनाव क्षेत्र के थे और पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझ गए। किसी का एक बेटा था, वह बेटा चला गया। किसी की एक बेटी थी, वह

/1410/10.12.2014jt/av2/

बेटी चली गई। इस पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। जब तक इस प्रदेश के अंदर सड़कों का सुधार नहीं होगा तब तक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए आप ऐक्सिडैंट्स को नहीं रोक सकते। जब तक पुलिस की प्रोपर चैकिंग नहीं होगी तब तक आप छोटी गाड़ियों के ऐक्सिडैंट, बाइक्स के ऐक्सिडैंट इत्यादि नहीं रोक सकते। ये ऐक्सिडैंट ऐसे ही चलते रहेंगे।

एक दिन मैं कुल्लू से आ रहा था। मैं कुल्लू पुलिस के कप्तान को जानता नहीं हूं और न ही मेरा उनसे कोई परिचय है। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने रास्ते में प्राइवेट एन.जी.ओ. की तरफ से आई चैकिंग कैम्प लगाया हुआ था। वहां सड़क पर जा रही हर गाड़ी के ड्राइवर की आंखों की चैकिंग की जा रही थी। वहां मेरी गाड़ी भी रोकी गई और मेरे ड्राइवर की आंखों का चैकअप किया गया। आप इस प्रथा को पूरे प्रदेश में लागू कीजिए। आप हर ड्राइवर के लाइसैंस की छानबीन कीजिए। आप चैक कीजिए कि किस-किस ड्राइवर ने फर्जी लाइसैंस बना रखे हैं और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में गाड़ी चला रहे हैं। जैसे महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि जो ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उसके लिए पुलिस वालों के पास इनस्ट्रूमैंट दिए हुए हैं। उनकी चैकिंग बढ़ाइए। कानून-व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। अगर पुलिस विभाग मुस्तैदी से अपना कार्य करेगा तो ऐक्सिडैंट्स निश्चित तौर पर रुकेंगे। यहां पर महेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया कि बसें कैसे खरीदी, कहां से खरीदी ; इन्होंने उसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा कर दी है। मैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मगर माननीय सदन के अंदर जब एक बात शक के घेरे में आ जाती है जैसे फॉरैस्ट का मामला शक के घेरे में आया। ट्रांसपोर्ट का मामला शक के घेरे मे आया, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करें ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाए। आज हम जो सुविधाएं ले रहे हैं ये प्रदेश के लोगों की बदौलत ले रहे हैं। उन मतदाताओं की बदौलत ले रहे हैं जिनके धन से सारी सुविधाएं हमारे सभी सरकारी अधिकारियों को भी मिलती है। हिमाचल -
----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1415/10.12.2014नेगी/जे.टी./1
श्री रिखी राम कौंडल ... जारी..

हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं का प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्दर जो एक सात्विक प्रथा थी उस सात्विक प्रथा को कायम रखें। अगर हम राजनीतिक भावना से काम करेंगे तो इस प्रदेश का वातावरण बहुत बिगड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय,मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया है ,उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पुलिस पैट्रोलिंग की गाड़ियां और बढ़ाई जाए। यह प्रस्ताव इसपर सीमित था कि एक्सीडेन्ट्स कैसे रोका जाए? आप पुलिस की पैट्रोलिंग बढ़ाइये और हर जिले में

पुलिस के बैरियर लगाइये ताकि चैकिंग प्रौपर तरीके से हो सके। आज जो नौजवान बच्चे मोटर साईकिल चलाते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना होता है । आप उनपर थोड़ी सी सख्ती करें। अगर आप कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन एक्सीडेन्ट्स को रोकने की ओर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में एक्सीडेन्ट्स रूकेंगे। हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है और इसमें एक ऐसा वातावरण न खड़ा किया जाए । अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे कि हम विपक्ष में बोल रहे हैं और हमें डिफेन्ड करने के लिए आप इसका जवाब दे देंगे। लेकिन आप कोई ऐसा तरीका निकालिए क्योंकि सारे सदन की यह चिन्ता है कि प्रदेश में एक्सीडेन्ट्स रूकने चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैंने यहां पर रखी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक और निवेदन रहेगा कि एक्सीडेन्ट होने के कारण जिन 17 लोगों का देहान्त हुआ है अब तक उनके परिवार को रिलीफ का पैसा पूरा नहीं मिला है और उस पैसे को भी तुरन्त दिया जाए। मैं इससे आगे बढ़ करके एक बात कहना चाहूंगा कि उन परिवारों में से किसी परिवार का कोई व्यक्ति नौकरी करने योग्य है तो उसको नौकरी मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार पर लोगों का विश्वास बना रहेगा। वरन् धीरे-धीरे लोगों का विश्वास आप पर से उठेगा। अगर आप एकॉउन्टेबिलिटी के साथ काम नहीं करेंगे तो एक ऐसा वातावरण आएगा कि लोग किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है इसमें सारे सुधार होने चाहिए और जिन-जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है ,माननीय मंत्री जी उन पर गौर फरमायें, यह सदन गौर फरमाये

/1415/10.12.2014नेगी/जे.टी./2

और यह सरकार गौर फरमायें ताकि इस प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोका जाए। इस प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जिससे कि लोग इस शांतिप्रिय प्रदेश में अपने घरों को उज़ड़ते हुए न देखें। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

/1415/10.12.2014नेगी/जे.टी./3

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वक्तव्य

उपाध्यक्षः इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन में वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, कुल्लू में अभी हाल ही में भगवान रघुनाथ मन्दिर में हुई चोरी के सम्बन्ध में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी इस चोरी के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय सुराग उपलब्ध करवाएगा, जिससे इस मूर्ति की रिकवरी में सहायता मिल सके, उस सूचनार्थी को सरकार दस लाख रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी।

/1415/10.12.2014नेगी/जे.टी./4

उपाध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री कुलदीप कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अन्तर्गत उठाये गए विषय पर बोलने के लिए समय दिया ,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। निसंदेह यह विषय बहुत गम्भीर है। माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने बहुत गम्भीर विषय उठाया है। एक्सीडेन्ट्स नहीं होने चाहिए, इससे सारे चिन्तित हैं। क्योंकि एक्सीडेन्ट्स से कई घर बे -सहारे हुए हैं। चाहे वह बच्चे का सहारा हो, चाहे किसी सुहागिन का सुहाग हो , किसी बहन का कोई भाई हो, किसी माता का बेटा हो, जिनका सहारा छिन जाता है उससे उनकी दुनिया उज़ड़ जाती है। इस करके यह मामला बहुत गम्भीर है। माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने बहुत गम्भीर विषय उठाया है। लेकिन धीरे-धीरे वह उस मसले को मंत्री जी की हैंडब्रेक तक ले गए और इसकी गम्भीरता को सारा डेल्यूट कर दिया।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1420/2014-12-10यूके/जेटी/1
श्री कुलदीप कुमार--जारी----

गंभीरता को डॉयल्यूट कर दिया और मंत्री जी के जो पर्सनल ऐक्सीडैंट्स थे उनके ऊपर चले गए । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गंभीर मसला हो , ऐक्सीडैंट्स का, ऐक्सीडैंट चाहे कहीं पर भी हो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी सरकार के समय में हो, ऐक्सीडैंट तो ऐक्सीडैंट है। माननीय महेन्द्र सिंह जी ने सिर्फ जो दो सालों के ऐक्सीडैंट्स हुए हैं उनके ऊपर चर्चा कि उन्होंने माना कि सिर्फ पिछले 2 सालों में ही ऐक्सीडैंट्स हुए हैं। मैं इस पर कोई राजनैतिक बात नहीं करना चाहता। मैं सिफ यही कहूंगा कि जो भी ऐक्सीडैंट होता है, जिस कार्यकाल में होता है लेकिन जिनके परिजनों की जानें छिन जाती हैं उनके लिए बड़ा दुखद होता है। श्री महेन्द्र सिंह जी ने सिर्फ दो सालों की बात की है तो मैं इस के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 2009में 3017 ऐक्सीडैंट्स हुए 1140 मौतें हुई, 5579 लोग घायल हुए। साल 2010में 3069 ऐक्सीडैंट्स हुए 1102 की मौतें हुईं और 5325 लोग घायल हुए। वर्ष 2011 में 3051 ऐक्सीडैंट्स हुए 1972 की मौत हुई तथा 5462 लोग घायल हुए। इसी तरह से वर्ष 2012 में 2897 ऐक्सीडैंट्स हुए 1109 मौतें हुईं और 5248 लोग घायल हुए। इस तरह से अगर यह सारे आंकड़े मिलाए जाएं तो (व्यवधान) आपने दो सालों का रैफ्रेंस दिया है। इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। (व्यवधान) राजनीति नहीं है, आपने दो सालों का दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐक्सीडैंट तो ऐक्सीडैंट है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 4400 कुछ मौतें हुई हैं और 21600 के करीब घायल हुए हैं। जिनका सहारा छिन गया जिसका सुहाग छिन गया चाहे वह किसी के भी कार्यकाल में हो, उस सहारो को आप वापिस नहीं ला सकते। इस कर के आज सबकी जरूरत है, सबकी चिंता है कि ऐक्सीडैंट्स कम से कम हों। एच0आर0टी0सी0 की बसें गरीब की सवारी होती है। क्योंकि वे कारें, जीपें या दूसरे वाहन नहीं ले सकते। उनको मजबूरी से बसों में जाना पड़ता है और जब वह घर से निकलता है तो शाम तक उसके घर वाले उसका इंतजार करते हैं कि वह घर को सही सुख-शांति से वापिस आए। लेकिन यदि कोई ऐक्सीडैंट हो जाता है तो उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है इस कर के चाहे वह ऐक्सीडैंट किसी तरीके से भी हो। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सड़कें खराब होने के कारण ऐक्सीडैंट होते है । चाहे वह टैक्नीकल फैल्योर से हुआ, चाहे वह ड्राईवर की नेगलीजैंसी से हुआ। चाहे

प्राईवेट बसों में के कारण हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज प्राईवेट बसों का कमाई के लिए कंपिटिशन चला हुआ है। क्योंकि उन्होंने भी रोजी-रोटी कमानी

/1420/2014-12-10यूके/जेटी/2

है। तो एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। कंपिटिशन की दौड़ लगी हुई ताकि वह दूसरी बसों से आगे जा कर सवारी उठा सके। इस कर के कई बार ऐसे भी ऐक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरे आज जो एक नयी पीढ़ी आयी है, नयी पीढ़ी में नौजवान अभी सातवीं या आठवीं क्लास में होता नहीं है कि घर में बाईक मांगनी शुरु कर देता है। उसके साथ-साथ कानों में स्टिरियो भी लगा लेते हैं , जैसे माननीय महेन्द्र सिंह जी ने भी कहा। खासकर के जो आज ऐक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं वह मोबाईल की वजह से बढ़ रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि आज इतने कानून बनाए जा रहे हैं, मोबाईल को टोटली बैन करना चाहिए। ड्राईवर एक तरफ मोबाईल सुन रहा है दूसरी तरफ गाड़ी चला रहा है तो कहां से लोगों की जानें बचेंगीं? इसी तरह से नौजवान आज फैशन समझ रहे हैं कि वे हैलमेट नहीं पहनते।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी -----

10.12.2014/1425/SLS-AG-1

श्री कुलदीप कुमार....जारी

हैलमैट के मामले में भी सख्ती बरती जानी चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे एक कंस्टीच्युंट की 6-7 बेटियां थीं और उसने अपने भाई का छोटा बेटा अडॉप्ट किया था। वह 17-18 साल का हो गया था। अभी हाल ही में जब वह मोटर साईकिल पर घर से निकला तो घर से एक किलोमीटर आगे उसका मोटर साईकिल टैंकर से टकराने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उसको एक उम्मीद से पाला था। जब यह नौजवान 17-18 साल का हुआ तो इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। उसने हैलमैट नहीं पहन रखा था। इसलिए हैलमैट पहनने संबंधी कानून का भी सख्ती से पालन किया जाए ताकि नौजवान बच्चों की जानें बच सकें।

माननीय कौंडल जी ने सड़कों की बात की। हो सकता है कि इनकी तरफ कोई सड़कें खराब होंगी जिसके कारण ऐक्सिडैंट हो रहे हों। लेकिन हमारे क्षेत्र में तो सड़कें बन गई हैं ,तब भी ऐक्सिडैंट हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद

करता हूं कि हमारे ऊना जिला में , जबसे वर्तमान सरकार आई है, सड़कें ,खासकर ऊना-अम्ब रोड चकाचक कर दिया गया है। हमारी सड़कें हेमामालिनी के गालों की तरह बन गई हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह सड़कें इतनी बढ़िया बना दीं। ऊना-बंगाणा-भोटा बहुत बढ़िया सड़क बन गई है। वहां हाई स्पीड में गाड़िया चलती हैं। खासकर ऊना से अम्ब तक जितनी सड़क है ,जब गाड़ियां आती हैं ,वहां बाजार हैं जहां पर हमारे गांव के लोग इतनी हाईस्पीड गाड़ियों के हैबिचुअल नहीं हैं। जब इन सड़कों में इतनी स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं इससे हर तीसरे दिन कोई-न-कोई ऐक्सिडैंट होता रहता है। इसलिए जब कोई औरत मरती है या बच्चा मरता है तो उनके परिवार या माता-पिता का हर तीसरे दिन इस तरह का नुकसान हो रहा है। इस तरह कई परिवारों का कमाने वाला व्यक्ति छिन रहा है। इसका समाधान होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन किया था और आज भी कर रहा हूं कि जहां पर यह सड़कें बन रही हैं ,बर्ल्ड बैंक से जो सड़कें बनी हैं ,उनमें जहां-जहां बाजार आते हैं ,लोकैलिटी आती है, या तो वहां डिवाइडर लगाए जाएं या फिर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि वहां ऐक्सिडैंट न हों। हमारे गांव के लोग सुस्त होते हैं ,वह इधर-उधर ध्यान नहीं देते; खास करके औरतें। जब वह वहां पर क्रॉस करने लगते हैं तो गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। इस तरह से हर तीसरे दिन कोई-न-कोई ऐक्सिडैंट हो रहा है। जो ऊना-भोटा रोड बनी है वह बहुत अच्छी रोड बनी है। लेकिन

10.12.2014/1425/SLS-AG-2

वहां जो एक टैक्निकल कमी है वह यह है कि सड़क तो बना दी गई लेकिन मोड़ पुरानी ही रह गई। अब जब इतनी स्पीड में गाड़ियां आती हैं वह स्पीड के कारण सड़क के नीचे उतर जाती हैं। इस तरह से ऐक्सिडैंट हो रहे हैं जिन पर नियंत्रण पाना ज़रूरी है। मेरे क्षेत्र में एक और बात है। जब हमारे यहां बड़भाग सिंह का मेला लगता है और उस मेले में जब पंजाब के श्रद्धालु आते हैं तो उन्होंने ट्रकों में डबल डैक्कर लगाया होता है। ट्रकों में डबल डैक्कर के रूप में छतें बनाकर वह लोगों को लेकर चले होते हैं। उन पंजाब के ड्राईवरों को पहाड़ी ड्राइविंग का पता नहीं है। इसलिए जब वह वहां आते हैं तो वहां कोई न कोई ऐक्सिडैंट हो जाता है, गाड़ी लुड़क जाती है और इस तरह कई जानें चली जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी कंट्रोल किया जाए। माननीय मंत्री जी ने वहां पर एक गुड्ज टैक्स का बैरियर लगाया था। अगर वहां पर ऐसे सवारियां ढोने वाले ट्रक आते हैं जिन्होंने

डबल डैक्कर बना रखे हैं तो वहां सवारियां उतार कर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

जारी ....श्री गर्ग जी

10/12/2014/1430/RG/AG/1

श्री कुलदीप कुमार----------क्रमागत

ऐसे ट्रकों से सवारियां उतारकर इन पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए तभी ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्री जी एक बहुत ही काबिल और एक्पर्ट मंत्री हैं और महक़में में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार चाहती है कि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जाए ,लेकिन मैं तो यह भी कहूंगा कि आपको एक हवन भी करा लेना चाहिए ताकि ईश्वर की दृष्टि भी ठीक रहे और दुर्घटनाएं कम हों।------ (व्यवधान)----हमारे पास पंडित बहुत हैं। यदि हवन करा लेंगे, तो सारा ग्रह टल जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने पूरे प्रयास में लगे हैं। मैं माननीय सदस्य से एक बात में सहमत हूं कि जब कोई दुर्घटना होती है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है ,तो उस दुर्घटना के लिए एक जांच समिति बैठाई जाती है ,ऑफिशियली हम दुर्घटनाग्रस्त लोगों को रिलीफ भी अनाऊन्स कर देते हैं। अब हर दुर्घटना की जांच बैठाई गई ,लेकिन उस जांच के बाद यह पता नहीं चल पाता कि उस जांच में क्या हुआ ,किसका फेल्योर पाया गया ताकि आगे के लिए उसको नियंत्रित किया जा सके। कई दुर्घटनाओं का रिलीफ कई स्थानों पर अभी तक नहीं मिला है। जब हम एस.डी.एम. साहब को पूछते हैं कि रिलीफ का क्या हुआ, तो वे कहते हैं कि हमारे पास जब पैसा आता है, तो हम रिलीफ बांटेंगे। हम चाहेंगे कि जल्दी-से-जल्दी रिलीफ का पैसा लोगों में बांटा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो विश्व बैंक से सुपर हाइवे सड़कें बनी हैं उनके ऊपर जहां-जहां भी बाजार आते हैं ,वहां डिवाइड लगाए जाएं या स्पीड ब्रेकर्ज़ लगाए जाएं ताकि वहां पर गाड़ियां स्लो हो जाएं। नहीं तो वहां से गाड़ियां 100-100 किलोमीटर की स्पीड में जाती हैं जिससे हर समय किसी भी भयंकर दुर्घटना का खतरा बना

रहता है। मेरा यही आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

समाप्त

10/12/2014/1430/RG/AG/2

उपाध्यक्ष : अब श्री वीरेन्द्र कंवर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी सदन में लेकर आए हैं ,मैं उस पर चर्चा करने के लिए और कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास मात्र एक सड़क मार्ग ही ऐसा मार्ग है जहां प्रदेश के यात्री उसी से माध्यम से यात्रा करते हैं। प्रदेश में बाहर से जो पर्यटक यहां आते हैं अगर प्रदेश की सड़कें अच्छी होंगी ,यहां दुर्घटनाएं नहीं होंगी और यहां यातायात के अच्छे साधन होंगे, तो हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। लेकिन अभी पिछले दिनों यहां प्रदेश में दिल दहलाने वाली जो दुर्घटनाएं यहां हुईं और एक साथ एक ही बस दुर्घटना में 45-45 लोगों की दर्दनाक मौत होना बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दोष हम सरकार पक्ष को दें ,तो यह भी ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन यह उचित इसलिए भी है कि जो यहां हमारी परिवहन नीति है और जो हमारे यहां कानून बनाए या नियम बने हैं ,हम उनको सख्ती के साथ लागू नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि यदि दुर्घटना होती है ,तो इसके लिए या तो कोई टैक्नीकल फेल्योर होती है या उसके पीछे ड्राईवर की रैश ड्राइविंग होती है या फिर आजकल जो निगम की और स्थानीय बसों के बीच में एक कम्पटीशन चला हुआ है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

10/12/2014/1435/MS/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी--------

एक गलाकाट स्पर्धा चली हुई है । आजकल जितनी भी मुख्य सड़कों के बीच में जितने भी रूट परमिट दिए हुए हैं, उसमें कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। अगर आज ये लगता है कि HRTC की बस भरकर ऊना से हमीरपुर जा रही है तो प्राइवेट बस वाला उस चीज को देखता रहता है और जब आर0टी0ए0 की मीटिंग आती है तो वह उसमें अपनी मोडिफिकेशन लगा देता है कि मेरा रूट यहां से यहां

तक कर दिया जाए। हम तुरन्त ही उसको वहां का रूट सैंक्शन कर देते हैं। जब रूट सैंक्शन हो जाता है तो वह प्राइवेट बस वाला अपनी बस को वहां चलाना शुरू कर देता है और तीन-तीन मिनट का जो बसों के समय में गैप है, उसके चलते जिस अंधाधुंध स्पीड में बसें चलती हैं, उसके कारण बहुत सारी मातें हो रही हैं।

इसके अलावा एक और विषय रैश ड्राइविंग का है। यह बात ठीक है कि हमारा जो ऊना के साथ लगता हुआ क्षेत्र है , यहां पर ज्यादातर लोग बाबा बालकनाथ, चिन्तपूर्णी माता, मैढ़ी मेले में आते हैं और जो पंजाब के लोग यहां पर आते हैं उनमें ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह की ड्राइविंग होनी चाहिए। इस वजह से ये लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। कई लोगों ने नशा किया होता है, जिसके कारण आज बहुत सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

यहां पर काफी सारे प्वाइंट्स पर बात की गई है। ठीक कहा कि मोबाइल भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण है। आज जितने भी नौजवान हैं ,बाइक ली हुई है और एक हाथ में कान के पास मोबाइल लगाकर वह चला हुआ है। बिना हैल्मेट के चले हुए हैं। जब पता है कि बिना हैल्मेट पहनकर वाहन चलाने पर 50 रूपये ही जुर्माना पड़ेगा तो सब सोचते हैं कि जब फसेंगे , तब पैसे दे देंगे नहीं तो कहीं से किसी नेता का फोन करवा लेंगे। यह जो स्थिति है, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो आप यह ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ला रहे हैं , उसको आप सदन के बीच में लाइए। हम सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। हम उस पर जो भी सही लगेगा, सुझाव देंगे ताकि हम इन दुर्घटनाओं को रोक सके। मेरा इसमें यह भी कहना है कि जैसे शराब पीकर कोई वाहन चलाता है। उसमें तो ऐसा है कि अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को पकड़ लिया जाता है तो उसका चालान कर देते हैं। लेकिन 500 रूपये की पर्ची काटकर क्या उसका ऑफेंस खत्म हो गया? आगे जाकर वही ड्राइवर दुर्घटना करता है। जिससे काफी लोगों की जान चली जाती है। हम ऐसा कानून बनाएं कि

10/12/2014/1435/MS/AG/2

कम-से-कम ऐसा करने वाले को 20 या 25 हजार रूपये का जुर्माना होना चाहिए। हमारे साथ चण्डीगढ़ लगता है। चण्डीगढ़ को जो भी जाता है , वह कहता है कि अब चण्डीगढ़ आ गया है इसलिए सीट बैल्ट लगा लो। यहां पर हमारे डॉक्यूमैंट ठीक होने चाहिए नहीं तो हमारा चालान हो जाएगा। जब हम चण्डीगढ़ के अन्दर ट्रैफिक रूल की अनुपालना कर सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अन्दर क्यों नहीं कर पाते?

क्योंकि यहां पर किसी का डर नहीं है। जबकि यदि हम ट्रैफिक रूल का कड़ाई से पालन करें तो हम मासूम लोगों की जान बचा सकते हैं।

जो बाबा बालक नाथ में दर्शनों के लिए बाहर से लोग आते हैं, हमें उन्हें भविष्य के लिए यह बताना चाहिए कि वे इस तरह के ट्रैक्टर और ट्रकों का इस्तेमाल न करें। अगर ट्रकों का वे इस्तेमाल करते हैं तो वे डबल डैकर बनाकर और छत के ऊपर और छत डालकर न आएं। इस वजह से यहां वाहन इम्बैलेंस हो जाता है। उनकी छत अपने आप ही गिर जाती है और उस वजह से भी मौतें होती हैं। मेरे अपने ही क्षेत्र में ऊना से लेकर जो बंगाणा-बड़सर-भोटा सड़क आती है, वह सड़क बढ़िया बनने के कारण लोग ओवरस्पीड आते हैं। वहां स्पीडब्रेकर न होने के कारण और ट्रैफिक का व्यक्ति न होने के कारण यह कहा जा सकता है कि पिछले दो वर्षों के अन्दर ज्यादा नहीं तो 200-250 एक्सीडेंट वहां पर हुए हैं। हर दूसरे-तीसरे दिन वहां पर एक्सीडैंट होते हैं और कोई न कोई नई जान चली जाती है। अगर वहां किसी गाड़ी का एक्सीडैंट न हुआ हो तो पिछले दिनों वहां साइड बस के इंतजार में लोग खड़े थे,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

10.12.2014/1/440जेके/एजी/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः-----जारी----

बस का इंतजार कर रहे थे। पति-पत्नी बस के इन्तजार में ऊना जाने के लिए खड़े थे लेकिन एक गाड़ी स्पीड से आई और उसकी जो घरवाली थी , उसको उस गाड़ी ने सीधा ही उड़ा लिया। इसी तरह से एक और घटना डेरा बाबा रूद्रा नंद के पास घटी। वह व्यक्ति पुलिस में था और सड़क के किनारे खड़ा था। उसको भी गाड़ी ने टक्कर मारी और उसकी वहीं स्पॉट पर मौत हो गई। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि हमारे ऊना जिला से बड़सर तक की जो सड़क है वहां पर ऊना से बंगाणा के अन्दर लगभग एक ट्रेफिक का हवलदार है और एक साथ में होम गार्ड दिया हुआ है, वहां पर ट्रेफिक की स्ट्रैंथ को बढ़ाया जाए। जगह-जगह तो सम्भव नहीं हो सकता लेकिन चौक के ऊपर जो गाड़ी ओवर स्पीड में आती है उसको रोका जाए ताकि वहां पर एक्सिडैंट्स कम हो। ऊना से लेकर बड़सर तक जहां पर ब्लैक स्पॉटस हैं , जहां पर कई बार एक्सिडैंट हो चुके हैं वहां पर कम से कम स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाएं। वहां पर स्पीड़ ब्रेकर लगाने से एक्सिडैंट कम होंगे। कई जगह बहुत ही ज्यादा साईन बोर्डज़ लगे हैं वह भी इन एक्सिडैंट्स का एक कारण हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी अब एक बड़ी समस्या यह हो

गई है रोड़ के ऊपर ढाबे वालों ने बहुत बड़ा-बड़ा लिख करके साईन बोर्ड लगा दिये हैं और उससे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है ,उसके कारण भी एक्सिडैंट हो रहे हैं। बिना परमिशन के ढाबे वाले अपना साईन बोर्ड लगा रहे हैं। सड़क के ऊपर जो इस तरह के बोर्डज़ लगे हैं आप आदेश दो कि ऐसे बोर्डज़ वहां से तुरन्त हटा दिए जाएं। बंगाणा के अन्दर ट्रेफिक विंग में दो-तीन लोग और बढ़ाए जाएं। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे एरिया में गोविन्द सागर झील है। वहां पर हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि लठानी-मंदली पुल डाला जाए। लठानी-मंदली पुल तो वहां नहीं डाला गया लेकिन कम से कम जो किश्तियां वहां पर चलती हैं उनको ब्लॉक बी0डी0सी0 ऑपरेट करता है। आप उसके लिए कम से कम निर्देश तो दें कि कल को यदि वहां पर कोई घटना घट जाती है उसकी वहां पर कोई इन्श्योरैंस नहीं होती है, उनकी वहां पर कोई भी सेफ्टी नहीं है। वहां पर कुछ न कुछ सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और उनकी भी वहां पर इन्श्योरैंस हो। इसी तरह से हमारे वहां पर जो सड़कों में ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित करके सुधारा जाए। हमारे रोड़ के ऊपर बहुत सारी मौतें आवारा पशुओं के कारण भी हो रही हैं। जंगली जानवरों के कारण भी हो रही है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पग उठाए जाएं ताकि एक्सिडैंट्स

10.12.2014/1/440**जेके/एजी**/2

कम किए जा सके। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जो समय मुझे मिला और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो मैंने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सुझाव दिए हैं ,उनके बारे में सरकार चिन्ता करेगी और शीघ्रातिशीघ्र प्रभावी कदम उठाएगी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम -130 के तहत माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो विषय उठाया है कि प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें। इस बारे में चर्चा के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

सड़क दुर्घटनाओं में पिछले दो सालों से पूरे प्रदेश में बढ़ौत्तरी हुई है, वही सैंकड़ों लोग इन दुर्घटनाओं में मर चुके हैं विशेषकर जिला सिरमौर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---- ---

10.12.2014/1445/SS-JT/1

श्री बलदेव सिंह तोमर क्रमागतः

पिछले डेढ़ साल में जिला सिरमौर में 5 बसों की बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें से 4 दुर्घटनाएं हमारे रेणुका विधान सभा क्षेत्र में हुई हैं जहां से हमारे माननीय विधायक, श्री विनय जी सी0पी0एस0 भी हैं और लोक निर्माण विभाग में माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ अटैच्ड हैं। उस क्षेत्र में 4 दुर्घटनाएं हुई हैं। एक दुर्घटना जम्लोग में हुई है, उस बस में मात्र 21 लोग थे। उसमें सब की सब सवारियों की मौत हुई है। उसमें एक भी यात्री बचा नहीं। दूसरी भराड़ी में हुई, जिसमें 20 लोगों की मत्यु हुई। तीसरी, अभी पिछली दिवाली में ही हरिपुरधाए के पास एक बस गिरी। उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अक्सर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। पिछले दिनों एक मिल्ला रोड पर एक प्राइवेट बस गिरी, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 42 लोग उसमें घायल हुए। यह बहुत ही गम्भीर विषय है कि जिला सिरमौर में बसों की इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है ? जहां तक प्लेन एरियाज़ की बात है वहां सड़कें लगभग ठीक हैं और ऑवर स्पीड की वजह से एक्सीडैंट होते हैं लेकिन हमारे दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि जो सड़कें बनीं उसका ग्रेड ठीक नहीं है। आधी सड़कें ऐसी हैं जो अभी पास नहीं हुई हैं लेकिन उसमें यूटिलिटी यानी जो खुली जीपें होती हैं वे चलती हैं। उनमें रोज़ 40 और 50 लोग भर कर एक गांव से दूसरे केन्द्र जैसे शिलाई, टिम्बी, कफोटा है वहां आते हैं। कई बार जब हम रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि कच्चे रास्तों में गाड़ियों में साइड में बच्चे लटके होते हैं। जो टायर के ऊपर मरगाड़ होता है उसके ऊपर भी बच्चे पीठ पर बस्ता लेकर खड़े होते हैं। ऐसी खतरनाक सड़कों में जो इस तरह की सवारियां चली हैं उसके विषय में न हमारा प्रशासन गम्भीर है और न हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग गम्भीर है। जो बसें उस क्षेत्र में चलती हैं अभी पिछले दिनों मिल्ला गांव में जहां पर एक्सीडैंट हुआ था वहां मैं गया था। वहां मुझे लोगों ने बताया कि जो यहां बसें आती हैं वे बहुत पुरानी प्राइवेट बसें हैं। कई बार जब रात में आती हैं तो उसमें एक आदमी आगे मोबाईल की टॉर्च लगाता है तो बस चलती है या बैटरी लगाकर बस को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। इतना बड़ा रिस्क उस क्षेत्र में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार के अधिकारी हैं जो जिला मुख्यालय में परिवहन विभाग के आर0टी0ओ0 बैठे हैं, वे कभी भी दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। वे मात्र पांवटा या नाहन में चैकिंग

करते हैं। जहां उनके रहने की व्यवस्था होती है या जिला मुख्यालय तक रहते हैं। हमारे दुर्गम क्षेत्रों में उनका कभी भी दौरा नहीं होता है। कभी वे गाड़ियों की चैकिंग

10.12.2014/1445/SS-JT/2

नहीं करते। कभी वे गाड़ियों की फिटनैस को चैक नहीं करते। ड्राईविंग लाइसैंस को चैक नहीं करते। ऐसी विकट परिस्थितियां हो गई हैं कि लोगों को मजबूरी में घर जाना पड़ता है। काम के लिए पांवटा आना पड़ता है या नाहन जाना पड़ता है। इनको बस में तो जाना ही पड़ेगा या फिर यूटिलिटी में वापस आना पड़े। ऐसी परिस्थितियां हमारे पूरे क्षेत्र में हैं। उसके अलावा पांवटा विधान सभा क्षेत्र है वहां पर हर 3 या 4 दिन में एक दुर्घटना हो रही है। एकमात्र एरिया बाता पुल से लेकर गोविंदघाट तक लगभग वह 3 किलोमीटर का एरिया है। वह सड़क नेशनल हाईवे में आती है। उस सड़क पर बहुत ट्रैफिक हो गया है जबकि सड़क की चौड़ाई भी बहुत है। लेकिन उसमें इतना ट्रैफिक हो गया है कि रोज एक्सीडैंट हो रहे हैं। हर तीसरे या चौथे दिन वहां पर एक मौत एक्सीडैंट के कारण हो रही है। उसका कारण यह है कि सड़क पर डिवाईडर नहीं लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बातापुल से लेकर गोविंदघाट तक का जो तीन किलोमीटर का एरिया है उस सड़क पर डिवाईडर लगाया जाए। वहां पर लाइट सिग्नल लगाए जाएं ताकि वहां पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण सड़कों की खराब हालत है। भाई विनय जी , सी0पी0एस0 हैं। उनका क्षेत्र रेणुका, जिला सिरमौर है..

जारी श्रीमती के0एस0

/1450 /10.12.2014केएस/एजी/1

श्री बलदेव सिंह तोमर जारी---

हमारे भाई विनय जी, सी.पी.एस. हैं, इनका चुनाव क्षेत्र रेणुका, जिला सिरमौर है। वहां की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। उनके रख-रखाव के लिए कृपया आप सरकार से प्रावधान कराइए। वहां पर जो मोड़ कटने हैं, उनको ठीक करिए। हमारी एक प्रमुख सड़क एन.एच. 72-बी है, लाल ढांक से शिलाई होते हुए जो रोहड़ू तक जानी है, उसकी हालत बहुत खराब है। उसके दो टैंडर हो चुके हैं। एक 0 से 46 तक का है। उसमें काम लगा हुआ है। अच्छा ठेकेदार है, बढ़िया काम कर रहा है लेकिन जो 46 से 109 शिल्ला से खड़स पुल तक जो सड़क का निर्माण कार्य होना है उस

सड़क की हालत ऐसी है, एक साल पहले उस सड़क का टैंडर हुआ था। कोई उत्तराखंड का ठेकेदार है लेकिन अभी तक वह वहां कार्य देखने नहीं आया है। उसने आगे सबलैट करके कुछ-कुछ पार्टियों को काम दिए। उन लोगों ने सड़कों पर रोड़ी के ढेर लगा दिए हैं और उसके बाद उनको उस ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए इसलिए अब वह काम भी बन्द है। किनारों में बस जाने के लिए बहुत ही कम जगह बची है। अगर किसी दूसरी गाड़ी को पास लेना होता है तो कई-कई किलोमीटर उनको पीछे जाना पड़ता है। इससे दुर्घटना की सम्भावनाएं बढ़ रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खनन का कार्य भी है। वहां पर चूना पत्थर की खानें हैं। बहुत सारे ट्रक वहां पर काम पर लगे हुए हैं और वहां पर बहुत सारे ट्रक एक्सीडैंट होते हैं। कभी भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से कोई ऐसा कैम्प नहीं लगाया गया जिससे वहां के ड्राईवरों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको नियम बताए जाएं। नियम नाम की कोई चीज़ उनको पता नहीं है। वहां पर बहुत सारे ड्राईवर बिना लाईसैंस के ट्रक चलाते हैं, शराब पीकर ट्रक चलाते हैं लेकिन उनकी चैकिंग करने वाला कोई नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि उस क्षेत्र में सैंकड़ों ट्रक खनन के कार्य में लगे हैं, आप वहां पर कोई विशेष कैम्प लगाएं। शिलाई विधान सभा के क्षेत्र सतौन में कमरऊ बैल्ट में बनौर क्षेत्र में बहुत सारे ट्रक चलते हैं वहां पर आप विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान करें ताकि सड़क और ट्रांसपोर्ट के नियमों के बारे में उनको पता चल सके। जो हमारे यहां पर बसें चलती हैं उनमें, जैसे कि

/1450 /10.12.2014**केएस/एजी**/2

हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्राईवेट बसों के टाईम-टेबल के बारे में कहा कहा कि जो प्राईवेट बसें हैं, उनमें इतनी भागदौड़ मची होती है, जो हमारे मिल्ला में एक्सिडैंट हुआ, वह इसी वजह से हुआ कि उसे आगे टाईम पकड़ना था। दूसरी बस वहां से आनी थी इसलिए वह बहुत तेजी से बस चला रहा था। तेजी के कारण वह बस सड़क से बाहर चली गई जिसमें 18 लोग मर गए। कृपया आप आर.टी.ओ. को आदेश दें, मैं खुद भी उनके पास गया था, वे क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से बसों का टाईम-टेबल चेंज कर देते हैं। मात्र पांच-पांच मिनट का समय उन्होंने बसों में दिया हुआ है। जैसी हमारे वहां पर सड़कें हैं, पांच मिनट में बस भगानी है तो निश्चित रूप से खतरा बना रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया वहां की सड़कों को

देखते हुए ऐसा टाईम-टेबल सैट करवाएं ताकि उन बसों को इतनी भाग-दौड़ न करनी पड़े और सवारियों की जान सुरक्षित रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप उस क्षेत्र का दौरा भी अवश्य करें। उस क्षेत्र में बसों की हालत बहुत ही खराब है। ड्राईवर कोई ट्रेंड नहीं है। वहां बिना लाईसैंस के ड्राईवर चलते हैं। उस रूट में बसों में बहुत ओवर लोडिंग हमेशा होती है। छतों के ऊपर हमेशा सवारियां होती है। बहुत सारे लोग वहां फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए पांवटा साहब आते हैं। एच.आर.टी.सी. की बसें हमारे क्षेत्र में न के बराबर हैं । मात्र दो बसें या तीन बसें उस क्षेत्र से गुजरती है बाकी कोई एच.आर.टी.सी. की हमारे क्षेत्र में बस नहीं है और प्राईवेट बस वाले अपनी मन मर्जी से जो उनको टाईम सूट करता है उस हिसाब से बस ले जाते हैं। कृपया आप जो मैंने यहां पर बातें रखीं, आप इन पर गौर करें। जो माननीय सदस्य ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने यहां पर विषय लाया है, यह बहुत ही गौर करने का विषय है और जो इसमें बातें रखी गई हैं, इसमें माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें क्योंकि यह आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है, जन भावना से जुड़ा विषय है। शहरों में तो लोगों के पास अपनी गाड़ियां होती है लेकिन

/1450 /10.12.2014केएस/एजी/3

पहाड़ों में सभी लोगों को बसों में सफर करना पड़ता है। उनको बसों से ही आना - जाना पड़ता है इसलिए पहाड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 की बारी में---

10.12./1455/10.12.2014 jt/av1/

उपाध्यक्ष : अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री राजेश धर्माणी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) :उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने यहां नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपने मुझे उस पर बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

यह जो वाहन दुर्घटनाओं से सम्बंधित प्रस्ताव माननीय महेन्द्र सिंह जी यहां पर लाए हैं यह लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। लोगों की जान से जुड़ा है और लोक हित का मुद्दा है। लेकिन जैसे-जैसे इन्होंने विचार रखे ये लोक हित के मुद्दे से हटकर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगे तथा उससे भी आगे बढ़कर इसको एक निजी स्कोर सैटल करने के स्तर तक ले गये। मुझे लगता है कि जिस मन्शा से प्रेरित होकर आप इस प्रस्ताव को यहां पर लाए थे, आप उस उद्देश्य को छोड़ गए। आपके दिल में जो मन्शा छुपी थी वह बाहर आकर प्रकट हुई। आप इस प्रदेश के परिवहन मंत्री रहे हैं। मगर जो चिन्ता आप आज के समय में कर रहे हैं अगर यह चिन्ता आपने दो वर्ष पहले कर दी होती तो शायद जो स्थिति आज है वह नहीं होती। आपके समय में ड्राइवर्ज की भर्ती हुई। एच.आर.टी.सी. की जो बसें ऐक्सिडैंट्स में इनवॉल्व हुई उनके बारे में हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे। ये बताएं कि जो आपके समय में भर्ती हुई उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐक्सिडैंट किए हैं। कम-से-कम कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में चाहे पहले की बात है या वर्तमान की बात है ; ड्राइवर्ज को सिफारिश के आधार पर भर्ती नहीं किया जाता। लेकिन आपके कार्यकाल में ऐसी सूचनाएं मिलती थीं। आपके समय में ऐसे बहुत सारे ड्राइवर भर्ती हुए हैं जिनको ड्राइविंग स्किल के आधार की बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया गया है। जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। चाहे वह निजी वाहन है या एच.आर.टी.सी. की बसें हैं; जिसकी जान जाती है उसके लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है। परिवहन मंत्री कौन है। मगर जिसके घर से किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से जो लॉस होता है या फिर जो पर्मानैंट डिसेबल

10.12./1455/10.12.2014 jt/av2/

होता है; वह लॉस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों होता है और उसको कैसे बचाया जाए ; यह चिन्ता का विषय है। आज हमारे देश के अंदर लगभग 1,30,000 मौतें हर वर्ष सड़क दुर्घटना में हो रही है। विश्व के जिन दो-तीन देशों में सबसे ज्यादा सड़क ऐक्सिडैंट्स में जो मृत्यु होती है उन देशों में हमारा देश भी शामिल होगा। हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहां ऐक्सिडैंट्स की संख्या काफी है मगर इसको पार्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आपने सड़क दुर्घटनाओं को भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल तक सीमित कर दिया। आपने इसको सामान्य तौर पर डिसकस नहीं किया। आपने

कहा कि दो सालों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं मगर दो सालों से पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जब आप इस प्रस्ताव पर बोलेंगे तो आप यहां पर आंकड़े दें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी तो उस वक्त कितने-कितने ऐक्सिडैंट हुए। कितने लोगों की मृत्यु हुई ,कितने डिसेबल हुए और कितने इनजर्ड हुए। इसको हम किसी पार्टी के कार्यकाल तक सीमित न करे। जो इस प्रस्ताव के माध्यम से आपकी मन्शा प्रकट होनी चाहिए थी , वह नहीं हुई। परिवहन मंत्री के तौर पर आपको काफी ऐक्सपोजर मिला होगा। हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे लेकिन आपके भाषण में वह चीज रिफलैक्ट नहीं हुई। कोई भी कंकरीट सुझाव आपकी तरफ से नहीं दिया गया। यह ज्यादा ----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1500/10.12.2014नेगी/जे.टी./1

मुख्य संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेश धर्माणी) ..जारी...

यह ज्यादा बोल गए। जो शब्द इस्तेमाल किए गए, वह आपको शोभा नहीं देता है। किसी व्यक्ति को यह कहना कि हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी को रात को दिखाई देता है , दिन में दिखाई नहीं देता। पता नहीं आप किससे तुलना कर रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे? अगर इनका एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेन्ट में हम आपसे सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, कम से कम मैं तो आपसे यह उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आप इस हाऊस के वरिष्ठ सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य न भी हों, एक्सीडेन्ट किसी का भी हो तो सभी लोग उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं और आपने उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। उसमें भी आप इस स्तर तक चले गए और कहा कि कि ड्राईवर के पट पर हाथ रख दिया। ड्राईवर के लैफ्ट साईड हैंडब्रेक होती है। जो व्यक्ति फ्रंट सीट पर बैठा होगा उसके राईट साईड को हैंडब्रेक आएगी । एक्सीडेन्ट के समय अपने बचाव में व्यक्ति जो भी पॉसिबल होगा उसको करता है। मैं नहीं समझता कि इस बात को यहां पर रखने की जरूरत थी । लेकिन आपने रख दिया। उसमें मैं नहीं समझता कि परिवहन मंत्री जी को कोई घाटा हुआ होगा। लेकिन आपका जो निजी द्वेष है वह इससे झलकता है। आपके विचार से वह शोभा नहीं देता था।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक्सीडेन्ट के कई कारण हैं, जैसे आपने जिक्र किया, मोबाइल भी एक कारण है, ओवर स्पीड भी एक कारण है और ओवर लोडिंग भी एक कारण है । आज जो लाईसैंस बनते हैं, बहुत सारे लाईसैंस ऐसे बनते हैं जो

फेक भी पाए जाते हैं। जब से फोटो लेने लगे हैं तब से इसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। अब उसका टैस्ट भी लेते हैं । इसमें कहीं न कहीं हम सबको अपने ऊपर भी नियन्त्रण लगाना पड़ेगा। आपको मिल करके 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी, मैं भी उसमें शामिल हूं ,आप लाईसैंस बनाने के लिए कभी किसी की सिफारिश न करें। जब वैहिकल की फिटनैस सर्टिफिकेट इशू होता है या उसकी पासिंग होती है, खासकर पैसेन्ज़र वैहिकल्ज़ या गूड़ज कैरिज़ ट्रांसपोर्ट वैहिकल्ज़ की, जो हैवी वैहिकल है या स्मॉल वैहिकल है, उसकी पासिंग के लिए आप कभी सिफारिश न करें। तीसरा, अगर किसी का चालान कटता है तो उसको चालान से बचाने के लिए भी सिफारिश न करें। मैं नहीं समझता कि आपने इस बारे में कभी सिफारिश न की होगी। क्योंकि आप बार-बार जीत रहे हैं, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि आपके सामने,

/1500/10.12.2014नेगी/जे.टी./2

आपके ध्यान में जो भी बातें आती हैं आप उनको करते हैं। आगे से आप न करें हम आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि आप परिवहन मंत्री रह चुके हैं। ...(व्यवधान) ... सही तरीके से जीते। हमने नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया। मैंने आज दिन तक नहीं किया। ...(व्यवधान0 ..नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ....(व्यवधान) ...मैंने यह नहीं बोला । इन्होंने नहीं किया तो ठीक है। लेकिन साथ में, जब यह लोक निर्माण मंत्री थे , मंत्री तो पूरे प्रदेश के होते हैं लेकिन उस समय इनके चुनाव क्षेत्र के लोग ही ज्यादा भर्ती हुए थे । पिछली बार जब यह परिवहन मंत्री थे तो बस सहायक रखे गए इसका भी मंत्री जी जवाब दें कि इनके चुनाव क्षेत्र से संबंधित कितने लोग रखे गए? क्या सिर्फ धर्मपुर के ही लोग इंटेलिजेंट थे बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं थे? इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। इससे भी जीतने-हारने का संबंध होता है । लेकिन हम यह नहीं बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं। लेकिन हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हमने फेयरडील से ही इलैक्शन लड़े और चुनाव जीते हैं। हम इनसे भी यही दुआ करते हैं कि यह भी ऐसा ही करें।

अध्यक्ष महोदय ,दूसरा, ड्राइविंग स्कूल हैं। ड्राइविंग स्कूल आपके समय में भी खुले हैं । बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल सिर्फ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। माननीय मंत्री जी इसपर चैक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है । कॉमर्शियल वैहिकल्ज़ का लाईसैंस बनाने के लिए ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट होना कम्पलसरी है। लेकिन वहां पर सिर्फ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जो ड्राइविंग स्कूल खुले हैं वे सिर्फ पैसे बनाने का एक

ज़रिया बन गये हैं। वास्तव में लोग ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको सर्टिफिकेट इशू हो। आज की डेट में इस चीज़ को इनश्योर करने की जरूरत है। एक्सीडेन्ट का कारण, यहां पर बाकी जो बातें हुई है उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में क्योंकि सड़कों में कई जगह पार्किन्ग की व्यवस्था नहीं है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1505/2014-12-10**यूके/जेटी**/1

श्री मुख्य संसदीय सचिव, श्री राजेश धर्माणी --जारी----

सड़कों के नज़दीक कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है । लेकिन पार्किंग की जरूरत है। ज्यादातर रोड साईड पर पार्किंग है जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं होती। तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। खासकर के जहां छोटे टाऊन है, जो शहरी क्षेत्र में नहीं आते हैं, ऐसे भी टाऊन जो शहरी क्षेत्रों में हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्किंग की व्यवस्था करने की जरूरत है। कई आईडल या कंडम व्हिकल ऐसे है जो रोड साईड पर परमानेंट पार्क हो गए हैं,उनको भी वहां से हटाने की जरूरत है। एक और चीज़ मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि करीब 75000 ट्रक हमारे हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, प्राईवेट बसें बहुत हैं, टैक्सी हैं और भी कई तरह के व्हिकल यहां पर चलते हैं। टैक्सी ड्राईवर और बस ड्राईवर को एक सामाजिक सुरक्षा के अन्दर लाने की जरूरत है। मैने जब माननीय महेन्द्र सिंह जी परिवहन मंत्री थे तब उनसे भी आग्रह किया था, लेकिन अभी तक इसमें आपने कोई काम किया नहीं है। अब मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अब इसको राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाया जाए या कोई ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत उनको लाया जाए, वरना उनकी ऐक्सप्लायटेशन बहुत ज्यादा है। ट्रक ड्राईवर 15-15या 18-18 घंटे ड्राईविंग करते हैं। टैक्सीं ड्राईवर भी ऐक्सेसिव टाईम तक वर्क आवर फीड करते है तो उससे भी कहीं न कहीं उसका असर पड़ता है। आजकल जितने ऐक्सीडैंट्स हो रहे हैं यदि उनका विशलेषण करें तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.9 प्रतिशत ऐक्सीडैंट्स ह्यूमन ऐरर की वजह से होते हैं। मानवीय गलतियों की वजह से जब ऐक्सीडैंट्स होंगे तो कहीं न कही उसमें उनकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति काफी हद तक निर्भर करती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनकी चिंता को भी दूर करें। यदि उनको एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और उसके लिए और भी बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत है चाहे जैसे हमारे बरमाणा में सीमेंट की फैक्ट्री है और बाकी जगह पर भी

हैं, बड़ी मात्रा में वहां पर ट्रक पार्क होते हैं, वहां पर उनके लिए सुविधाएं जनरेट की जाएं ताकि उनको रेस्ट प्रॉपर मिल सके। वर्किंग ऑवर भी उनके स्ट्रिक्ट किए जाएं। यह सब प्रावधान करने की जरूरत है। यहां पर एक बात कही गयी कि माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से डीजल और पैट्रोल के दाम कम हुए हैं। ये मोदी जी की वजह से नहीं हुए हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल के मूल्य कम हुए हैं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनो। जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे।

/1505/2014-12-10यूके/जेटी/2

इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य कम हुए उसकी वजह से हुआ है। माननीय परिवहन मंत्री जी बताएं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य कितने परसेंट कम हुए हैं ? लगभग 40 परसेंट कच्चे तेल के मूल्य कम हुए हैं, लेकिन जो आपने किया है। आपने व्यवधान....

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज बीच में न बोलें। Please keep quiet. Let him speak.

मुख्य संसदीय सचिव,(श्री राजेश धर्माणी) :वर्ष 2006-07 में जो रेट कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में थे, उस वक्त 40-45 रुपए प्रति लिटर पेट्रोल का रेट था और 35-36 रुपए प्रति लिटर डीजल था, उस समय जो कच्चे तेल के भाव थे अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर वह आज से दुगुने थे। हम इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाए कि वर्ष 2006-07 में जो रेट थे उस रेट पर डीज़ल और पेट्रोल बेचा जाए। लोगों के साथ जो लूट मचाई जा रही है उस लूट को रोका जाए। आपने जो वायदे किए थे, आप उन वायदों को निभाओ। यह तो अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य कम हुआ है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी -----

10.12.2014/1510/SLS-AG-1

माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री राजेश धर्माणी....जारी

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य जितने कम हुए हैं, आप उसका लाभ लोगों को नहीं दे रह हैं। यह लोगों के साथ सरेआम चिटिंग है। आप इस चिटिंग को बंद करें। जब चिटिंग बंद होगी तभी रेट कम होंगे। (व्यवधान) निश्चित तौर पर हमारे परिवहन मंत्री और मुख्य मंत्री जी इस बारे में फैसला लेंगे और यहां पर भी रेट

कम होंगे, लेकिन अक्साईज ड्यूटि भी कम की जानी चाहिए ताकि उसका लाभ लोगों को मिले। (व्यवधान) तब करेंगे जब आपकी केंद्र की सरकार अक्साईज ड्यूटि कम करेगी। आपने वहां अक्साईज ड्यूटि दो-दो बार बढ़ा दी। जो मैनेजमैंट का खर्चा था उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। जो इंडियल ऑयल कंपनीज हैं आप उनके लाभ की चिंता कर रहे हैं, आप लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) आप बताएं कि जब सोर्स पर ही कच्चे तेल का रेट कम हो गया ,40% रेट कम हो गए तो आप क्यों 40% रेट कम नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि जो डायरैक्ट बैनेफिट ट्रांसफर की स्कीम थी वह गलत थी। फिर अब आपने क्यों उसको शुरू किया ? जो गैस की सब्सिडी सीधे तौर पर उपभोक्ता को देने की बात थी ,अब उसको क्यों शुरू किया? (व्यवधान) जब आप विपक्ष में थे तो आपको सारी चीजें गलत नज़र आती थी, अब उनको अपनाना शुरू कर दिया। हम इस सदन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि केंद्र सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेट कम हुए हैं, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए, अदरवाईज फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा है। फील गुड फैक्टर केवल भाजपा के नेताओं तक सीमित हो गया है और भाजपा के भी कुछ नेताओं तक ही सीमित हो गया है जबकिं कइयों को फील बैड फैक्टर भी हुआ है। (व्यवधान)

यहां पर हमारी सरकार ने पिछली बार एक बड़ा अच्छा फैसला लिया था जिसकी आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने निंदा की। (व्यवधान) जो बातें इन्होंने की हैं, मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। थोड़ा-बहुत काऊंटर तो हमें भी करना ही पड़ेगा।

श्री महेन्द्र सिंह जी ने एक बात की। उन्होंने वोल्वो बसों की तारीफ नहीं की बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर क्रिटिसाईज किया कि वोल्वो बसों की ज़रूरत नहीं है। (व्यवधान) आपने कहा कि इनमें अमीर लोग चलते हैं, यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के काम नहीं आती हैं। हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते थे क्योंकि आप परिवहन मंत्री रहे हैं। सड़कों में भीड़ कम हो ,

10.12.2014/1510/SLS-AG-2

इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैटर करना बहुत ज़रूरी है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी जो पूर्व सरकार थी ,उस समय यह फैसला लिया था और उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश ने ही सबसे पहले वोल्वो बसें चलाई थीं जिनकी वजह से लोगों ने निजी वाहनों का प्रयोग करना बंद कर दिया और आज बहुत सारे माननीय सदस्य

इस बस के माध्यम से ,चाहे दिल्ली जाना हो या और किसी जगह जाना हो, इसके माध्यम से जाते हैं। आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिए। आपके समय में जो बसें ली गईं, उनकी हालत क्या थी ? उनका तो रंग भी एच . आर. टी. सी. के साथ नहीं मिलता था। जो बसें पैरा मिलिट्री फोर्सिज ने रिजैक्ट कर दी, उनको आपने ले लिया। (व्यवधान) सी. पी. एस. भी विधायक ही होता है। हमारी सरकार ने जो बसें ली वह अभी तक चली हैं। आपने कहा कि उनकी हाईट ज्यादा है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बॉडी फैबरीकेशन के लिए काम करती है। उसका नाम है मार्को पोलो। (व्यवधान) मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं केवल प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं और वही बात कर रहा हूं। मार्को पोलो कंपनी का सबको पता है क्योंकि हरेक बस की बॉडी के ऊपर उसका मार्क लगा हुआ है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब यह बसें पहली बार लाई गई थीं, ...

जारी ....श्री गर्ग

10/12/2014/1515/RG/JT/1

मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी)---- क्रमागत

तब ये बसें पहली बार लाई गई थीं ,इन बसों को यहां बाहर लाया गया था और विधान सभा के कॉम्पलैक्स में सभी माननीय सदस्यों को कहा गया था कि आप इसको देखें, इनका निरीक्षण करें और अगर कोई भी कमी हो, तो उसको प्वाइंट ऑउट करें। आपकी तरह ऐसा नहीं किया था कि जो ब्रॉउन कलर की बसें थीं ,वे पता नहीं कब धीरे-धीरे इन्ट्रोडियुस होती गईं और आज उन बसों की हालत बहुत खराब है। वे इतनी सुविधाजनक नहीं है। जितनी ये नई बसें हैं ये बैटर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बस रूट्स की बात है ,तो आपके (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) समय में लगभग 200 बस रूट्स बन्द हुए। मैंने भी आपसे अनुरोध किया। क्योंकि जब आप मंत्री नहीं थे और हमारे कमेटी के चेयरमैन थे ,उसमें मैं भी सदस्य रहा था। इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया कि धर्मपुर से दिल्ली आप बस चला रहे हैं ,तो जाहू से मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर चलाएं। आपने मुझे कहा कि आप जाहू में आना और यहां से बैठकर चले जाना। मैं भी चाव-चाव में दिल्ली तक चला गया और जब वापसी की बात आई, तो मैंने कहा कि भराड़ी का टिकट दे देना, तो उन्होंने कहा कि यह तो चेन्ज हो गई और कहा भराड़ी वाला रूट अब काट दिया। इसको दुबारा से श्री इन्द्र सिंह जी के चुनाव क्षेत्र से होकर शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार मात्र एक दिन के लिए बस चलाई गई जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हमारे माननीय मंत्री जी ने बसें चलाई हैं और जो रूट बन्द किए थे,

उनको चलाया है। दूसरा एक काम आपने परिवहन मंत्री के तौर पर अच्छा किया था(श्री महेन्द्र सिंह की ओर इशारा करते हुए) जब पूर्व में हमारी सरकार थी, तो पूर्व में एक फैसला लिया गया था कि जो लोग दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं ,वह चाहे किसी भी तरह की दुर्घटना न हो या कोई और प्राकृतिक बीमारियां हैं या कोई गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, उसको अस्पताल जाने के लिए और अस्पताल से वापस आने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान था। आपने एक बहुत ही महान कार्य किया था कि उस मुफ्त यात्रा की सुविधा को बन्द कर दिया था। ऐसे गरीब असहाय लोगों को और इनमें वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्ति भी होते थे , उनको मुफ्त सुविधा दी गई थी। हमने बार-बार इसको विधान सभा में उठाया। जब पिछली विधान सभा का जो आखिरी सत्र था उसमें मैंने यह कहा था कि यदि आप इस फैसले को वापस लेंगे, तो हो सकता है कि आपके

10/12/2014/1515/RG/JT/2

थोड़े-बहुत चांस मिशन रिपीट के बन जाएं। नहीं तो आप मिशन रिपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने वही किया इसलिए आप पीछे रह गए। परन्तु हम अपनी वर्तमान सरकार के धन्यवादी हैं कि सरकार बनने के एकदम बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला किया कि जो सुविधा उन गरीब लोगों के लिए दी गई थी उसको दुबारा से बहाल किया गया और आज भी उन गरीब लोगों को सुविधा मिल रही है। उसमें कैंसर पीड़ित लोग भी हैं और जो दुर्घटनाओं के घायल व्यक्ति होते हैं उनको भी यह सुविधा दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां माननीय कौंडिल जी ने बात की कि जो दुर्घटना हुई वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि समय से पहले इस दुनिया से बहुत से नौजवान चले गए ,उसमें बच्चे ज्यादा थे। लेकिन जैसा इन्होंने खड्डे के बारे में कहा, तो वहां खड्डा कोई नहीं था ,यह सच्ची बात है। जिस जगह दुर्घटना हुई, वह खड्डे के कारण नहीं हुई। यह पूरी तरह से ड्राईवर की गलती के कारण दुर्घटना हुई है। वह एक ऐसा स्पॉट है कि इस दुर्घटना से पहले वहां कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। आप इसका रिकॉर्ड चैक करा लें कि वहां इससे पहले कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। हम माननीय मुख्य मंत्री जी एवं परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि जैसे ही इनके ध्यान में यह बात आई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे ही दुर्घटना हुई ,तो तुरन्त वहां हैलीकॉप्टर रैसक्यु ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए डिपलॉय किया गया ,

डी.जी.पी. साहब और प्रिंसीपल सैक्रेटी (रैवेन्यु) को वहां भेजा गया और हैलीकॉप्टर वहां स्टेण्ड बाई रखा गया कि अगर किसी घायल व्यक्ति को पी.जी.आई., टाण्डा या इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला ले जाना है, तो ले जाया जा सके जिससे उसको तुरन्त सहायता मिल सके। लेकिन यह अलग बात है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जो घायल थे वहीं उनका इलाज हो गया।---------------जारी

एम.एस.द्वारा जारी

10/12/2014/1520/MS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडलः उस हैलीकॉप्टर से अधिकारी लोग आए।

श्री राजेश धर्माणीः नहीं, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जाना तो था ही। परमानैंट थोड़े ही स्टेशन में रहना था। वह जब गए, उस समय तक जितनी भी डैड बॉडिज थी, उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद मैं भी जिला अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल गया हूं। वहां घायल व्यक्तियों से मिले और उसके बाद ये फिर वहां से शिमला के लिए गए हैं। सी0एम0ओ0 और बाकी डॉक्टर्ज ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो घायल हैं ,उनका उपचार वहीं पर संभव है। इसके लिए उनको बाहर या किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें जो भी सरकार की तरफ से एक इमीडियेट जो मिनिमम टू मिनिमम रिएक्शन टाइम था, उसमें सरकारी एजेंसीज ने रिस्पोंड किया है। जैसे ही मुझे पता चला हमने शीघ्र ही पुलिस को इन्फोर्म किया और शीघ्र ही हमारे पुलिस प्रशासन ने जो भी अस्पताल में व्यवस्था करनी थी, की गई। लेकिन पानी में डूबे हुए व्यक्ति के लिए तो पांच मिनट का समय भी बहुत है। दुर्भाग्य से बाकियों को नहीं बचाया जा सका। लेकिन सरकार की तरफ से जो बन सकता था, वह किया गया। माननीय मंत्री जी वहां पर अपने आप भी गए। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आए और बिलासपुर और घुमारवीं में घायल व्यक्तियों से मिले हैं। सरकार की तरफ से जो सहायता मिल सकती है वह भी दी गई। इसके अलावा राशन का जो प्रबंध था और अपनी तरफ से भी 5000 रूपये का प्रबंध हरेक व्यक्ति के लिए माननीय परिवहन मंत्री जी ने किया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे समय और ऐसी दुर्घटनाओं को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। हम सबकी बेहतरी के लिए काम करे।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

खासकर जो वरिष्ठ सदस्य हैं जो मंत्री रहे हैं, हम खासकर उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि जब भी कोई वे कोई ऐसा इश्यू लाएं तो ऐसे इश्यू को लाते समय उसकी गम्भीरता और उसकी सही मंशा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए ताकि सिस्टम में सुधार

10/12/2014/1520/MS/AG/2

लाया जा सके। मैं इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जैसे रोड साइड पार्किंग की वजह से भी और बाकी जगह भी खासकर जो हमारे छोटे टाउन हैं या ग्रामीण क्षेत्र के सर्कल में भी जो टाउन डवलप हो गए हैं, वहां पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि जब वे सड़क पर चलते हैं तो पैदल यात्री भी कई बार वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसके लिए भी आप जरूर व्यवस्था करे। इसके अलावा जहां पर स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई पब्लिक प्लेसिज हैं, जहां बसें रूकती हैं, एक निर्देश परिवहन विभाग को भी दिया जाए और पुलिस विभाग को भी दिए जाएं कि कोई भी बस, टैक्सी या दूसरी जो व्हिकल है, वे रोड पर सवारियां चढ़ाने और उतारने के लिए खड़ी न करे। अगर किसी को सवारियां चढ़ानी या उतारनी है तो रोड के बाहर जो उसका कच्चा पोर्शन है, उसका इस्तेमाल करे। उसको ले-बाई बनाने के लिए मैंने गुलाब सिंह जी से भी अनुरोध किया था और आप भी इसके लिए प्रयास करें। जहां-जहां संभव हो सके, खासकर ऐसे प्लेसिज के नजदीक वहां पर ले-बाई बनाए जाएं ताकि जो सड़क का मेन रोड है उससे बाहर जाकर सवारियां उतारने और चढ़ाने का काम करे।

इसके अलावा पब्लिक अवैयरनैस के लिए भी अभियान चलाने की जरूरत है। स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल हों और बाकी लोग भी शामिल हों। आपने शायद पुलिस को यह जिम्मेदारी दी है लेकिन इसमें सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी ही काफी नहीं है बल्कि विभाग को भी इसमें इन्वोल्व करे। खासकर शिक्षा विभाग को , पब्लिक रिलेशन विभाग को और परिवहन विभाग को भी इसमें शामिल करें। इसमें एक बहुत बड़ी जागरूकता लाई जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा नम्बर दुर्घटनाओं का है। अगर साल में 10 लोगों की भी जान चली जाती है तो भी बहुत बड़ा नम्बर है। पूरे देश के अन्दर एक लाख 35 हजार लोग मर रहे हैं। इतने लोग शायद किसी लड़ाई में भी नहीं मरते होंगे जितने लोग हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जो मैजर लोकेशन हैं, खासकरके जो आपके

10/12/2014/1520/MS/AG/3

स्टेट हाइवे या नेशनल हाइवेज हैं , इसकी कुछेक लोकेशन्ज के ऊपर सी0सी0टी0वी0 कैमराज भी लगाने की जरूरत है क्योंकि ऐसा भी देखने को मिला है कि कई बार एक्सीडैंट हो जाते हैं और फिर वह वाहन पकड़ में नहीं आता है। वे टक्कर मारकर चले जाते हैं। उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती है। इसलिए सी0सी0टी0वी0 कैमराज लगाने से काफी हद तक हम उन्हें पकड़ सकते हैं। अन्त में अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इसके अलावा ब्लैक बॉक्स की भी बात है। माननीय सदस्य हवाई जवाज वाले ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात का मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आजकल माननीय मंत्री जी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनका सेंट्रलाइज्ड लॉक सिस्टम है और जब उस वाहन का एक्सीडैंट होता है तो ऑटोमेटिकली उसके शीशे बन्द हो जाते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

10.12.2014/1/525जेके/एजी/1

श्री राजेश धर्माणीः-----जारी--------

जैसे कि एक्सिडैंट्स होते हैं ,जैसे कि वॉल्वो के साथ एक्सीडैंट हुआ और उस गाड़ी के शीशे बन्द हो गए और सवारियां बीच में ही मर गई। उसमें फर्स्ट एड बॉक्स के साथ एक टूल्ज ऐसा भी होना चाहिए जिसमें छोटा हैमर हो, जैसा कि ट्रेन में होता है ताकि सवारियां शीशे तोड़ कर बाहर निकल सकें। ऐसी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है लेकिन इमरजैंसी में ऐसी जरूरत पड़ जाती है। राईयां में जो एक्सीडैंट हुआ ,वहां पर कई लोग ऐसे थे जिनके घरों में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि उनमें से कई लोग गोविन्द सागर झील को तैर करके पार कर सकते थे। लेकिन वहां साईड से 15फिट की गहराई थी और 15 फिट की दूरी पर उनकी जाने चली गई क्योंकि उनको वहां से निकलने का समय ही नहीं मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक गाड़ी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया , आपका धन्यवाद ।

10.12.2014/1/525जेके/एजी/2

अध्यक्षः नियम 130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव अभी चला हुआ है इसमें ढाई घण्टे तक चर्चा हो चुकी है। जो इसमें वक्ता अभी रह गए हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि कम से कम समय में अपनी बात रखें और कृपया अपनी बात को न दोहराएं।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, यहां पर जो श्री राजेश धर्माणी जी ने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यहां पर महेन्द्र सिंह कहा है।

.....(व्यवधान).....

Speaker: This is a wrong practice. Once you (Sh. Mahender Singh) have spoken on the resolution, अब दोबारा नहीं बोलना है। .....(व्यवधान)..... आप बैठ जाईये। अब आपने दोबारा से बोलना शुरू कर दिया है।

श्री महेन्द्र सिंह :अध्यक्ष जी, श्री धर्माणी जी ने काफी ज्यादा आरोप लगाने की कोशिश की है। मुझे मालूम है धर्माणी जी बाली जी के बीच -बचाव में ऐसे खड़े हो गए उस रूप में और तो कोई नहीं था और बीच में किसी ने कह दिया कि बाली जी आप कोई अपना हवन बगैर करवा लो, क्योंकि आपको साढ़सत्ती बैठी है। आजकल आपको लोहा ठीक नहीं बैठ रहा है। .....(व्यवधान).....

Speaker: Not to be recorded.

महेन्द्र सिंह जी ऐसा है कि this is a Resolution. इसमें बीच में कोई बहस नहीं होगी । आपने अपनी बात रखी और अन्य सभी भी अपनी बात रखेंगे। मंत्री जी उसका उत्तर देंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि आप कैसे बार-बार जीतते हैं? क्या हम गलत काम करके जीतते हैं। अगर हम जीतते हैं तो लोगों के आर्शीवाद से जीतते हैं।

10.12.2014/1/525जेके/एजी/3

Speaker: Now, let the next man speak please. अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो प्रस्ताव नियम-130 के तहत आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने इस सदन में रखा है उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, आए दिन किसी न किसी वाहन की दुर्घटना घटती रहती है, जिसमें कई जाने चली जाती है। वजह कुछ भी हो, लेकिन हम इन एक्स्डिैंट्स में ज़वान बच्चों को खोते जा रहे हैं। मैं, श्री महेन्द्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने यह महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में लाया। हम उम्मीद रखते हैं कि जिन बातों की यहां पर चर्चा होती है उसका ये सरकार संज्ञान लेगी। आदरणीय कुलदीप जी अभी यहां पर नहीं है। उन्होंने ठीक कहा कि एक्सिडैंट्स होते हैं लेकिन चिन्ता तब होती है जब एक्सिडैंट ज्यादा होने लग जाते हैं। चिन्ता स्वाभाविक भी है। मैं यह भी समझता हूं कि जो आंकड़ों की तुलना करते हैं उसको जस्टिफाई करना भी ठीक नहीं है। हमें इनकी वजह जाननी चाहिए कि एक्सिडैंट्स क्यों हो रहे हैं?

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

10.12.2014/1530/SS-JT/1

श्री इन्द्र सिंह क्रमागतः

ये जानना बहुत ही ज़रूरी है मैं ऐसा समझता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक्सीडैंट का मुख्य कारण ह्यूमन ऐरर होता है, जैसा धर्माणी जी ने कहा। मैं इनसे सहमत हूं। लेकिन हमारी जो सड़कें हैं वे सड़कें भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। सड़कों की हालत प्रदेश में ठीक नहीं है हालांकि हमारे हिमाचल प्रदेश में सड़कें ही आवागमन का एकमात्र साधन हैं। फिर कुलदीप कुमार जी ने कहा कि उनकी तरफ सड़कें चकाचक हो गई हैं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जो पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर हैं कहना चाहता हूं कि घुमारवीं से सरकाघाट सड़क की तरफ जाएं तो चकाचक नहीं बल्कि थकाथक हो जायेगी। आप उधर से जा कर तो देखिये। मुझे एक तसल्ली ज़रूर है कि पिछले 10-15 सालों से इस सड़क पर एक एक्सीडैंट नहीं हुआ। क्यों एक्सीडैंट नहीं हुआ क्योंकि वहां पर 20 किलोमीटर से ज्याएदा स्पीड होती नहीं है। सड़कों की हालत बहुत खराब है। जो नेशनल हाईवे बने हैं या सुपर हाईवे बने हैं जैसे ऊना से लेकर कांकर तक सुपर हाईवे बना वह टेक्निकली हाईवे पास नहीं है। जब आप टर्निंग पर जाते हैं तो आपकी गाड़ी ,that tries to fly away. क्योंकि उन पर बैंकिंग ऑफ रोड नहीं किया गया है। यह सबसे बड़ी इन्होंने उसमें कमी रखी है टेक्निकली जिन्होंने इसे पास किया है। आदरणीय परिवहन मंत्री जी ने बड़ी-बड़ी बसें खरीद रखी हैं। 300 बसें हैं। कम नहीं हैं। जब आप ऊंची बस खरीदते हैं तो उसकी सैंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाती है। जब सैंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाती है तो बस अनस्टेबल हो जाती है इसलिए ड्राईवर को टर्निंग में मुश्किल हो रही

है। बुजुर्ग आदमी उस पर चढ़ भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में उसको चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। So, these buses are not fit for driving in hilly terrain. यह मैं समझता हूं। दूसरे, वाहनों की मकैनिकल कंडीशन ठीक होनी चाहिए चाहे प्राइवेट वाहन हों या सरकारी वाहन हों। प्राइवेट बसों की पासिंग साल में एक बार होती है। एक बार पुरानी बसों की पासिंग हो और वह खड्डे पर गुजरेगी तो फिर वह वैसी कंडीशन में हो जाती है। इसलिए कोई बन्दोबस्त किया जाए कि उन बसों की पासिंग ठीक हो जाए। उनकी चार महीने, छः महीने या क्वाटरली पासिंग की

10.12.2014/1530/SS-JT/2

जाए। चाहे कोई भी तरीका अपनाएं लेकिन बस की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। आपकी कितनी जीरो वैल्यू की बसें सड़कों पर चलती हैं। आप उस बात को भी सोचिये कि वे बसें मकैनिकली फिट हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्सीडैंट में ह्युमन ऐरर सबसे प्रमुख रोल अदा करता है। क्या आपके ड्राईवर सैलफोन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं ? मेरी सब विधायकों से रिक्वैस्ट है कि आपके ड्राईवर चलती बार कितनी बार सैलफोन का इस्तेमाल करते हैं जब आप साथ में जाते हैं। इस टैंडैंसी को हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैंने देखा है कि जितने भी ट्रक ड्राईवर हैं उनके ट्रक में एक तो रियर मिरर नहीं होता। हम पीछे चले रहते हैं हमारे पास लालबत्ती तो है नहीं। हम हॉर्न बजाते रहते हैं लेकिन वे पास नहीं देते हैं। जब वे पास नहीं देते तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको ऐसा सिखाया नहीं गया है। किसी ने ठीक कहा कि उनको कम-से-कम periodically training देनी चाहिए। पीछे भी कोई आ रहा है तो उसे पास दो। जहां हम तीन या चार घंटे में पहुंचते हैं वहां हमें पांच छः घंटे लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वे रियर मिरर देखें, सैलफोन का इस्तेमाल न करें। बसों में जनरली देखा है कि बोनट पर भी आदमी बैठे रहते हैं और वे ड्राईवर से गप्पे मार रहे होते हैं। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। इस पर चैकिंग होनी चाहिए। आपके इंस्पैक्टर लोग चैक करें। अधिकतम ड्राईवर शराब पीते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितनी भी चैकिंग कर लो वे शराब पीते हैं। आप कोई ऐसा मैथड एडॉप्ट करिये कि वे कम-से-कम जब गाड़ी में बैठते हैं या उसे चलाते हैं तो शराब न पीएं। उनके शराब पीने से कितना नुकसान होता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें। जितनी भी प्राइवेट बसें हैं वे ऑवर लोड होती हैं। वे स्टार्ट प्वाइंट

से ऑवर लोड होना शुरू हो जाती हैं। वे क्यों ऑवर लोड होती हैं ? एक तो वे एच0आर0टी0सी0 की बस के आगे चली होती हैं। वे एच0आर0टी0सी0 की बस को फोलो करती हैं और ये आज ही नहीं कर रही हैं। आप सड़कों पर जा कर देखिये..

जारी श्रीमती के0एस0

/1535/10.12.2014केएस/जेटी/1

श्री इन्द्र सिंह जारी-----

और आपके टाईम ऐसे होते हैं, जो आर.टी.ओ. प्राईवेट बसों को टाईम देता है उसमें आर.एम .की इन्वॉल्वमैंट होना जरूरी है क्योंकि आर.एम. को भी आपको प्रॉफिट देना होता है। तो उसमें आर.एम. नहीं बैठेगा तो वे अपनी मर्जी से टाईम ले लेते हैं। एच.आर.टी.सी. की बसों के आगे प्राईवेट बसें चलती है और वे ओवर लोडिड होती है जबकि एच.आर.टी.सी. की बसें खाली चली होती है। इसके अलावा वे किराया भी कम लेते हैं। यह भी देखने की बात है कि वे किराया क्यों कम लेते है। जहां का किराया 15 रुपये एच.आर.टी.सी. की बस लेती है वे 12 रुपये लेते हैं ।

एक बात और है, कि आपके ड्राईवर कितना काम कर सकते हैं ? वे 8, 12 या 14 घण्टे काम कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकतर ड्राईवर आपके थके हुए होते हैं, उनकी मैंटल स्थिति ठीक नहीं होती है इसलिए भी एक्सिडेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर ड्राईवर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि प्राईवेट बसों के जो ड्राईवर होते हैं वे दायें-बाएं जहां से भी उनको मौका मिलता है, ओवर टेक कर देते हैं। इसको भी चैक करने की जरूरत है। इसी तरह से दो पहिया वाहन वालों ने हैलमैट हाथ में लिया होता है और वे अपना बाईक चला रहे होते हैं। तीन-तीन सवारियां बैठी होती है, कोई चैक नहीं करता। There is no checking enroute. और सभी नौजवान बच्चे बाईक चलाते हैं आजकल इतने अच्छे क्वालिटी के बाईक हैं कि बटन दबाते ही हवा में उछलना शुरू हो जाते हैं तो यह भी चैक करने की आवश्यकता है कि नौजवान ओवर स्पीड न करें और दो से ज्यादा लोग उन पर न बैठे और जो पीछे बैठा होता है उसको भी हैलमैट पहनना आवश्यक करिए । कुछ आवारा पशुओं की वजह से भी प्रॉब्लम्ज़ आती है, इन सारे कारणों का समाधान सरकार के पास होना चाहिए। माननीय परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि इन समस्याओं का समय पर समाधान करवाएं और अगर हमारी व्यवस्था ठीक हो तो there is no reason कि एक्सिडेंट्स की संख्या कम न हो। व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है, पुलिस अपना काम नहीं करती है and we always do fire fighting. अब

/1535/10.12.2014केएस/जेटी/2

लारजी का हादसा हुआ क्या वहां हम चैक नहीं कर सकते थे . This is the place जहां सायरन बजना चाहिए था। उसमें कितने budding engineers खत्म हो गए। जाहू में पुल बह गया। वहां 10 मीटर पीछे पुलिस की पिकैट लगी हुई है। एक पुलिस वाला वहां आ कर खड़ा हो जाता कि इस पुल को क्रॉस मत करो लेकिन ऐसी व्यवस्था वहां पर नहीं थी और तीन-चार आदमी जैसे ही पुल पर गए, पुल बह गया और वे सभी उस पुल के साथ बह गए। ऐसी-ऐसी अगर हम व्यवस्था करें तो कोई कारण नहीं है कि हम कीमती जानों को नहीं बचा सकते।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है, जहां पर पक्का डंगा लगना चाहिए, अभी लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर नहीं बैठे हैं, जहां पर पक्का डंगा लगना चाहिए वहां पर कच्चा डंगा लगा देते हैं और जहां पक्का डंगा लगना है तो उसके अंदर देखिए आप, डंगा गिर गया तो उसमें देखिए कि उसमें 85 प्रतिशत ग्रेवेल होना चाहिए और 15 प्रतिशत बॉल्डर होना चाहिए । But It is other way round क्योंकि वहां बोल्डर ही बोल्डर नज़र आता है। Where is the check; where is the control? There is no control. इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर व्यवस्था सरकार ठीक कर दें तो यह जो दुर्घटनाओं की संख्या है उसको हम कम कर सकते हैं। आज के जमाने में जहां इतनी सुविधाएं हैं, पता नहीं माननीय मंत्री जी ने अपना टैलिफोन अब क्यों बन्द कर दिया है जो प्रत्येक बस में लगा होता था, मुझे लगता है कि अब वह रिस्पाँड नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय, अभी राजेश धर्माणी जी ने कहा कि एक्सिडैंट किस ड्राईवर ने किया, प्रश्न यह नहीं है कि वह किस ड्राईवर ने किया और वह किस सरकार के समय में भर्ती हुआ था बल्कि एक्सिडैंट क्यों हुआ, उसके कारण जानना जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है कि जो बातें इस सम्बन्ध में सामने आई है, सरकार उन पर गौर करें और जो ये दुर्घटनाएं हो रही है जिनमें कई कीमती जानें जा रही है, हमारे होनहार बच्चों की जानें जा रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.12./1540/10.12.2014 jt/av1/

श्री इन्द्र कुमार --------जारी

होनहार बच्चों की जानें जा रही हैं। आजकल परिवार बहुत सीमित है। किसी परिवार में एक ही लड़का है और जब वह किसी ऐक्सिडैंट में इनवॉल्व हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐक्सिडैंट्स को कंट्रोल करने के लिए आप जितनी ताकत लगा सकते हैं; लगाएं। हम उम्मीद रखते हैं कि जो विषय आदरणीय महेन्द्र सिंह जी यहां पर लाए हैं और जो-जो बातें चर्चा के दौरान यहां पर आई हैं उस पर सरकार अमल करेगी। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ऐक्सिडैंट्स कम होंगे। अगर व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं यह सोचता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

10.12./1540/10.12.2014 jt/av2/

अध्यक्ष : मैं माननीय सदन से एक निवेदन करता हूं कि टाइम बहुत कम है और इसके बाद एक और प्रस्ताव आने को है। अभी इस पर बोलने वाले वक्ता बचे हुए हैं। इस माननीय सदन का समय पांच बजे तक है। मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं because there will be no urgency. दूसरा प्रस्ताव भी लगेगा। सदन का समय पांच बजे तक है और मैं समय को ऐक्सटैंड नहीं करुंगा।

अब श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे। (अनुपस्थित)

अब श्री हंसराज जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, आप अपनी बात ब्रीफ में रखें।

श्री हंसराज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करुंगा। ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने इस सदन में नियम 130 के अंतर्गत एक अति -महत्वपूर्ण विषय लाया है। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए समय दिया , उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं सीधे चुराह विधान सभा क्षेत्र पर ही बोलूंगा। यहां पर सभी लोगों ने प्रदेश को अपने-अपने तरीके से डिफाईंड करने की कोशिश की है। दुर्घटनाएं क्यों होती है और कितनी हुई; मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। चुराह विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014

में कुल मिलाकर 22-23 दुर्घटनाएं हुईं जिसमें लोगों ने अपनी 30 बहुमूल्य जानें गवाईं। इसके अतिरिक्त 125-130 के बीच में लोग गम्भीर रूप से इनर्ज्ड है। चुराह की सड़कें और चुराह की वाहन व्यवस्था ; दोनों ही विषय अति गम्भीर है। चुराह विधान सभा क्षेत्र में जो मुख्य सड़क चम्बा से तीसा की तरफ जाती है उसे बझराड़ू तक स्टेट हाइवे घोषित किया गया है। लेकिन यदि किसी भी गाड़ी को पास देना हो तो एक-आध किलोमीटर आगे-पीछे होना पड़ता है। हमारे वहां स्टेट हाईवे के इस तरह के हालात है और यह लोक निर्माण विभाग की खामियां है। माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है कि हर क्षेत्र में एच.आर.टी.सी. की बसें जाएं। लेकिन वहां हिमगिरी में

10.12./1540/10.12.2014 jt/av3/

पीछे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। चम्बा से हिमगिरी-सदरुणी जो गाड़ी जा रही थी उसमें 17जानें गई थी। उसका मूल कारण यही था कि हमारे आर.एम. साहब और आर.टी.ओ. साहब की मिलीभगत से प्राइवेट गाड़ी पहले निकल गई। एच.आर.टी.सी. की गाड़ी उस दिन भी रोक दी गई। वहां जितनी सवारी थी वह सारी-की-सारी उसी गाड़ी में होकर गई और आगे वह पलट गई। मैंने आर.एम. साहब से उसी दिन पूछा था और उनका जवाब था कि गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा है और आपका क्षेत्र रॉक से भरा हुआ है। उससे वह गाड़ी नहीं निकल सकती और मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं थी। लेकिन गाड़ियां वहां उस दिन भी मौजूद थी। हमारा जो चम्बा-बैरागढ़ मार्ग है वहां कालावन में भी एक पिकप गिरी और उसमें दस लोग मरे। यह कानून-व्यवस्था का विषय आ जाता है। इसको कानून-व्यवस्था का विषय इसलिए कहना चाहूंगा कि हमारे वहां थाने में एस.एच.ओ. साहब पिछले दो वर्षों से तैनात है। उनकी वाहन चालकों के साथ इतनी ज्यादा रिश्तेदारियां हो गई है या इतने अच्छे गाड़े सम्बंध हो गए हैं कि वे किसी भी गाड़ी का कोई चालान नहीं करते हैं। गाड़ी में चाहे छत लगी हो या नहीं ,गाड़ी चाहे ओवर लोडिड चली हो ; मगर वे चालान नहीं करते। हमने कई बार कहा कि सरकार इस संदर्भ में कोई उचित कदम उठाए। मैंने कल भी अपने वक्तव्य में कहा था, परसों भी कहा था कि जब कर्मचारी एक ही स्थान पर ज्यादा दिन ठहरेगा। विशेषकर पुलिस महकमे के लोग , तो उनकी रिश्तेदारियां और उनके सम्बंध इतने मज़बूत हो जाते हैं ---------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1545/10.12.2014नेगी/ जे.टी./1-

श्री हंस राज.. जारी...

उनके संबंध इतने मज़बूत हो जाते हैं कि वह किसी भी बात में हर तरह की छूट दे देते हैं। वहां पर एस.एच.ओ. और आर.टी.ओ. पिछले दो सालों से मौजूद हैं। आर.टी.ओ. भी प्राइवेट बस मालिकों को ज्यादा रियायत दे कर चलते हैं। अगर आज वहां पर एच.आर.टी.सी. पुअर कंडिशन में है तो उसका मूल कारण यही है । क्योंकि आर.टी.ओ. और प्राइवेट बस मालिकों की मिली-भगत चल रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी गुज़ारिश है ,चाहे वह चरडा का हो ओर चांजू का हो, वहां पर 4-4 प्राईवेट बसें जा रही हैं, वहां पर कोई सरकारी बस नहीं जा रही है । अगर वहां पर सरकारी बसों की व्यवस्था हो तो दुर्घटनाएं रूकेंगी। छोटी जीपें जिन्होंने ये हादसाएं करवाई हैं ,जो व्यक्ति दो महीने से गाड़ी चला रहा है वह भी पैसेंजर गाड़ियों में बैठ जाता है । अगर किसी ने 4 महीने ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली हो वह उन गाड़ियों में बैठ जाता है । मैं इस माननीय सदन के माध्यम से आपसे यही गुज़ारिश करना चाहूंगा कि जो अच्छी तरह से ट्रेंड ड्राईवर हो उसी को वहां पर गाड़ियां चलाने की परमिशन दी जाए। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत कठिन है अगर वहां एक बार गाड़ी सड़क से उतर गई तो जानों की खैर नहीं होती है। जिन लोगों ने जानें गवाई हैं उनको कम्पेनसेशन उचित मायने में मिले यह हमारी गुज़ारिश है। अंत में, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सभी ने लम्बे भाषण दिए हैं और मेरा अभिप्रायः इस माननीय सदन में भाषण देने का नही है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यही कहूंगा कि पिछले दो सालों से सड़कों का हाल यह हो गया है कि एच.आर.टी.सी. जितनी भी अच्छी बस भेज दें, हर तीसरे दिन उसको वर्कशॉप में जाना चाहिए। लेकिन वर्कशॉप में वह बस नहीं जाती है। विशेषकर चुराह विधान सभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी ऐसी बसें जाती हैं जो किसी अन्य कंस्टीट्युसंसी में नहीं जाती । उन बसों को मैडम आशा कुमारी जी जाने नहीं देती और ठाकुर सिंह भरमौरी जी सख्त हैं उनके क्षेत्र में भी वे बसें नहीं जाती हैं और फिर जा करके जो हम जैसे विधायक हैं जिनका आर.एम. भी नहीं सुनते हैं, उनकी तरफ वे बसें भेज दी जाती है। वे बसें या तो गन्तव्य तक नहीं पहुंचती है या बीच में छोड़ जाती है या फिर पलट जाती है । इसीलिए मैं आपसे यह

/1545/10.12.2014नेगी/ जे.टी./2-

गुज़ारिश करना चाहूंगा कि इस चीज़ को वहां पर रोका जाए। अंत में, मैं कुछ लाईनों के माध्यम से जो यहां पर बैठे-बैठे इन दुर्घटनाओं पर मैं सोच रहा था और सरकार की जो हालत है, वह इस कविता के रूप में निकलने शुरू हो गए। तो मेरा इस कविता के माध्यम से माननीय पत्रकार बन्धुओं से भी अपील रहेगी कि हर बार बड़े-बड़े लोगों से वह....

Speaker: You cannot address anybody except the Members of the House.

श्री हंस राजः जी, माननीय अध्यक्ष जी,

अब बर्दाश्त नहीं होता, सूरत इस प्रदेश की बदलनी चाहिए।
जो भी सरकार की खामियां हैं, अब तो दूर होनी चाहिए।
बहुत हुआ मज़ाक इन्सानों की जिन्दगियों से,
अब तो दुर्घटनाएं बन्द होनी चाहिए।
2वर्ष बीत गए माननीय मुख्य मंत्री जी,
अब तो प्रदेश की हालत बदलनी चाहिए।
दुर्घटनाएं बहुत हुई, अब ये दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः आपने काफी टाईम लिया । आपने कूज़े में दरिया भर दिया। मैं तो कंडक्ट करने वाला हूं। आप इतना टाईम लगाएंगे तो फिर आपका अगला रेज्योल्यूशन नहीं होगा।

अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे। कृपया 5 मिनट में अपनी बात कम्प्लीट करें and don't repeat it.

/1545/10.12.2014नेगी/ जे.टी./3

श्री बिक्रम सिंह जरयालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने इस सदन में लाया है , यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा। जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश का एक अति दुर्गम

इलाका है और पिछड़ा हुआ जिला है। पूरे जिला चम्बा में बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं , परन्तु मैं भटियात चुनाव क्षेत्र के बारे में कहूंगा, पिछले ढ़ाई वर्ष में 21 एक्सीडेन्ट हुए हैं, 32 लोग मरे हैं और 49 घायल हुए हैं। इसका मेन कारण यह है अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी इलाके में ब्लाइंड कर्वज़ हैं, क्लोज़ रोड़ है, खराब रोड़ है और रोड़ साइड़ में लोगों ने बजरी, पत्थर और कंक्रीट फैंका हुआ है। कई बार उसको नहीं उठाया जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेन्ट्स होते हैं। खासतौर पर हमारे रोड़ज में जो काम लगे हुए हैं, ...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1550/2014-12-10यूके/जेटी/1

श्री विक्रम सिंह जरयाल --जारी----

जो हमारे रोडों के काम लगे हुए थे, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं जहां डंगा लगा रहे हैं, वे बीच में डंगा लगा देते हैं और आगे -पीछे फिलिंग नहीं करते हैं। इस वजह से भी रात ड्राईवर समझते हैं कि डंगा आगे तक है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। कई बार PWD वालों को बोला, SDM को बोला, परन्तु इस पर कोई गौर नहीं हो रहा है। जो रोड साईड में वाहन खड़े होते हैं,खासकर चुवाड़ी में, हालांकि वहां पर पार्किंग बनी हुई है लेकिन वहां गाड़ी खड़ी नहीं करते। प्रशासन को कई बार बता चुके हैं तो वे बोलते हैं कि हमारे अपने ही आदमी है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी ने कहा कि ओवरलोडिंग होती है और खास तौर पर गुड्स कैरिज व्हिकल , पैसेंजर व्हिकल के तौर पर यूज़ होते हैं वह न हो क्योंकि ओवरलोडिंग होती है। और कई प्राईवेट गाड़ियों के पास टैक्सी परमिट नहीं है फिर भी वे सवारियां ढोती हैं। जैसे ड्राईविंग लाईसेंस की बात है, हाल ही में पीछे हमारे लाहड़ू क्षेत्र में एक ड्राईविंग स्कूल खोला गया। मैं नाम नहीं लूंगा वे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया मैं आदरणीय मंत्री जी की नॉलेज में लाना चाहता हूं कि हफ्ते के बाद ही वह स्कूल बन्द हो गया। जिस व्यक्ति ने वह स्कूल खोला वह फ्रॉड था, लोगों ने तहकीकात की, कोर्ट से आदेश आए, वह स्कूल बन्द हो गया। ऐसे-ऐसे लोगों को ड्राईविंग स्कूल खोलने की वर्तमान सरकार ने परमिशन दी है। बिना लाईसेंस के वे स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। रोड ठीक न होने की वजह से ऐक्सीडेंट होते हैं। जिला चम्बा पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन जब वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं तो पयर्टक भी वहां आना बन्द कर देते हैं। हमारा एक द्रमण-सिंहुंता रोड है, उसका डबल लाईन का काम चला

हुआ है । आज 6 साल हो गए हैं, पैदल चलना उस रोड पर मुश्किल है। कई बार रात को हमें भी गाड़ी खड़ी करके वहां से पैदल घर जाना पड़ता है । यह बहुत ही चिंता का विषय है। पिछली बार भी मैंने इस बारे असैम्बली में एक प्रश्न लगाया था तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह कर टाल दिया कि अक्तूबर में यह हो जायेगा । अक्तूबर का महीना तो इन्होंने बता दिया लेकिन साल नहीं बताया कि कौन से साल

/1550/2014-12-10यूके/जेटी/2

में यह हो जाएगा? 2030में या 2040 में होगा, यह नहीं बताया । अब दो साल हो गए हैं । हमारा एक और चुवाड़ी-जोत रोड है हर साल यहां पर बहुत जानें जाती हैं । बहुत गंभीर विषय है, पिछली सरकार ने उस रोड पर पड़े हुए गड्डों को भरने के लिए तारकोल दी थी । जोत के पीछे चले जाओ तो चम्बा का इलाका आता है ,वहां पर रोड बिल्कुल स्मूथ है । जब वहां से इस तरफ भटियात की तरफ आते हैं तो गड्डे ही गड्डे हैं , वहां वाहन चलाना बहुत मुश्किल है। कागजों में उस रोड की क्लासिफिकेशन स्टेट हाईवे हैं । उस पर सरकार स्टेट हाईवे के तौर पर टैक्स ले रही है । वहां तारकोल PWD वालों ने बेच दिया है। लेकिन ई0एन0सी0, एस0ई0 और एक्सईएन भी शिमला में हैं पर उन्होंने आज तक कोई ब्योरा नहीं दिया कि कितना तारकोल बेचा है । वह तारकोल कम से कम 20 जगह पर रखा हुआ था, -20 ,10-10 20ड्रम । बाद में एक बेलदार के खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज़ की । जब मैने ऑफिसरों को बुलाया तो एस0डी0ओ 0नहीं आया, ऐक्सियन और जे0ई0 आया । मेरे यह सब कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि वह एस.डी.ओ. अपने घर में नौकरी कर रहा था। वह अपने होम ब्लॉक में नौकरी कर रहा है। ऐसे कई इम्प्लॉयज़ हैं। जैसे पीछे बात चली थी भू-माफिया, वन माफिया , शराब माफिया, ड्रग्ज़ माफिया, जितने भी ये माफिये हैं, ये क्यों बने हैं क्योंकि वे अपने घर में नौकरी कर रहे हैं । आर0ओ0 अपने घर में नौकरी कर रहा है । डिप्टी रेंजर, कानूनगों, ये सब अपने घर में नौकरी कर रहे हैं। सब अपने होम ब्लॉक में नौकरी कर रहे हैं ।
गवर्नमैंट पॉलिसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है । कोई भी कर्मचारी है चाहे कानूनगो है, चाहे पटवारी है, चाहे नायब तहसीलदार है, सारे अपने होम ब्लॉक में लगे हुए हैं । यह मैं अपने भटियात की सिचुएशन आपको बता रहा हूं । यह गंभीर विषय है । इसी वजह से उस क्षेत्र के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है । जो मैने चुवाड़ी -जोत रोड की बात की है , जब मैने बुलाया तो जे0ई0 ने बोला कि मैने 3

बार एस0डी0ओ0 को चिट्ठी लिखी है कि मुझे गाड़ी दो या ठहरने की जगह दो, परन्तु उसको गाड़ी नहीं मिली। वह जे0ई0 रोता रहा। एक्सईएन बोलता है कि मैं

/1550/2014-12-10यूके/जेटी/3

इनक्वायरी करूंगा। लेकिन आज तक इन्क्वायरी नहीं हुई। मार्च में तारकोल आया था। दिसम्बर खत्म होने वाला है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी -----

10.12.2014/1555/SLS-AG-1
श्री बिक्रम सिंह जरयाल....जारी

वह तारकोल बेच दिया गया, रोड पर नहीं डाला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं कि इसमें क्या हुआ, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए।

एक हमारी कालीधार है लाडू चवाड़ी में, जहां हर साल ऐक्सिडैंट होते हैं। वहां पर एक जे. सी. बी. खड़ी रहती है। वारिस हो न हो लेकिन वह बंद हो जाती है। हमारी हैडक्वार्टर्ज़ चवाड़ी है लेकिन इसके कारण वहां लोग नहीं आ-जा सकते। कालेज के बच्चे भी नहीं आ-जा सकते क्योंकि हमारा कालेज चवड़ी में है। सब ऑफिस चवाड़ी में हैं और वहां नहीं आ-जा सकते। मैंने पिछली बार भी अपनी प्राथमिकता में बताया था कि उस रोड को डाइवर्ट किया जाए ; चुआड़ी से वाया त्रिमत जंगला होकर लाडू रोड है। मैंने नियम-324 के अंतर्गत 25 रोड्ज का उल्लेख किया था। उसमें भी यह कह रहे हैं कि काम हो रहा है। ठेकेदारों को 200 परसैंट पेनैल्टी डाल दी है। 3-3, 4-4, 5-5 सालों से इन सड़कों के काम नहीं हो रहे हैं। वहां काम नहीं हो रहा है और इस कारण इन सड़कों की हालत बहुत खराब है। एक हमारा पंजला-क्योड़ रोड है। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप पी. डब्ल्यू. डी. पर बोल रहे हैं या ट्रांसपोर्ट पर बोल रहे हैं?
श्री बिक्रम सिंह जरयाल :सर, मैं रोड्ज की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) पंजला-क्योड़ रोड मेरी होम पंचायत है। उस पर वर्ष 2014 में तीन ऐक्सिडैंट हुए हैं। मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं क्योंकि वहां पर ऐक्सिडैंट हुए हैं। लोगों की परसनल गाड़ियां थीं। दो वैन थीं और एक पिक अप थी जो वहां पर गिरी थी। उसमें लोग मरे। चलाने वाला कोई और था ,वह मर गया और ड्राइविंग का लाइसैंस किसी

और का लगा दिया कि यह ड्राइविंग कर रहा था। उसको एक भी चोट नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। जब चैकिंग होती है तो यह पता किया जाना चाहिए। जब मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैंने ऐक्सिडैंट किया है तो मेरा लाइसैंस लगना चाहिए ; मुझे बचाने के लिए दूसरे का लाइसैंस क्यों लगे ? मेरा यह कहना है कि इसी वजह से ऐक्सिडैंट बढ़ रहे हैं। लाहड़ू में एक चैक पोस्ट है। मैं वहां पर देखता हूं मेरे सामने लाहड़ु से एक पिक अप भर कर गई। वह पुलिस वाले ने रोकी जो एस. पी. ओ. था। पीछे से एक गरीब आदमी नूरपुर से दुधारू गाय खरीद कर लाया। उसकी गाड़ी रोक दी गई और उसका चालान कर दिया गया। उस

10.12.2014/1555/SLS-AG-2

व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि सर, ऐसे-ऐसे हो गया। एस. पी. ओ. को फोन किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भटियात विधान सभा क्षेत्र में गाड़ियों को उस तरह के स्टिकर दिए गए हैं जैसे दिल्ली में हैं। पुलिस देखती है कि इसमें स्टिकर लगा हुआ है, इसको जाने दो और इसमें स्टिकर नहीं है, इसको रहने दो। एस . डी. एम. भी यही कहता है कि इसका चालान होना है, वह चला गया है इसलिए उसका चलान नहीं होना है। सर, वहां पर इतनी टैंशन है, इतना टैरर है। प्रशासन भी और पुलिस भी ,जब वह टैरर वाले आ जाते हैं ,तब वह बात भी ढंग से नहीं करते, उनके अनुसार चलते हैं। जब मेरे जैसा शरीफ व्यक्ति आ जाता है तो कहते हैं कि विधायक की गाड़ी का भी चालान करो। मेरी गाड़ी का भी पीछे चालान हुआ है। मैं था ही नहीं और गाड़ी का चालान हो गया।

Speaker : Please wind up.

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरी इन बातों पर ध्यान दें।

मैं सत्तापक्ष का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मोदी जी का नाम भी हाऊस में स्मरण किया है, जो डीजल और पैट्रोल की कीमतें मोदी जी ने कम की हैं। मैंने अपने एक कुलीग से पूछा कि मुख्य मंत्री जी यह वैट क्यों लगा रहे हैं। वह बोले कि हम वैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे ; हमारे जो निगमों-बोर्डों के चेयरमैन और वाईस चेयरमैन बनाए गए हैं उनके खर्चे कहां से पूरे करने हैं। उन्होंने बताया कि वह वैट लगाकर ही हमने पूरे करने हैं। मैं उस कुलीग का यहां पर

नाम नहीं लूंगा। अंततः इस पूरे सदन के सभी सदस्यों को इस समस्या का समाधान करना है और विचार उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय करना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष : जरयाल जी, आप बोलिए और वाईंड अप कीजिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से उम्मीद रखता हूं कि जो दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर स्थिति है , जिससे कई कीमती जाने चली जाती हैं, इसके ऊपर जरूर गहनता से विचार कर इसका हल निकालेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

10.12.2014/1555/SLS-AG-3

अध्यक्ष : अब माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

जारी ....श्री गर्ग

10/12/2014/1600/RG/JT/1

अध्यक्ष :प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक यात्री के तौर जो मैंने अनुभव किया है वह सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे यहां कानून तो बहुत हैं, परन्तु कानून इंप्लीमैंट कितने हो रहे हैं ? जो कानून बने हैं उनके उल्लंघन के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में परिवहन मंत्री जी भी क्या उत्तर देंगे। दुर्घटनाएं केवल परिवहन की गलती के कारण ही नहीं बल्कि रोड की बैड कंडीशन के कारण भी होती है। यहां स्ट्रे ऐनीमल का जिक्र आया कि यदि कोई जानवर गाड़ी के आगे आ जाएगा, तो उसके लिए परिवहन मंत्री कुछ नहीं कर सकते। यह तो पशुपालन विभाग को देखना है। ये कुछ बातें हैं, इन्हीं में एक है "Use dipper at night." आप सभी महानुभाव रात को बहुत सफर करते हैं ,राजनीतिज्ञ लोगों को अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है। बहुत ही रेयर कोई गाड़ी आगे से आती है जो डिपर का इस्तेमाल करती है। गाड़ी की रोशनी सीधी आंखों में पड़ती है। नहीं तो मैं इसके लिए ड्राईवर को धन्यवाद देता हूं कि वह देख कैसे लेते हैं , हम तो फ्रंट सीट पर बैठे होते हैं। आंखें चौधियां जाती हैं , कोई डिपर यूज ही नहीं करता और कोई इसको चैक भी नहीं करता कि जो गाड़ी चला रहा है वह डिपर यूज कर रहा है

या नहीं। हर गाड़ी पर लिखा जरूरत है कि use dipper at night. लेकिन डिपर का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। रोड पर आप जितना मर्जी सेफ चलो ,आगे से गाड़ी यदि अचानक आती है ,अगर कोई हॉर्न देता है ,तो आपकी गाड़ी टकराते-टकराते बचती है। तो दूसरा कारण मैं यह समझता हूं कि **रोड पर** जब कोई लोग आते हैं ,तो कोई हॉर्न नहीं देता। हालांकि हॉर्न को विकसित देशों में अवॉइड किया जाता है , लेकिन हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्रों में न डिपर इस्तेमाल करेंगे और न हॉर्न बजाएंगे ,तो दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण नियंत्रण, मुझे लगता है कि यदि परिवहन के अन्तर्गत आता है या ऐनवायर्नमैंट का जो भी मंत्रालय इसको देख रहा हो। आप गाड़ियों को देखें कि कितना धुंआ छोड़ती हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार आंकड़ें इकट्ठे करे कि कितने चालान आपने पॉल्यूशन के कारण किए हैं। आपकी अपनी सरकारी गाड़ियां कितना धुंआ छोड़ती हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा वह बना है जो पॉल्यूशन कंट्रोल सेन्टर्ज हैं और जो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट देते हैं

10/12/2014/1600/RG/JT/2

स्टीकर लगाकर कि Pollution is under control. आगे पॉल्यूशन कंट्रोल का स्टीकर लगा है और पीछे वह वाहन अनकंट्रोल पॉल्यूशन का खूब धुंआ फैला रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने मोबाइल का भी जिक्र किया। ड्राइविंग करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है। आप जितना मर्जी सेफ चलते रहो, दूसरा प्राइवेट गाड़ी चला रहा है ,एक हाथ में वह स्टीयरिंग पकड़े है और एक हाथ में मोबाईल पकड़कर बात कर रहा है। यदि इसके लिए चैकिंग जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कैसिट बदलने का कई बार जिक्र आया है। हर दुर्घटना के पश्चात कि क्या गाड़ी में कैसिट तो नहीं बज रही थी।

अध्युक्ष महोदय, हर दुर्घटना के पश्चात यह नॉर्मल रूटीन बन गया है कि एक जांच एस.डी.एम. लेवल और एक जांच मर्जिस्ट्रेट लेवल की होती है। उसने रिपोर्ट क्या दी और उस पर हमने क्या ऐक्शन लिया ? यह भी पब्लिक किया जाए। क्योंकि जिस दिन कोई दुर्घटना होती है, उस दिन बहुत चर्चा होती है ,दो-तीन दिन तक चर्चा होती है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। जो दुर्घटना के पश्चात जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई उस पर हमने क्या ऐक्शन लिया ,punitive action अलग

बात है, रैमिडियल की भी हम बात होनी चाहिए कि हमने उसमें क्या-क्या सुधार किया है।

अध्यक्ष महोदय,यहां बहुत सारे सदस्यों ने ठीक कहा कि बसों में unhealthy competition होता है और उसके लिए टाईम-टेबल जिम्मेवार है। कई रूट्स पर गाड़िया साथ-साथ चल रही हैं और नॉमर्ली मैं देखता हूं और दुःख भी होता है कि एच.आर.टी.सी. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बस में कम सवारियां होंगी और प्राइवेट वाला आगे से काटकर उसके आगे ले आता है और उसी टाईम पर उसी डेस्टीनेशन पर वह जा रहा है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बगैर भी काम नहीं चलेगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इसलिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का भी महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन कंट्रोल करना सरकार के हाथ में है। रूट परमिट आप देते हैं, कंट्रोल करते हैं ,उनकी टाइमिंग बांधिए।

अध्यक्ष महोदय, हैलमेट की शिकायतें भी आती हैं जो ड्राईव कर रहा है उसने हैलमेट पिछली सीट पर बैठे वाले को पकड़ाया हुआ होता है और वह भी हाथ में हैलमैट पकड़कर बैठा होता है----------जारी **एम.एस. द्वारा जारी**

10/12/2014/1605/MS/jt/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी--------

जो ड्राइव कर रहा है उसने हैल्मेट पिछले के हाथ में पकड़ाया हुआ है जो उसको हाथ में पकड़कर बैठा हुआ है। हैल्मेट पहनना कानून में कम्पल्सरी है। इसलिए मैंने कहा कि कानून बहुत है लेकिन लागू कितने हो रहे हैं? उनका इम्प्लीमैंटेशन कितना हो रहा है? Drinking and driving do not go together. बहुत जगहों पर लिखा भी होता है। कितनी बार व्हिकल की चैकिंग होती है? जितना भी मैंने ट्रेवल किया है मैंने कभी नहीं देखा कि गाड़ी रोकी गई हो और उसमें कोई चैक कर रहा है कि ड्राइवर ने शराब तो नहीं पी रखी है। इसको भी लागू करने की आवश्यकता मैं समझता हूं। हमारे विधायक बहुत उत्सुक थे कि शायद कैबिनेट मीटिंग में रैड लाइट मिल जाएगी। आपने कल फैसला ले लिया अदरवाइज आप कोर्ट के ऑर्डर के कारण वहां जा भी नहीं सकते थे। हमारे विधायकों के तो रैड लाइट नहीं लग सकती लेकिन क्या कभी आपने गाड़ियों/ट्रकों को चैक किया है कि उनमें कितनी मल्टी कलर्ड लाइट्स लगी होती हैं। देखने में वह लाइट रैड लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई रैड लाइट वाहन ही आ रहा हो। फिर उसमें हरी लाइट आएगी और फिर पीली लाइट आ जाएगी। Who will check it? विधायक को तो आप कह देंगे कि चालान कर देंगे और कहेंगे कि रैड लाइट निकाल दो लेकिन ट्रक वाला 10तरह की लाइट लगाकर

चला हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक संभावना आप देखें कि इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें अभी कोई फाईनल ऑपिनियन बनी नहीं है। Habitual offenders should lose their driving licences for ever. लगातार वे एक्सीडैंट कर रहे हैं। आप आजकल मीडिया में देख रहे होंगे जो दिल्ली में रेप केस में पकड़ा गया है, उसने कितने रेप किए, कितनी बार ड्राइविंग के कारण उसको सजा हुई या बरी हुआ। आई0टी0 का क्या परपज है? ऑफेंस अगर आई0टी0 में आ जाए तो सब जगह सर्कुलेट हो जाना चाहिए। Police should share it. कम-से-कम अगर इंटरनेशनल लैवल पर नहीं तो नेशनल लैवल पर ऐसे लोगों की फोटो लगाकर और डिस्प्ले करके कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं ,इसलिए इसको काम पर मत रखो, इसने ऐसा किया है। आउट डेटिड व्हिकल या कन्डम वाहन सड़कों पर चल रहे हैं और मंत्री जी आपका ट्रांसपोर्ट विभाग तो नहीं लेकिन कारपोरेशन भी कन्डम वाहनों की ऑक्शन करता है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर उसी को खरीदता है। वह वाहन में थोड़ा सा रंग-रोगन करके सड़क पर चला देता है। तो जब वाहन बुरी हालत में होगा तो जैसे कर्नल साहब ने कहा कि पुरानी गाड़ियां यदि थोड़ी-बहुत ठीक और पास करवाकर ले भी आएंगे तो

10/12/2014/1605/MS/jt/2

चार झटके जब लगेंगे तो उसकी कण्डीशन खराब हो जाएगी। इसको चैक करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, एक दिन मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था। एक किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो थोड़े आगे जाकर देखा। मैंने देखा कि अल्टीमेटली एक आदमी जो एक अच्छा ऑफिसर रिटायर हुआ था , उसकी गाड़ी आगे फस गई थी। वह व्यक्ति गाड़ी तो चला लेता था लेकिन रिवर्स गेयर नहीं लगा सकता था। वास्तव में गाड़ी एडजस्ट करके थोड़ी पीछे करनी थी। पीछे भी सब लोगों ने अपनी-अपनी गाड़िया खड़ी कर दी थी। फिर मेरे पी0एस0ओ0 ने उसकी चाबी लेकर उसकी गाड़ी बैक की , तब जाकर जाम खुला। वहां पर ट्रैफिक का कोई कॉन्स्टेबल तैनात नहीं था। तो इस तरह की स्थितियां हैं। आजकल ट्रैफिक जाम बड़ा कॉमन हो गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि दो वाहन आमने-सामने आएंगे तो कोई भी दो-चार फुट पीछे हटने को तैयार नहीं है। We should intervene there. ड्राइविंग लाइसैंस में कम्पल्शान है कि आपको रास्ता अगर लेना है तो रास्ता दूसरों

को देना भी है। ऐसा नहीं है अगर किसी को रास्ता देना है तो वही पीछे हटे आपको भी पीछे हटना है। पुलिस की चैकिंग जो सिम्बोलिक हो गई है। मुख्य मंत्री जी हमारे यहां मशहूर हो गया कि आपकी सरकार के समय उखली से बिलासपुर से जहां हमीरपुर जिला शुरू होता है और नदौन तक कि हमें टारगेट दिया गया है कि 500 चालान आज करने हैं। अगर काई स्कूटर वाला मिल गया तो स्कूटर वाले का चालान कर दिया, अगर कोई और मिल गया तो उसका चालान कर दिया। लेकिन चालान का परपज है improvement in traffic conditions and traffic rules. एक दिन मैंने एक अधिकारी से पूछा कि आप आजकल बड़े चालान कर रहे हैं तो बोला कि हां हमने एक लाख रूपया इकट्ठा कर लिया है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

10.12.2014/1/610जेके/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः----जारी------

कितने एक्सिडेंट्स अवॉयड किए, यह तो पता नहीं। चालान से पैसा इकट्ठा करना परपज़ नहीं होना चाहिए। परपज़ यह होना चाहिए कि कोई गलती कर रहा है और उसके कारण एक्सिडेंट हो सकता है। उसको हमें रोकना है। ओवर टेकिंग की बात यहां पर माननीय सदस्यों ने की। यह बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे एक्सिडेंट ओवर टेकिंग की वजह से भी हो रहे हैं। सीट बैल्ट के लिए भी इन्सिस्ट करना चाहिए। एक बार वर्ष 2006 में मैं कहीं जा रहा था और मुझे भी रोका गया कि आप फ्रंट सीट में बैठे हैं और सीट बैल्ट नहीं लगा रखी है। अब मेरी यह हैबिट बन गई है। फ्रंट सीट में बैठो तो सीट बैल्ट जरूर लगाओ, क्योंकि यह अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है। ओवर लोडिंग की आलोचना तो हम सब कर रहे हैं। पब्लिक के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट में इतना ज्यादा फ्लीट नहीं है कि हम इसको सब जगह दे सकें। प्राईवेट ट्रांसपोर्ट और एच0आर0टी0सी0 को मिला करके जब तक गाड़ियों की काफी मात्रा होगी तब मैं समझता हूं कि आप ओवर लोड़ को रोक पाओगे। लोगों ने अपने डेस्टिनेशन तक तो जाना ही है। अगर किसी को नौकरी पर जाना है तो वह सवेरे जाएगा। यदि ओवर लोडिड बस होगी तब भी जाएगा और शाम को घर पहुंचना है तब भी आएगा। जब तक उतनी गाड़ियां नहीं होगी तब तक मुश्किल होगा। नैचुरल केलामिटी के कारण भी हमारे रोड़ कंडिशन खराब है। पी0डब्ल्यू0डी0 इतनी रिपेयर नहीं कर पा रही है जितनी आवश्यकता है। अगर नैचुरल केलामिटी न हो तो कोई न कोई डिपार्टमैंट सड़क खोद देता है। कभी टेलीकॉम वाले तारें बिछा रहे होते हैं, कभी आई0पी0एच0 वाले कुछ बिछा रहे होते हैं। इसके लिए मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी पाईप डालें

जिसमें सारी केबल्ज आदि रोड़ साईड में डाली जाए। इसमें लाँग ट्रम प्लैनिंग हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आगे भी एक रेजोल्युशन है इसलिए मैं यहीं पर खत्म करता हूं । आपने मुझे समय दिया। मेरे ध्यान में जो बातें थी और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये बाते एक यात्री के तौर पर याद आई कि हमें क्या-क्या मुश्किलें गाड़ी में चलते हुए आती हैं। इनकी तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक एक्सिडैंट पर रोक लगाई जा सकती है। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस चर्चा को माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दे कर समाप्त करेंगे। माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री।

10.12.2014/1/610जेके/एजी/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी द्वारा नियम-130 में एक महत्वपूर्ण मुद्दा "प्रदेश में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करें " उठाया गया। इसमें काफी लम्बी चर्चा की गई और इसके ऊपर हमारे साथियों ने काफी सुझाव भी दिए। बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। विपक्ष के नेता ने भी अपने अनुभव बताए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जो चिन्ता हमारे साथियों ने यहां पर व्यक्त की है उसमें अपने आपको भी शामिल करता हूं। एक आदमी की भी जान जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। जिसके परिवार का सदस्य जाता है उसको तकलीफ होती है। यह बात भी सच है कि यहां की टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि यदि एक्सिडैंट हो तो केजुअल्टी बहुत ज्यादा होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जहां सड़क दुर्घटनाओं से हो रहे नुकसान का मामला मुख्यतः एक विशेष क्षेत्र न हो कर यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। पूरे देश में डेढ़ लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 1100 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष मारे जाते हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

10.12.2014/1615/SS-JT/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागतः

हिमाचल प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं में अलग-अलग किस्म के वाहन जैसे कि मैक्सी कैब और पिकअप 32 परसैंट, बसें 11 परसैंट, ट्रक 11 परसैंट, फोरव्हीलर 20 परसैंट और कारें 25 परसैंट व अन्य 01 परसैंट शामिल हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र सिंह जी ने कई मामले उठाए। मैं उनका एक-एक करके जवाब दूंगा। अन्य भी हमारे साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया। उन्होंने जो मामले उठाए मैं उनका एक-एक करके जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा में जो मुख्य रूप से बात सामने आई वह ऑवर लोडिंग को लेकर है। सड़कों की हालत को लेकर है। आज हमारे नौजवान जो गाड़ियां /टू-व्हीलर्ज़ चलाते हैं उनको लेकर है। कौंडल साहब ने भी अपनी बात कही। उन्होंने मोटरबोटस की बात की और आई कैम्पस की बात की। सर्वश्री कुलदीप कुमार, वीरेन्द्र कंवर, बलदेव सिंह तोमर, धर्माणी जी ने भी अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वश्री कर्नल इन्द्र सिंह, हंस राज, बिक्रम जरयाल और अंत में हमारे विपक्ष के नेता श्री धूमल साहब ने भी अपने अनुभवों को बताया। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि तथ्य क्या हैं। जब चर्चा आरम्भ की गई तो उसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात की गई। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वह डाक्युमैंट हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिवालय में दे दिया है। मेरा काम था उनको दे देना ताकि उसको यहां पर ले किया जा सके।--(व्यवधान)-- वह करवा देंगे। अगर वहां से नहीं होगा तो मैं अपने आप एक-एक कॉपी सब को दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा नहीं जाऊंगा पिछले चार साल का आंकड़ा बता देता हूं। 2011 में 68 एक्सीडैंट एच0आर0टी0सी0 के हुए और 171 प्राइवेट के हुए। इसमें तकरीबन 2718 एक्सीडैंट अदर व्हीकल्ज़ के हुए जिसमें स्कूटर, मोटर साईकिल इत्यादि बाकी चीज़ें आती हैं। 2012में 54 एक्सीडैंट एच0आर0टी0सी0 के हुए और 153 प्राइवेट के हुए। 2652 और हुए। 2013 में 131 एक्सीडैंट एच0आर0टी0सी0 के हुए। 176 प्राइवेट के हुए और 2674 अदर हुए। 2014में अभी पिछले महीने तक 38 एक्सीडैंट हुए। 99 प्राइवेट के हुए और

10.12.2014/1615/SS-JT/2

2368बाकी व्हीकल्ज़ के हुए। इनमें 2011 में एच0आर0टी0सी0 की बसों में 63 डैथ हुईं। 83 डैथ प्राइवेट में हुई और 816 अदर व्हीकल्ज़ में हुई। 2012में 69 डैथ एच0आर0टी0सी0 की बसों में हुई। 104 डैथ प्राइवेट बसों में हुईं और 819 अदर व्हीकल्ज़ में हुईं। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 में एच0आर0टी0सी0 में 52 डैथ हुईं और 82 प्राइवेट में हुईं। 920अदर व्हीकल्ज़ में हुईं। 2014 में 57 डैथ हुईं। ये दो वर्षों में दोनों को मिलाकर, पिछले आपके समय के जो दो वर्ष हैं..

जारी श्रीमती के0एस0

/1620/10.12.2014केएस/एजी1/

खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी----

तो यह दो वर्षों में दोनों को मिलाकर, पिछले आपके समय के जो दो वर्ष हैं उसमें से 35-40 एक्सिडेंट एच.आर.टी.सी. में ही कम हुए हैं तो जो मैं ये आंकड़े ऑफिशियल आपको दे रहा हूं इसमें कोई ऐसा नहीं है। एक भी जान अगर हम बचा सकते थे तो वह बहुत बड़ा काम होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं कुछ आंकड़े पढ़ने जा रहा हूं कृपा करके आप लोग इस तरफ ध्यान दें। 31.3.2010 को हमारे पास 5,38,341 व्हीकल रजिस्टर्ड थे। 31.3.2011 को वह बढ़कर 6 लाख 21 हजार हो गए। 31.03.2012 को 7 लाख 67 हजार हो गए और वर्ष 2013 में 8 लाख 76 हजार हो गए। 31.03.2014 यानि वर्ष के तीसरे महीने तक मैं आज के आंकड़े नहीं लगा रहा हूं, 9,74,270 हो गए तो मेरे ख्याल में आज दिन तक यह 10 हजार का आंकड़ा पार कर गया है। तकरीबन सौ प्रतिशत वृद्धि हो गई, 2010 से लेकर आज तक चार साल में। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वे अलग हैं, इंस्टीट्यूशन्ज़ खुल गए हैं, वह आवाजाही अलग है और सड़कों का विस्तार उसके मुकाबले में कितना हुआ है, यह सभी जानते हैं। अब हाई स्पीड व्हीकल्ज़ आ गए हैं । चाहे मोटरसाईकल हो, कार हो , ट्रक हो चाहे बस हो। ट्रैफिक की कंजैशन तो है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक चालान की बात की गई तो वर्ष 2009-10 में 31,416 चालान हुए और 4 करोड़ 37 लाख रुपये जुर्माना हुआ। 2010-11 में 27,480 चालान हुए और 4 करोड़ 74 लाख रु0 जुर्माना, वर्ष 2011-1 2में 33,544 चालान हुए जिनसे 5 करोड़ 71 लाख रु0 जुर्माना आया। वर्ष 2012-13 में 33,417 चालान हुए जिनसे 6 करोड़ एक लाख रु0 जुर्माना आया। वर्ष 2013-14 में 44,228 चालान हुए और 7 करोड़ 90 लाख रु0 जुर्माना वसूल किया गया और 31.10.2014 तक हमने 5 करोड़ 26 लाख रु0 वसूल किया और 33,750 चालान आज तक कर चुके हैं। यह एवरेज़ पिछले वर्षों से कई गुना ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय, फिर बात हुई यहां पर एच.आर.टी.सी. में वॉल्वो बसों को लेकर। वॉल्वो का एक साल का साढ़े छः करोड़ रु0 का प्रोफिट है और जो हम वॉल्वो बसों में किराया लेते हैं वह बाकी प्रदेशों के मुकाबले कम लेते हैं। क्यों कम ले पा रहे हैं क्योंकि हमने सीधे वॉल्वो कम्पनी से बसें ली है और जो बसें ली है, वह थ्रू

/1620/10.12.2014केएस/एजी2/

ए.एस.आर.टी.यू. नैगोसिएशन करके ली है तो बसें सस्ती पड़ती है। हमें अपनी जो ऑर्डिनरी बस है वह तकरीबन 32-33 लाख रु0 में पड़ रही है और तकरीबन 38-39 रुपये में वॉल्वो बस हमें मिल रही है तो यह बड़ा अन्तर है। अगर आप यह चाहें कि सभी चीजें एच.आर.टी.सी. चलाएं तो महेन्द्र सिंह जी आप तो खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं, यह सम्भव नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी जोरदार बात यहां पर कही गई कि बस खरीद में बहुत बड़ा घपला हो गया। 37 सीटर बस की जो नैगोसिएशन हुई वह 19 लाख 48 हजार की हुई और बस आई, जो हमने पैसे दिए वह 18 लाख 76 हजार रु0 दिए । माननीय महेन्द्र सिंह जी आप अपना आंकड़ा ठीक कर लें। । 47 सीटर बस है और नैगोशिएटिड प्राईज़ 19 लाख 88 हजार है। हमें जो प्राईज़ मिली वह 19 लाख 15 हजार मिली । अब यह प्राईज़ क्यों कम हुआ, हमने नहीं किया। जब दिल्ली में--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.12./1625/10.12.2014 ag/av1/

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री (परिवहन मंत्री)-ः क्रमागत

हमने नहीं किया, जब दिल्ली में नई सरकार बनी तो उन्होंने बसों के ऊपर चार प्रतिशत ऐक्साइज कम की। चार प्रतिशत कम करने से जो अंतर आया यह उस अंतर पर ली गई। (---व्यवधान---) डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अब अपना जवाब दे रहा हूं। (---व्यवधान---) धर्माणी जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। (---व्यवधान---) अभी यह बात कही गई कि ऐक्सिडैंट्स की ऐक्स-गरेशिया पेमैंट है This is very sensitive matter. I assure the House यदि कहीं पर कोई कमी रह गई हो तो within next thirty days, I have directed the department already, they will clear all the dues. It will be standing instruction. There will be no shortage. I am saying. (---व्यवधान---) मैं कह रहा हूं कि अगले 30 दिन के अंदर (---व्यवधान---) Don't worry. कौंडल साहब अब चले गये हैं। उन्होंने आई चैकअप की बात कही ; अच्छी बात है। जो अच्छे सुझाव आयेंगे उनको हम बीच में लगायेंगे। हमने आर.टी.ओज. को कहा है, हमारे तोमर

साहब अब बाहर चले गये हैं। हमने सभी आर.टी.ओज. को कहा है और सिर्फ सिरमौर में ही नहीं सतौन में भी कहा है। बाकी जगह भी कहा है कि आप ड्राइवर्ज के लिए ऐसे कैम्प लगायें। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने टाइम टेबल के ऊपर डाटा बेस स्टार्ट किया है। आपने जो टाइम टेबल की बात की , उसको किया है ताकि हम भविष्य में बसिज का टाइम टेबल फिक्स करने के लिए डाटा बैंक की पूरी मदद ले सकें। इसके ऊपर पूरा काम चला हुआ है। अब हर काम को ठीक करने में तो समय लगेगा। बातें तो बहुत जल्दी बन जाती है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त गाड़ियों की फिटनैस की बात की गई। हमने एच.आर.टी.सी. वर्क शॉप को ऑथोराइज किया है ताकि विजुअल इनस्पैक्शन की बजाय इक्विपमैंट बेस पर इनस्पैक्शन हो तथा गाड़ियां अच्छी तरह से पास हो। पहली बार ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज की वर्कशॉप की गई। उनको पूरी हिदायतें दी गई हैं।

10.12./1625/10.12.2014 ag/av2/

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी परिवहन मंत्री रहा हूं और माननीय महेन्द्र सिंह जी भी रहे हैं। मगर हम ये सारे ऐक्शन्ज पहली बार अपने-आप से ले रहे हैं। आपने जो यह कहा कि रिपोर्ट आती है तो क्या है ? यह उसी के फीडबैक में है कि हमने ये सारे ऐक्शन्ज लिए हैं। इसमें जहां और सुधार करने की आवश्यकता होगी, जो सुझाव हमारे बाकी साथी या नेता विपक्ष देंगे तो हम उनको पूरी तरह से मानेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : आपने सरकाघाट का क्यों बंद किया?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री :अभी मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं आपको उसका जवाब देता हूं कि किसने बंद किया। (---व्यवधान---) अभी उसको आने तो दो। टैक्सी, ट्रक ड्राइवर्ज के बारे में राजेश धर्माणी जी का बहुत अच्छा सुझाव है कि welfare of motor transport workers in unorganised sector, हमारी जो परिवहन नीति बनी है उसमें इसको ऑलरेडी डाल दिया है। This is part of the new Transport Policy. We understand. आज सुबह भी यहां आने से पहले ड्राइवर युनियन ने एक फंक्शन रखा था। मैं उसमें भी उनको इस बात की जानकारी दे रहा था कि एक पूरा कॉर्पस तैयार कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 209 ड्राइविंग स्कूल्ज हैं।

आप यहां पर बार-बार जो रूट्स और टाइमिंग की बात करते हैं, मैं इस हाउस को भी यह बताना चाहता हूं कि (---व्यवधान---) आप ,अपनेआप, मुझे बताने की जरुरत नहीं है। आप अपनेआप विभाग में या मेरे कार्यालय में आकर बैठ जाना। आप अपनेआप चैक कर लेना कि मैंने कितने रूट दिए और आपने कितने रूट दिए। अगर दस प्रतिशत भी निकल आयेंगे तो आप मेरे से बात करना।

श्री महेन्द्र सिंह : आपने चले हुए रूट तो बंद कर दिए।

10.12./1625/10.12.2014 ag/av3/

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अभी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं प्राइवेट सैक्टर की बात कर रहा हूं। अभी एच.आर.टी.सी. की बात तो आई ही नहीं है। प्राइवेट बस रूट की बात हो रही है कि आपने कितने दिए।------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

/1630/10.12.2014नेगी/ए.जी./1

माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री... जारी...

प्राईवेट बस रूट की बात हो रही है कि कितने रूट आपने दिए। मैं नहीं देता रूट। मुझे तो रोज़ मुख्य मंत्री जी बुला-बुला कर रूट खोलने के लिए कह रहे हैं। मैं रूट खोल दूंगा। .... (व्यवधान) ...पॉलिसी मिनिस्टर बनाता है । 60:40 की पॉलिसी मैंने बनाई। 60:40 की पॉलिसी किसने बनाई? Who made 60:40 policy ?He is G.S. Bali. ताकि रूरल इलाकों में बसें जा सकें। उसके बाद क्या हुआ , अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। वरन् ऐसे महौल ठीक नही होगा और फिर बताने का क्या फायदा ।.... (व्यवधान) ...माननीय महेन्द्र जी , मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं । आपने ब्लैक स्पॉट्स की बात की । हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पुलिस ने 544 ब्लैक स्पॉट्स आईडेन्टीफाई किए जिसमें से 286 बलैक स्पॉट्स इम्प्रूव किए गए। जैसे कि माननीय प्रोफैसर साहब ने कहा। विदेश में जो हाईवेज़ हैं ,जो स्टेट हाईवेज़ हैं, वे अन-इन्ट्रप्टिड होते हैं । वहां न एनिमल जा सकते हैं और न ही कोई क्रौस कर सकता है। यहां पर ऐसी सुविधा नही है । हमने गवर्नमैन्ट ऑफ इण्डिया को लिखा था कि चार हजार से ऊपर हाईट वाले क्षेत्रों में सड़कों में क्रैश बैरियर लगाए

जाएं। मगर हमारे पास सीमित साधन हैं। फैसला आप लोगों ने करना है कि पैसे कहां इस्तेमाल हो और किसको दिए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मेम्बर साहिबान यह चाहेंगे, ट्रांसपोर्ट नगर, आपने ट्रांसपोर्ट स्कूल की बात की है । आपने यह बात अपने भाषण में नही कहा, मगर अभी-अभी आपने यह बात कही। हमने किसी का स्कूल बन्द नहीं किया है । यह आप ही चलाते हो और आप ही अपने आप बन्द कर देते हो। मैंने तो कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किए। सबसे बड़ा आज के दिन जो नुकसान हो रहा है , वह जो नौजवान ड्रग्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ड्रग्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है, उससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके कारण एक्सीडेन्ट हो रहे हैं क्योंकि जब एक्सीडेन्ट होता है तो उसका पता नही चलता । जहां तक आपने मोबाईल फोन की बात की , यह एक सोशल प्रॉब्लम है । हम हर बस में पासिंग के समय लिख रहे हैं कि मोबाईल रखना जुर्म है। आप मोबाईल नहीं रख सकते हैं। जैसे प्रोफैसर साहब ने कहा कि कानून है लेकिन कानून का उल्लंघन हो रहा है । जो कुल्लू में एक्सीडेन्ट हुआ था..... (व्यवधान) ...कर रहे हैं न। आपने भी करना था। एक्सीडेन्ट के कई कारण होते हैं। इसमें आपने एक बात और कही कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो गया । मैं चण्डीगढ़ से दिल्ली जा रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेन्ट- महेन्द्र सिंह जी- कीर्तपुर के इधर हुआ है। मैं ऊना में प्रैस कॉन्फैंस करके जा रहा

/1630/10.12.2014नेगी/ए.जी./2

था। मैं आगे बैठा था, दो गवाह भी थे । आर.एम., एच.आर.टी.सी. के पीछे बैठे हुए थे। मेरा पी.एस.ओ. पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा बचाओ-बचाओ, सर बचाओ। उसने कहा कि मेरी पेन हो रही है, एक हाथ मैंने उसकी छाती पर रखा और एक हाथ से मैंने स्टेयरिंग पकड़ा था। उसको एपिलैप्सी का अटैक हुआ। पी.जी.आई. में जा करके आपने उसका सर्टिफिकेट देख आना। जिस दिन आपके साथ ऐसा गुज़रेगा, भगवान न करें ऐसा कहीं हो। स्वैयर एपिलैप्सी अटैक में क्या होता है , वह आपको तब पता लगेगा। इसके बारे में, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो आप कहना चाहें You are free to say. You have your own wisdom. आप उस ड्राईवर को थोड़े दिन रख लो। उसकी तनख्वाह मैं दूंगा। उस ड्राईवर को रख लो। Keep him. मैं देता हूं उसकी पूरी सेलरी। वही ड्राईवर जो मेरे पास था । .... (व्यवधान) ...एक बात, मैंने सरकारी गाड़ी छोड़ी हुई है। अपनी गाड़ी लेता हूं और उसमें अपना ड्राईवर रखता हूं। ....(व्यवधान) ...दूसरी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर से गई और उधर

खेतों में खड़ी हो गई और वह भी हमारे कारण। मैंने आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

/1635/2014-12-10**यूके/एजी**1/

माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अगर आप कहोगे तो मैं दूसरी गाड़ी के पैसे भी जमा करवा दूंगा मैं इस लायक हूं।

श्री महेन्द्र सिंह :आप तो अरबपति हैं।

माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : हां, तो अपने आप हुए हैं, आप भी हो जाओ। हम तो चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें, भगवान करे बहुत ज्यादा तरक्की करें।

अभी धूमल साहब ने दो-तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि रोड की कंडिशन की और ऐनीमल की मैने बता दी है, जब तक इसकी बैरिकेटिंग नहीं होगी आप ऐनीमल को रोक नहीं सकते हैं। यहां पर जंगली ऐनीमल भी गाड़ी के आगे कूद जाते हैं। यह बिल्कुल ठीक कहा कि कई कुत्तों के कारण भी ऐक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़े हैं That is called accidents. हॉर्न की भी जरुरत है। जो कौंडल जी ने ऐक्सीडेंट की बात कर रहे थे , मैं भी वहां गया था, माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये हैं, धर्माणी जी ने मुझे सुबह-सुबह फोन किया था तो मैं इमिडियटली गया He was crying. और उनके पीछे कई लोग यानि सैंकड़ो लोग थे जो रो रहे थे, मैने पूछा क्या बात हो गयी। इमिडियटली मैं ने मुख्य मंत्री जी को फोन किया, हैलीकॉप्टर भेजा। अधिकारी लोग भेजे। मुख्य मंत्री जी ने इमिडियटली किया तो जो पॉस्सिबल होता है वह करते हैं। पॉल्यूशन सैंटर की बात कही गयी। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम इसके ऊपर पूरा चैक करेंगे। मैं आपको और हाऊस को एन्श्योर करना चाहता हूं और अधिकारी यहां कृपा करके नोट कर लें कि पॉल्यूशन सैंटर के ऊपर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और इसको पूरा चैक करें। एक स्पेशल ड्राईव इसके ऊपर चलाई जाए और एक स्पेशल ड्राईव पुलिस के साथ मिल कर के मोबाईल के ऊपर भी चलाएं।

तीसरी बात जो आपने कही कि कई ड्राईवरों को गाड़ी चलानी नहीं आती। एक बार मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। एक बार हम शिमला में जा रहे थे। तो मेरे पी0एस0ओ की गाड़ी की गोड़ी पीछे की जहां पर PWD गैस्ट हाऊस के पास तो वहां मेरे पी0एस0ओ0 ने उसने गाड़ी पीछे की । तो ड्राईवर की इस तरह समस्या आती है।

/1635/2014-12-10**यूके/एजी2**/

हमने एस0डी0एम0 को पॉवरे डेलीगेट की हुई हैं। कई बार मैने विभाग को कहा कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो आपने कहा कि परमानेंट तो उसके ऊपर काम चला हुआ है। हम इसमें इलैक्ट्रॉनिक पार्ट को ला रहे हैं और काम चला हुआ है।

माननीय धूमल जी आपने डिपर की बात कही। यह बहुत जरूरी है और यह बेसिकली पुलिस का काम है मगर आपको अपने महकमे को भी आदेश किया जाए कि वहां पर वे डिपर का आप चैक कर ले कि डिपर को। आज डिम लाईट चलाने की जरूरत है। अगर यह हाऊस इस बात से सहमत है कि रैश ड्राईविंग और डिपर न चला कर के डिम लाईट पर गाड़ी चलती है,पूरी दुनिया में डिम लाईट पर गाड़ियां चलती हैं। फुल लाईट पर पूरी दुनिया में कोई गाड़ियां नहीं चलती। सिर्फ हमारे यहां फुल लाईट पर चलती हैं। तो डिम लाईट पर गाड़िया चलनी चाहिएं। अगर हाऊस सहमत है ,इस चीज़ की सहमति देते हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी, तो जो पेनल्टी आज की तारीख में है उसको हम बढ़ा कर 5-6 गुणा कर सकते हैं और इसमें लाईसैंस बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए , अगर कोई दो बार, या तीन बार या कोई हैब्चुअल है, तो उसकी कोई मदद नहीं होनी चाहिए और उसका लाईसैंस रद्द होना चाहिए। जैसे धर्माणी जी ने कहा कि हमें कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। सिफारिश करके हम अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और अपने परिवार और अपने मित्र को बरबाद करते हैं। जो सुझाव आए हैं, और मैं अलग से भी आपके सुझाव ले लूंगा। उनके ऊपर हम काम करेंगे। टाईम टेबल की बात मैने पहले कह दी कि इसका डाटा बेस तैयार कर रहे हैं। मैं हाऊस को बताना चाहता हूं कि हमने 3 नये इन्टर सैप्टर लगे थे। पहले जब मैं 2003 में परिवहन मंत्री था तब हम दिल्ली से इन्टर सैप्टर लाए थे ,इस बार फिर हमने 3 नये इन्टर सैप्टर दिये हैं। और हमने कहा कि

सारे आर0टी0ओ0 को इन्टर सैप्टर प्रोवाइड कर दें। आने वाले समय में हम इस तरफ भी कदम उठा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट नगर, इसको किसी ने टच नहीं किया। मगर ट्रांसपोर्ट नगर जो है, माननीय धूमल साहब ने कर्नल इन्द्र जी ने तथा श्री धर्माणी जी ने कहा कि रोड साईड पर जो पार्किंग करते हैं उसके कारण बड़े ऐक्सीडैंट्स होते हैं और रात को जब सामने से लाईट पड़ती है तो पार्क की हुई गाड़ी नजर नहीं आती और वह उसमें घुस जाती है। एक बात और जो लोक निर्माण

/1635/2014-12-10यूके/एजी3/

विभाग के काम चले होते हैं उनको वार्निंग का बोर्ड वहीं पर न लगा कर काफी दूर पहले वार्निंग लगानी चाहिए।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी -----

10.12.2014/1640/SLS-JT-1

माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री....जारी

जब स्पीड में गाड़ी आती है तो जब तक उसे रोकते हैं तब तक ऐक्सिडैंट हो जाता है। इसको रोड सेफ्टी में देखने की आवश्यकता है। हमारा ज्यादा स्ट्रैस रोड सेफ्टी पर है। रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है।

मैं ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर रहा हूं। एक कांगड़ा में, एक शिमला में, एक बद्दी-बरोटीवाला और एक मण्डी में ; यह चार स्थान हमने चिन्हित किए हैं। हम पूरी तरह से चाहेंगे कि यह ट्रांसपोर्ट नगर बनें ताकि रिपेयर वहां हो, पार्किंग भी वहां हो। हमने अपनी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में वे-साईड एमिनिटीज की भी बात की है ताकि रात को जो ड्राईवर चलते हैं, रात को चलते-चलते नींद आती है , वह वे-साईड में गाड़ी खड़ी कर सके, वहां डीजल डाल ले, पंचर लगवा सकें ,वहां उसे नहाने या पानी आदि की सुविधा मिले। इन सारी बातों पर हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को लिखकर भेजा हुआ है कि यह मेन हाईवे के ऊपर हों। ऐसी जगहें आप सब जानते हैं। टोपोग्राफी के कारण हमारे यहां जगह की समस्या रहती है। लेकिन इसी में हमें जगह का प्रबंध करके सारी चीजें करनी हैं और मुझे इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए।

अभी कंवर साहब ने वॉटर ट्रांसपोर्ट की बात की थी। इसमें हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमने जो इन-प्रिंसिपल प्रोपोजल गडकरी जी को दी थी , वह मान गए हैं। उन्होंने 4 तारीख को अधिकारियों को बुलाया था लेकिन क्योंकि विधान सभा लगी थी, इसलिए हमने उनको कहा कि आप बाद की कोई डेट दे दें। अब 22 तारीख को उन्होंने बुलाया है और इस पर बड़ा काम हो रहा है। पौंग डैम में, गोविन्द सागर में और चम्बा में हमने तीन एरियाज चिन्हित किए हैं। इसमें 13-14 रूट्स हैं। और कोई रूट होगा तो मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। यह कुछ बिलासपुर के हैं और दूसरे क्षेत्रों के हैं। (व्यवधान) पण्डोह में अभी किया नहीं है लेकिन आप उसकी मांग भिजवा दें, वहां भी करेंगे। लेकिन हमने अभी भारत सरकार को तीन स्थानों का ही नाम दिया है। अगले फेज में हमने पण्डोह का भी रखा है। (व्यवधान) चमेरा इसमें ले लिया है।

10.12.2014/1640/SLS-JT-2

अभी बस लाईफ की बात की। प्रोफैसर साहब ने भी इस बारे में कहा। महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि बसों की 10 साल लाईफ क्यों कर दी। मुझे लोग मिले थे कि हम 10 साल की
बस कैसे बेचेंगे। मैंने विभाग को कहा कि प्रारंभ में 11 कर लो। लेकिन हमने एच. आर. टी. सी. की 10 की है कि 10 साल के बाद एच . आर . टी . सी . में कोई बस नहीं चलेगी। प्राईवेट की भी 11 साल के ऊपर कोई नहीं चलेगी। यह सारी बातें देख कर की गई हैं। यहां पर किसी को क्रिटिसाईज करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सुझाव होंगे, इस प्रदेश की जनता को सुविधा देने के लिए अगर आप और भी सुझाव देंगे, I am open to all the suggestions and we are going to take certain action in this direction. यहां जो क्रैश बैरियर की बात आई है और जो इंश्यारैंस की बात की गई है, उसका भी देखेंगे। विभाग द्वारा ई-गवर्नैंस भी शुरू किया गया है। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की श्रेणी में कांगड़ा, हमीरपुर, नाहन और नालागढ़ में कुल चार ड्राइविंग स्कूल स्कूल खोलने के लिए निर्णय लिया है। (व्यवधान) महेन्द्र सिंह जी, आप चिंता न करो, आपका अलग है। आपको यह सूचना कौन देता है ? (व्यवधान)

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी और निजी बसों में चालकों को यात्री वाहन प्रचलन हेतु badges दिए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा

सके कि किसी भी समय अनाधिकृत चालक बस नहीं चला रहा है और यात्री परिवहन यान को बैड्ज होल्डर अर्थात वैध ड्राइवर ही चला रहा है। यह सारी चीजें हमने इसमें ली हैं। अभी नवम्बर माह में..

जारी ..गर्ग जी

10/12/2014/1645/RG/JT/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री-----क्रमागत

तो ये सारी चीजें अभी नवम्बर माह में हमने ली हैं। अभी नवम्बर माह में विभाग में सभी ड्राइविंग स्कूलों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्कूलों द्वारा कुशल व निपुण चालक समाज को उपलब्ध करवाना है। इस कार्यशाला में यह भी निर्णय लिया गया है कि स्कूलों द्वारा दी जाने वाली दो महीने की ट्रेनिंग में अब तक एक महीने केवल credit management पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपातकालीन स्थिति में चालक की भूमिका अहम् हो सके। जो घुमारवीं में दुर्घटना हुई और जो इन्होंने हैमर वाली बात कही। वह बड़ा जरूरी है कि कोई अगर दुर्घटना होती है ,तो ये सारे शीशे बन्द हो जाते हैं। इसके ऊपर भी विभाग विचार करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण चर्चा थी। जो इन्होंने सुझाव दिए हैं जो इसमें लेने वाले होंगे ,उनको हम लेंगे। मगर इस पर लगभग साढ़े तीन घण्टे की यह बहस थी ,तो 15-20 मिनट तो इसका उत्तर देने में लगने ही थे। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य सन्तुष्ट हो गए होंगे, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

समाप्त

10/12/2014/1645/RG/JT/2

अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी के उत्तर के पश्चात मेरा विचार है कि आप सभी सदस्य सन्तुष्ट हो गए होंगे। अब अगला प्रस्ताव शुरू होगा। इस प्रस्ताव का माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दे दिया है। समय बहुत हो गया है। अभी एक और प्रस्ताव नियम-130 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह जी का है। अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम-130 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल पथ परिवहन निगम की भर्ती प्रक्रिया की नीति पर सदन विचार करे।'

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल पथ परिवहन निगम की भर्ती प्रक्रिया की नीति पर सदन विचार करे।' अभी सदन का समय समाप्त होने में निर्धारित समय से 13 मिनट बाकी हैं ,लेकिन जैसा सदन फैसला करेगा ,समय बढ़ा दिया जाएगा। अब श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा करें।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने पिछले कल नियम-67 के अन्तर्गत आपसे चर्चा करने के लिए समय मांगा था और आपने कल अपने निर्णय को सुरक्षित रखा था और यह कहा था कि मैं इस पर विचार करुंगा, विभाग और निगम से सुझाव मांगूंगा और उसके बाद निर्णय होगा। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल पथ परिवहन निगम का गठन वर्ष 1970 एवं 1980 के दशक के बीच हुआ। उससे पहले एच.जी.टी. हुआ करती थी, मण्डी-कुल्लू ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। इन दोनों का विलय करने के उपरांत हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट बनाई गई। उस समय थोड़ी सी गाड़िया हिमाचल पथ परिवहन निगम के पास हुआ करती थीं और बहुत कम लंबाई की सड़कें इस प्रदेश में हुआ करती थीं। जैसे-जैसे प्रदेश में सड़कों का विस्तार होता गया ,सड़कों के विकास के साथ-साथ गाड़ियों का फ्लीट भी बढ़ता गया-----------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

10/12/2014/1650/MS/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी--------

गाड़ियों का फ्लीट भी घटता चला गया और जो गाड़ियां HRTC के पास है ,उनके ड्राइवर, कन्डक्टर, मैकेनिकल स्टाफ और ऑफिसर स्टाफ, इन सभी की भर्ती शुरू से ही HRTC अपने तौर पर करती रही है। आज HRTC के अन्दर साढ़े आठ हजार अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत्त हैं। HRTC का कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर और विशेषकर मैकेनिकल स्टाफ इस प्रदेश की वह सेवा करता है, जो सेवा इस प्रदेश के बाकी विभाग के लोग नहीं कर पा रहे हैं। HRTC के अन्दर ड्राइवर और कंडक्टर जिस दिन भर्ती होता है, उस दिन से लेकर जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है उस वक्त तक उसका घर, रहना और खाना-पीना सारा कुछ इसी बस के अन्दर है। न मालूम अगली रात उसको किस स्टेशन पर काटनी पड़ेगी, किस स्टेशन पर कैसा खाना उसको हासिल होगा ,यह उसे पता नहीं होता। मैं प्रशंसा करता हूं HRTC के

ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिकल स्टाफ की और पूरे HRTC के अधिकारियों / कर्मचारियों की कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर बड़ी दुर्गम परिस्थितियां हैं और इसके बावजूद भी एक अच्छी सर्विस HRTC ने आज तक दी है। आगे भी HRTC को जितना मजबूत किया जाएगा ,इसका जितना विस्तार किया जाएगा, मैं समझता हूं कि वह इस प्रदेश के हित में रहेगा और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके बहुत हित में रहेगा।

अध्यक्ष जी, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया है कि आज तक HRTC में जितनी भर्तियां की गईं, चाहे वे ड्राइवर्ज, कंडक्टर्ज की हैं, वे सारी-की-सारी भर्तियां HRTC के माध्यम से हुई हैं। आज तक कोई ऐसी भर्ती ड्राइवर या कंडक्टर की किसी दूसरे विभाग को करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। यह पहली बार है कि HRTC को दो विंगों में बांट दिया गया। एक HRTC और एक BSMDA है। जो बस स्टैंड मैंनेजमैंट डवलपमैंट ऑथोरिटी है, उसको अलग कर दिया गया है और जो भी बसें आती हैं वे सारी -की-सारी उन बस स्टैंड्स में खड़ी होकर फिर अपना अगला प्रस्थान वहां से करती हैं। अध्यक्ष जी, जो भर्ती इस बार HRTC में करने जा रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है इसलिए मैं अपने इस प्रस्ताव को थोड़ा शॉर्ट करता हूं। जो भर्ती इस बार HRTC में की गई हैं , जब से मंत्री जी के पास यह विभाग और कारपोरेशन आया है इस विभाग में आने से पहले भी इनके पास यह विभाग वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के बीच में रहा है। फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया था। उस दौरान भी

10/12/2014/1650/MS/AG/2

कंडक्टर्ज की भर्तियां हुई थीं। उस वक्त जो टी0एम0पी0ए0 की भर्ती हुई थी उस भर्ती में भी अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से एक लांछन लगा था कि एक क्षेत्र विशेष से ही 247 लोगों को वहां रखा गया था। अध्यक्ष जी, इस बार की भर्ती में जो प्रक्रिया पेपर सैट करने की है ,पहले कहा कि भर्ती प्रक्रिया का काम तकनीकी शिक्षा बोर्ड देखेगा क्योंकि तकनीकी शिक्षा विभाग भी माननीय मंत्री जी के पास है। हमने कहा कि अच्छी बात है टैक्निकल विंग इस भर्ती को करेगा। मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं और मुख्य मत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब किसी विभाग की वैकेन्सीज, किसी कैटेगरी की वैकेन्सीज जब सुबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड को भेज दी जाती है या पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी जाती है तो क्या वह विभाग या वह बोर्ड और कारपोरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन को या

सुबोर्डिनेट सर्विसिज सलैक्शन बोर्ड को पीछे से पत्र लिखता है कि आप भर्ती करेंगे लेकिन पेपर सैट हम ही करके आपको देंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

10.12.2014/165/5जेके/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः-----जारी----

लेकिन पेपर सैट करके हम ही आपको देंगे। आप चैक नहीं करेंगे। यह मैं पहली बार देख रहा हूं। टैक्निकल एजुकेशन डिपार्टमैंट भर्ती करेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी के ध्यान में क्या आया कि कनैक्टर और टी0एम0पी0ए0 की भर्ती दो साल से हो रही है। आपने पीछे भी एक बार मुझे याद है वर्ष 2013-14 में आपने इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इग्जिामिनेशन हुआ या नहीं हुआ उसका मुझे याद नहीं है। आपका उसका ज़वाब देंगे कि वह इग्जिामिनेशन हुआ या नहीं हुआ। आपने यह भर्ती प्रक्रिया एच0आर0टी0सी0 के माध्यम से नहीं की बल्कि उस प्रकिया को आपने केंसिल कर दिया। अब आपने इस भर्ती प्रक्रिया को टेक्निकल एजुकेशन को दिया। पता नहीं किसने आपको टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से भर्ती करने को कह दिया। पता नहीं आपके मन में क्या है? इसका पता तो आपको ही होगा हमें तो पता नहीं है। फिर आपने बी0ओ0डी0 की 127वीं बैठक कर दी। जो आपने बी0ओ0डी0 की 127वीं बैठक की उसमें आपने निर्णय लिया कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमैंट पेपर सैट नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी को ऐसा निर्णय लेने की क्या आवश्यकता पड़ी ? आपने उसमें कहा कि पेपर सैट के लिए एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी में आपका एक पत्र टेक्निकल एजुकेशन का गया हुआ था। वह जो आपका पत्र गया हुआ है और मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि इस पत्र में उस 127वीं बैठक का हवाला दिया गया है लेकिन नीचे पेपर सैट करने के लिए आपने उसमें लिखा है कि : "Therefore, the Committee recommends to send the following panel to Himachal Pradesh Technical Shiksha Board for setting up the question paper for TMPA". यह कमेटी कौन सी है। अगर बोर्ड ने फैसला लिया तो इस बोर्ड के आगे कमेटी कौन हो गई ? आप बोर्ड के फैसले की प्रतिलिपि आगे भेजते कि यह बोर्ड का फैसला है मेरा फैसला नहीं है। यह कौन सी कमेटी है ? आज पूरा प्रदेश और 35 हजार अभ्यार्थी जिन्होंने इस इग्जिामिनेशन में भाग लिया है वे आपसे जानना चाहते हैं। पूरा हाऊस और प्रदेश की पूरी जनता जानना चाहती है कि यह नई तकनीक आपने कहां से सीख करके लाई थी ? जो बोर्ड का फैसला था उसके बाद आपने कमेटी कैसे गठित कर दी ? यह कमेटी आपने गठित की या बोर्ड

ने गठित की। यह तो आप अपने ज़वाब में बताएंगे। उस कमेटी ने क्या किया और मैं विशेष करके मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि इसमें एच0आर0टी0सी0 के जो दो सी0जी0एम0 रिटायर्ड हैं और एक सी0जी0एम0 को तो

10.12.2014/165/5जेके/एजी/2

रिटायर हुए 15 साल हो चुके हैं। शायद 15 से भी ज्यादा ही साल हो गए होंगे। वह सी0जी0एम0 मण्डी से हैं। उसका चलना-फिरना मुश्किल हो गया है। रिटायर्ड सी0जी0एम0 आपने ले लिये, फिर तीसरा सी0जी0एम0 आपने क्यों छोड़ दिया उसको भी ले लेना चाहिए था ? मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो कमेटी बनी इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है ? आपने इसके मेम्बर के नाम तो दे दिए। 6 मेम्बर की छः दिशाएं हैं । इस बी0ओ0डी0 कमेटी के बाद वह कौन सी कमेटी वह छः मेम्बर्ज की बन गई। ये छः मेम्ब्र्ज कौन है? इनका अध्यक्ष कौन है, कौन इनको मॉनिटर करेगा और कौन इनको देखेगा? मुझे इस बात की हैरानी है कि ऐसा आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं। अब आप हैरान होंगे कि इस लैटर में क्या है ? इस लैटर में यह है कि इसमें अंकों का वितरण किया गया है। जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न होंगे, मैथेमेटिक्स के 5 होंगे, हिन्दी के 5 होंगे, ट्रेफिक सिंग्नल के प्रश्न डाले गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जो कंडक्टर है उसको ट्रेफिक साईन से क्या लेना है? ट्रेफिक साईन का काम तो ड्राईवर का है जिसने बस को चलाना है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

10.12.2014/1700/SS-AG/1
श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

जिसने बस को चलाना है। कंडक्टर तो अंदर टिकटें काटेगा। टिकटें काटना, जमा, गुणा और भाग का काम कंडक्टर का है। आपने जमा, गुणा , भाग के जो मार्कस ज्या दा होने चाहिए थे वे 5 मार्कस कर दिए। यह बात हमारी समझ में नहीं आती। फिर तो ऐसा है कि उस कंडक्टर को फ्रंट सीट पर बिठाएं और फ्रंट सीट पर बैठकर वह ड्राईवर को बताता रहे कि यह साइन/सिग्नल किस चीज़ का है।--(व्यवधान)—

अध्यक्षः अब इस सदन का समय आज का पूरा हो चुका है इसमें एक्सटैंशन होनी है। जैसा सदन चाहेगा इसको बढ़ा देंगे। कितना समय बढ़ाना चाहिए ? अभी दो मेम्बर की लिस्ट आई है बोलने की। मैं चाहूंगा कि वे संक्षेप में बोलें। अगर सभी न बोलें तो अच्छा रहेगा। अभी दो मेम्बर की लिस्ट मेरे पास है अगर 10-10 मिनट भी बोलेंगे तो समय काफी लगेगा। अब इस माननीय सदन की बैठक 6:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। महेन्द्र सिंह जी, आप बोलिये।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में ला रहा था। अब मंत्री जी के ध्यान में लाने की तो आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस पर निर्णय लें। आपने मैथेमैटिक्स में 5 नम्बर कर दिए। ट्रैफिक साइन्ज़ एंड रूल्ज़ में 20 कर दिए। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई रिटन टैस्ट हो और उसकी समय-सीमा दो घंटे रखी जाए। आपने इस रिटन टैस्ट की समय-सीमा दो घंटे रखी है। प्रश्न आपके 80 हैं अगर एक मिनट में एक प्रश्न भी करना है तो कम-से-कम 80 मिनट पेपर के लिए रखते। आपने 60 मिनट कर दिए। कंडक्टर कौन होता है ? वे मैट्रिकुलेट होते हैं। हर जगह तीन घंटे का समय रिटन टैस्ट के लिए दिया जाता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि तीन घंटे का समय सबोर्डिनेट सर्विस सिलैक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन तथा हर जगह दिया जाता है। स्कूलों में भी तीन घंटे का समय दिया जाता है तो इस समय-सीमा को उन्होंने कम कर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि यह जो पेपर सैट करने की बात है। मेरे पास एक पेपर भी आया है। यह जो पेपर सैट करने की बात है माननीय मुख्य मंत्री जी, मेरी सूचना है कि एक इनका कोई मित्र लैक्चरार है। उस लैक्चरार को बुलाया गया और उसे बुलाकर कहा गया कि भाई ये पेपर सैट करना है। उसने वह पेपर सैट कर दिया और पेपर सैट करने के बाद जो छः सदस्यीय कमेटी बनाई गई उसे सारा पेपर सौंप दिया

10.12.2014/1700/SS-AG/2

गया। माननीय मुख्य मंत्री जी आप हैरान होंगे कि यह पेपर सीट है, इस पेपर में सीरियल नं0-26 पर लिखा है "who compose Raghupati Raghav Raja Ram" 26नम्बर पर महात्मा गांधी, तुलसीदास, सूरदास, कबीर। माननीय मुख्य मंत्री जी आप हैरान होंगे कि इस पेपर का जो प्रश्न नम्बर-42 है उसमें भी यही लिखा हुआ है

"who compose Raghupati Raghav Raja Ram" महात्मा गांधी, तुलसीदास, सूरदास, कबीर। यह कैसा पेपर है ? कहीं यह पेपर अंधेरे में तो नहीं बनाया गया ? यह क्या किया गया है ? हमें हैरानी इस बात की है। हमारे समय में भी ड्राईवर्ज़ की भर्ती हुई है लेकिन ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि एक पेपर जिसमें 80 प्रश्न हों , उसमें 26 नम्बर और 42 नम्बर पर एक ही प्रश्न हो। यह तो पहली बार है। इससे तो भगवान् ही बचाए। यह कैसा टैस्ट है? ऐसे ही टैस्ट लेते रहे तो इस प्रदेश का भला हो जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं। बाली जी को जब से पता चला है कि इस पर कोई चर्चा होने वाली है तो उस चर्चा में फिर इन्होंने क्या किया..

जारी श्रीमती के0एस0

/1705/10.12.2014केएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

तो उस चर्चा में फिर इन्होंने क्या किया कि इनके ऑफिस का एक बाबू है, उसका मोबाईल नम्बर है, 94180-01619, मेरी आपसे विशेष प्रार्थना रहेगी मुख्य मंत्री जी, कि इस मोबाईल नम्बर की पिछले 15 दिन की कॉल डिटेल निकलवाएं, माननीय धूमल साहब को उसने फोन किया कि आप नाम दे दो जो आपने कंडक्टर रखने हैं। मुझे भी ऐसा ही फोन आया कि मैं माननीय मंत्री जी के ऑफिस से बोल रहा हूं, मैंने कहा कि क्या बात है तो उसने कहा कि आप कंडक्टर की भर्ती के लिए कुछ नाम दे दो, उसको टी.एम.पी.ए. बहुत कम लोग बोलते हैं, उसने कहा कि आप दो-तीन नाम दे दो। मैंने कहा कि ठीक है एक नाम मैं दे देता हूं बाकी मैं आपको कल-परसों दे दूंगा। अगर इस प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से भर्तियां होनी है तो हम इस प्रदेश के अन्दर क्या पारदर्शिता दे सकते हैं ? मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड के ऊपर हम विश्वास करते हैं, पब्लिक सर्विस कमिशन के ऊपर विश्वास करते हैं, हम विभागीय भर्तियों पर विश्वास करते हैं लेकिन यह पहली बार देख रहे हैं । हमने भी अपने समय में टी.एम.पी.ए. की भर्तियां की थी। मुख्य मंत्री जी, यह टैस्ट क्यों लिया गया? इससे तो बेहतर है कि हर विधायक को कह दिया जाता कि 10-10 नाम दे दो। सभी ने 10-10 नाम दे देने थे आपने भर्तियां कर देनी थी। आपने 30 लाख रुपये टैक्निकल ऐजुकेशन को इस ऐग्ज़ाम को करवाने के लिए दे दिया, वह भी बच सकता था। इस प्रदेश के 35 हजार जिन नौजवानों ने वह परीक्षा दी, उन गरीब नौजवानों का

किराया बच जाता। वे तो पहले ही बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं। आज हमारे सामने बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। इसमें फैसला माननीय मुख्य मंत्री जी ने करना है। मंत्री जी, आपने तो वैसे हम सभी को मीठी-मीठी गोलियां दी थी लेकिन हमारे लोग इसमें आने वाले नहीं है । हम क्रप्शन से कोई समझौता नहीं करेंगें। मुख्य मंत्री जी मेरी सूचना के अनुसार एक क्षेत्र विशेष के 357 लोगों की जो मैरिट है जिनको मीठी गोली दी गई है, जिनको नम्बर ही 90 और 95 प्रतिशत पहले ही करवा दिए गए हैं, पेपर लीक हो चुका है वहां आप क्या सम्भावना कर सकते हैं ? क्या आप उसको डिबार कर देंगें जिनके रीटन टैस्ट में 70-75 नम्बर है। जो 20 नम्बर आपने इंटरव्यू के रखे हैं, आप वन/थर्ड से कम उनको नहीं दे सकते। आप 20में से 3 0नम्बर किसी

/1705/10.12.2014केएस/एजी/2

को नहीं दे सकते। 75नम्बर में अगर आप 6 या 7 भी जोड़ेंगें तो 75 +7= 82होते हैं। आप 50 नम्बर वाले को यदि 20 नम्बर भी दे देंगें तब भी 70 नम्बर ही होते हैं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो यह हो रहा है , मेरी सूचना के अनुसार जो हमारे एच.आर.टी.सी. के ऑफिसर्ज़ हैं, उन्होंने जो पब्लिक सर्विस कमिशन के लोग हैं और जो सबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड के लोग हैं उनसे पता किया कि यह जो रोस्टर है उस रोस्टर को भी डिफर कर दिया गया। जो रिज़र्व कैटेगरी में आ रहे थे उनको-

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.12.2014/1710/ag/av/1

श्री महेन्द्र सिंह --------क्रमागत

जो रिज़र्व केटेगरी में आ रहे थे उनको रिज़र्व केटेगरी से हटाकर सामान्य वर्ग में डाल दिया। उनको सामान्य वर्ग में डालने से यह हुआ कि 800 बच्चे अपना साक्षात्कार देने से डीबार हो गए। फिर हम इसको कैसे मानें कि यह जो टी.एम.पी.ए. की भर्ती हो रही है यह बिल्कुल पारदर्शी है। यह सारी-की-सारी भर्ती सवालों के घेरे में है। मेरी अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन से यह प्रार्थना रहेगी कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। दूसरे, मैंने आपको जो मोबाइल नम्बर दिया हुआ है उसकी कॉल डिटेल डाउन लोड करें। इस नम्बर से किस-किस एम.एल.एज. को टेलिफोन हुए। इससे किस-किस दूसरे व्यक्तियों को टेलिफोन हुए हैं। इससे जिन-जिन व्यक्तियों को टेलिफोन गए हैं उनसे यह कहा गया है कि आप नाम दे दो। मैंने जैसे ही इस मामले

को नियम 67 के अंतर्गत लाया तो बहुत तेज प्रैशर शुरु हो गया और कहा गया कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रश्न प्रतिष्ठा का नहीं है , प्रश्न इस प्रदेश की इज्जत का है। प्रश्न इस प्रदेश की पारदर्शिता का है। प्रश्न करप्शन का है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, इस प्रदेश में पारदर्शिता रहनी चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें।

मैं सुधीर शर्मा जी को भी बधाई देना चाहता हूं। मेरे पास जब अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्ट्री थी तो उस वक्त कमल नाथ जी केंद्र में अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर थे। मैं उनसे मिला, मैं जब उनसे मिला तो मैंने कहा कि आपने हमें पीछे मात्र 75 बसें दी हुई हैं। आप हमारी बसें बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि जब जे.एन.एन.यू.आर.एम. का सैकिण्ड फेज़ आयेगा तो मैं हिमाचल प्रदेश की पूरी मदद करुंगा। इन 800 बसों की प्रपोजल धूमल साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भेजी थी। जब यहां हमारी सरकार बदल गई और आपकी सरकार बन गई तो सुधीर शर्मा जी इस विभाग के मंत्री बनें। मैं उस वक्त भी कमल नाथ जी को मिलने दिल्ली गया। जिस दिन मैं कमल नाथ जी को मिलने गया उस दिन उन्होंने कहा कि आपके अर्बन डिवैल्पमैंट

10.12.2014/1710/ag/av/2

मिनिस्टर कोई सुधीर शर्मा भी मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा कि हां, है। उन्होंने कहा कि बसों का क्या करना ? हमने कहा कि महाराज, आपने बसों को जरूर देना क्योंकि हिमाचल प्रदेश को बसों की बहुत जरुरत है। पीछे जो यहां पर बसें आईं वे अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्ट्री ने दी और यहां पर एक सोसायटी बनी कि इन बसों का संचालन नो लॉस, नो प्रोफिट बेस पर किया जाए। यह दूसरी बात थी कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट था। अगर मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट न होता तो शहरी विकास मन्त्रालय ने उसका शिमला में संचालन करना था। मैं सुधीर शर्मा जी को बधाई देता हूं कि आपकी बसें आनी शुरु हुई है। केंद्र में सरकार बदली है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। मैं वहां वैंकेट नायडू जी से मिला। मैंने उनसे कहा कि हमारी ऐसी-ऐसी बसों की बात है। उन्होंने बताया कि मैंने आपको बसों के लिए 90.93 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर दी है। मैं उसके लिए नायडू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में भी हमारी मदद की है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है।

उन्होंने इस सोच से पैसा दिया कि पूरा देश हमारा है। उसके लिए जहां मैं वैंकेट नायडू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं वहीं आपको भी बधाई देना चाहता हूं।

अभी फूड एण्ड सिविल सप्लाई पर भी चर्चा आने वाली है। वह भी आपके ध्यानार्थ लाई जायेगी। यहां जो अच्छा हो रहा है उसको हम अच्छा बोलेंगे। मगर गलत को गलत न बोलना वह इस प्रदेश और समाज के साथ बेइन्साफी होगी। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम गलत को गलत जरूर बोलेंगे और ठीक को भी ठीक अवश्य कहेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

अध्यक्षः श्री बी.जे.द्वारा नेगी

/1715/10.12.2014नेगी/ए.जी./1

अध्यक्षः अभी फिलहाल दो नाम आया है। क्या आप बोलना चाहेंगे या इस चर्चा का उत्तर सुनना चाहेंगे? काफी हो गया है। श्री महेन्द्र सिंह जी ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है । जैसे आप चाहेंगे। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी आप बोलना चाहेंगे? श्री सत्तपाल सिंह सत्ती। Please be brief.

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने एच.आर.टी.सी. विभाग में रिक्रूटमैन्ट के बारे में जो विषय रखा है और उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अनेकों विषय इस माननीय सदन में समय-समय पर चर्चा के लिए आते रहे हैं। रिक्रूटमैन्ट का विषय, प्रदेश के लाखों नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ विषय है । किसी भी विभाग में कोई भी नौकरी निकलती है तो नौजवानों को एक उम्मीद जगती है कि जो व्यक्ति इस प्रदेश में काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो पिछले काफी समय से रिक्रूटमैन्ट के विषय में सुधार होना शुरू हुआ है, उससे पहले कई बार गड़बड़ होती रही है। अनेकों बार विषय उठे, बड़े लोगों के ऊपर भी उठे और जो वर्तमान में मुख्य मंत्री जी हैं उनके ऊपर भी विषय उठा, चाहे वो बैकडोर एन्टरी वाला विषय था । इस तरह से अनेंकों विषय आए। पी.टी.ए. का विषय भी इस प्रदेश में उठा कि पी.टी.ए. में लोग लगे। चिटफंड वाला जो विषय था उसमें भी काफी बहस इस प्रदेश में हुई। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, जो नौकरियों का विषय है, इसके बारे में हम सब लोगों को पारदर्शिता से काम करने की जरूरत है। कोई भी विभाग हो, इस प्रदेश का जो भी व्यक्ति उसके लायक है ,जो कैपेबल है ,उस व्यक्ति को नौकरी मिल जाना चाहिए।

मगर कई बार यह ध्यान में आया और हम कई बार दांयें- बांयें की बातें करते हैं, अपने-अपने लोगों को, या पार्टी लेवल पर या क्षेत्र लेवल पर भर्ती करने की कोशिश करते हैं। ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने काफी विस्तार से यह विषय रखा है इसमें इन्होंने अनेकों ऐसी बातें ध्यान में लायी है, अगर वो सच है तो उसको देख करके लगता है कि प्रदेश में 21वीं सदी आने के बावजूद भी कोई इन्टेलिजैंट व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसको नौकरी लग जाएगी जब तक कि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न हो। प्रदेश में सर्बोडिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है और उसके माध्यम से रिक्रूटमैन्ट होनी चाहिए । कई बार हम साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल पोस्टें नहीं निकलते हैं और बाद में जब नौकरियां लगाने का विषय आता है तो हम कोई ऐसा

/1715/10.12.2014नेगी/ए.जी./2

विषय बीच में से बैकडोर एन्टरी का निकाल देते हैं जिसके कारण कोर्ट केस भी होते हैं, स्टे भी होती है, एप्वॉइंटमैन्ट लेट होती है और पोस्टें खाली रहती हैं । जिस कारण डिपार्टमैन्ट्स सफर करते हैं । प्रदेश की जनता में कंफ्युजन होता है । हम 68 लोग यहां पर जनता की आर्शीवाद से चुन करके आए हैं और हमारे ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अल्टीमेटली, ये सब कुछ क्या हो रहा है ? अभी तो यह एच.आर.टी.सी. का विषय आया है। हमने इससे पहले भी बहुत बार बोला है कि प्रदेश में हजारों /लाखों लोग ग्रेजुएशन, बीएड, एम.ए., एम.एस.सी. या एमफिल करके बैठे हुए हैं। विषय तो एच.आर.टी.सी. का है ।आजकल एस.एम.सी. के माध्यम से भी एप्वॉइंटमैन्ट्स हो रही है। दो साल हमने सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से पोस्टें नही निकाली है और अब हम लोकल लेवल पर ही पोस्टिंग कर रहे हैं। इसमें हम सबसे बड़ा जनता का नुकसान कर रहे हैं। यह चाहे इससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है । मैं वैसे ही पासिंग रैफरेंस में आदरणीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं , क्योंकि आप और चाहे प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री रहे , लोगों को उम्मीद रहती है कि जो गलती हो उसको आप लोग जो ऊपर बैठे हैं , सुधारेंगे। कई बार गलती हो जाती है, मंत्री या कोई अन्य लोग हैं उनसे। लेकिन मेरी समझ में आजतक भी यह नहीं आया कि जिस विभाग में नौकरी निकलती है , उसी विभाग के मंत्री की कंस्टीट्युएंसी में इन्टेलिजैंट लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? आप पुरानी लिस्टें निकालो। हमने पी.टी.ए. के टाईम भी कहा था। हमारी कंस्टीट्युएंसी में 34 पोस्टें पी.टी.ए. की निकली। बहुत से चुनाव क्षेत्रों में पांच-पांच सौ लोग भरे गए।

जबकि सबसे ज्यादा एम.एम.सी., एमफिल , पी.एचडी. हमारी कंस्टीट्युएंसी में हैं। इसका मतलब मैं यह नहीं कहता कि हमारी कंस्टीट्युएंसी में ज्यादा इंटेलिजैंट लोग हैं और बाकी जगह पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। हमारे एरिया में पढ़ाई के इंस्टीट्युशन्ज़ बहुत हैं इसलिए लोग पढ़ गए। लेकिन हमने स्टेट कैडर को विलेज़ कैडर बना करके रख दिया। जिस गांव में टी.जी.टी. की नौकरी होगी, उसी गांव के लड़के को एक्स्ट्रा नम्बर मिलेगा। टी.जी.टी. और लेक्चरर कैडर को विलेज़ कैडर कैसे बना करके रख दिया? प्रिफरेंस उसी गांव के व्यक्ति को मिलेगी, जिसके गांव में नौकरी हो।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1720/2014-12-10यूके/जेटी/1

श्री सत्तपाल सत्ती--जारी----

मान लो मैने एम0फिल0 या पी0एच0डी0 की है, मेरे गांव में प्लस टू नहीं है । मैं एक पास्सिंग रेफ्रेंस में दे रहा हूं, यह इससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है । मुख्य मंत्री जी हम किस लैवल पर गदर डालते हैं, यह कई बार लोगों के ध्यान में आता है । मान लो मेरे गांव में प्लस टू स्कूल नहीं है, तो आपके PTA पॉलिसी पर जो भरतियों होंगी उसमें मैं तो जिंदगी भर नहीं लगूंगा । क्योंकि आप उसी गांव के व्यक्ति को प्रेफैंस होगी । साथ में जो कोई व्यक्ति इंटिरियर में पढ़ा है, जैसे सिरमौर, किन्नौर या दूर से आ कर के पढ़ा है उसके गांव में अगर कॉलेज नहीं है तो वह पी0एच0डी0 करने के बाद भी कॉलेज का लैक्चरर नहीं बन सकता क्योंकि कॉलेज तो हैड क्वार्टर में है तो हैड क्वार्टर वाले के नम्बर ज्यादा मिलेंगे उसको प्रेफ्रेंस है । यदि इस तरह की बातें हम लोगे करेंगे तो लोगों का शिक्षा पर से विश्वास उठ जायेगा । तो इस तरह से PTA के साथ-साथ एक विषय हट कर भी चला हुआ है जैसे एस0एम0सी0 का ,आशा वर्कर का है ,हम कई बार ऐसी ऐप्पायंटमैंट भी कर देते हैं जो आगे चल कर हमारे गले पड़ जाती है । जिस तरह से आजकल हम सब के गले में 3500 0 आंगनवाड़ी वर्कर पड़े हुए हैं । कितने बच्चे वहां पड़ते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता । यह हम सब जानते हैं कि वहां पर कितने बच्चे हैं, उन पर कितने खाने का सामान लगता है, और कितनी उनको तनख्वाह देने की जरूरत है । लेकिन इसी तरह से आजकल एस0एम0सी0 की ही तरह से एच0आर0टी0सी0 का विषय निकला । हम सब लोग पारदर्शिता से भी एप्पायंमैंट्स कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जब हर व्यक्ति को लगेगा कि ईमानदारी के साथ ऐप्पायंमैंट्स हुई है तो मुझे लगता है कि विषय नहीं उठता है । बहुत समय पहले उस समय शायद हम राजनीति में भी नहीं थे जब पुलिस में भरतियों का बहुत बड़ा विषय आया था । बहुत बवंडर मचा, उस समय हम

यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन प्रो0 धूमल जी के टाईम में 4 बटालियन खड़ी हुईं हिमाचल प्रदेश में एक महिलाओं की तीन जैंन्टस की। 4000 पुलिस के लोग भरती हुए। ग्राऊंड की लिस्ट शाम को लग जाती थी कि आज आपके ग्राऊंड में कितने नम्बर हैं, कोई भी देख सकता था। एस0पी0 ऑफिस के बाहर भी और इन्टरनेट के ऊपर भी। उसके बाद उसके ग्राऊंड के साथ-साथ उसके रिटन में कितने नम्बर आए वह भी इंटरनैट के ऊपर और एस0पी0 ऑफिस के बाहर लगे होते थे। उसके बाद उसके इन्टरव्यू में कितने आए उसको मिला कर के एप्वायंमैंट होगी। 4000 पुलिस की भरतियों में न आपने कभी विरोध किया न किसी और व्यक्ति ने विरोध

/1720/2014-12-10यूके/जेटी/2

किया । न हमारी पार्टी में कन्फ्यूजन हुआ न ओपोजिशन, जो आप लोग ओपोजिशन में थे, उनको ही लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। अगर किसी को लगा होता तो कोई जरूर बोलता। जब यहां पारदर्शिता हो सकती है जिसमें ग्राऊंड टैस्ट होता है, रिटन टैस्ट होता है, पर्सनल इन्टरव्यू होता है तो बाकी सारी चीज़ों पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है ? मुझे लगता है कि उससे एक अच्छा सिस्टम खड़ा होगा। एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति आगे जायेगा। योग्य व्यक्ति आगे बढ़ेगा । जिस व्यक्ति में हिम्मत होगी वह टैस्ट पास करेगा और जिस व्यक्ति में हिम्मत होगी वह पर्सनल इन्टरव्यू को फेस करेगा। तो अगर इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में ऐप्वायंटमैंट्स के मामले में होगा तो हमारे प्रदेश को भी लोग जो बाकी प्रदेशों में जो सुधार हो रहा है, आज लोग कहते हैं कि बिहार और पंजाब में सुधार हो रहा है। कई जगह सुधार हुआ है और नैश्नल लैवल पर सुधार हो रहा है। हम दोबारा पीछे को जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश में नहीं होता था, मैं खाली एच0आर0टी0सी0 का ही रैफ्रेंस नहीं देना चाहता। आप पुराने रिकॉर्ड को निकाल कर देखें तो उसमें कई बार ध्यान में आता है कि मान लो 10-12 लोग कैबिनेट में चले गये उन्हीं की सुनी जायेगी तो प्रदेश की जनता तो फिर देखती रह जायेगी। और हम जो सारे एम0एल0ए0 जिनके कारण आप कैबिनेट में हैं, तो हम काहे को आए हुए हैं ? अपनी मर्जी से थोड़े सब कुछ कर सकते हैं। 68लाख लोगों ने हम 68 लोगों को यहां जिता कर भेजा है। छोटा-मोटा पर्सनल इन्टरव्यू में हल्का फुल्का, व्यक्ति की पर्सनल अटैचमैंट ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन रिटन में भी यदि हेराफेरी होगी तो इतने लोग रिटन टैस्ट देने के लिए भी किसलिए आए हैं ? अगर हम सब लोग इस तरह से करते रहेंगे तो अध्यक्ष जी, मैं

आपके माध्यम से अपने मुख्य मंत्री जी और पक्ष के लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस तरह की धांधलियां हम लोग करेंगे तो अल्टीमेटली धांधली करने वाला व्यक्ति भी नहीं बचेगा। कोई व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, जनता किसी को माफ नहीं करती। आज इतनी बेरोजगारी प्रदेश में है, आज इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग कंडक्टर लगने को तैयार हैं, आज बी0ए0, बी0एस0सी0 और एम0एस0सी0 पढ़े लोग पियन लगने को तैयार हैं। उनके फार्म आप देखेंगे कि पुलिस के जितने लोग लगे हैं उनमें 70 या 75 परसेंट प्लस टू वाले लोग थे या वे नॉन मैडिकल, मैडिकल या कॉमर्स के लोग थे। वे लोग ही टैस्ट क्लियर कर पाए थे क्योंकि इतना टफ टैस्ट था उसको प्लस टू का उम्मीदवार क्लियर नहीं कर पाया। तो लोगों को लगा कि इसमें

/1720/2014-12-10यूके/जेटी/3

पारदर्शिता हुई है , हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उम्मीदवार टैस्ट में निकल गया उसके बाद इन्टरव्यू में भी वह निकल गया।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी -----

10.12.2014/1725/SLS-JT-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती....जारी

ग्राऊंड में वह अपने दम से निकला। ग्राऊंड में लोगों की वीडियो फिल्म बनी। हमें भी बोलने को हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। सिफ़ारिश तो आपके पास भी आती है और हमारे पास भी आती है। हमने कहा कि आपने वीडियो फिल्म तो बनती हुई देखी होगी। कहते हैं कि वह तो बन रही थी। हमने उन्हें बताया कि फिर आपको कैसे बाजू पकड़ कर आगे कर दें। जैसे आपके सामने हुआ वैसा ही रिजल्ट है। उनको भी लगा कि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता है। फिर शाम को एस . पी. आफिस के बाहर सब जगह लिस्ट लग गई। किसी ने कोई ऑब्जैक्शन नहीं किया कि उसमें क्या हुआ। अन्यथा पुलिस के चार व्यक्ति भर्ती होने हों तो लोगों को लगता है कि एक ही एरिया से हो जाएंगे या एक ही व्यक्ति के हो जाएंगे। ऐसे ही यह कंडक्टर और ड्राईवर की भर्ती का मामला यहां आया है। और भी विभागों में पोस्टें निकल रही हैं। पीछे कैबिनेट में भी आपने कुछ पोस्टें मंजूर की हैं। अगर इस तरह का सारा घपला इन बातों में होता रहेगा तो इसमें एक डिपार्टमैंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ओवर ऑल सरकार की भी पारदर्शिता होनी चाहिए। आज आप पक्ष में हैं, कल को हमारी सरकार आएगी तो हम पक्ष में होंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम-से-

कम नियुक्तियों के मामले में तो बहुत बड़ी इंटरफियरैंस हम लोग न करें ,फिर हम सबकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचेगी और सरकारों के ऊपर भी लोगों को विश्वास रहेगा। आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने यह जो बहुत सी बातें, फिगर एंड फैक्ट्स आपके सामने लाए हैं ,इस पर हम लोग जांच करें और इसमें जो कार्रवाई होनी है वह कार्रवाई भी करें। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपके ध्यान में यही लाना चाहता था। आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह : मीनिस्टर कन्संर्ड ने ही तो यह सारा गड़बड़ घोटाला किया हुआ है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे तो हम उससे सैटिस्फाई हो जाएंगे।

अध्यक्ष : उत्तर तो विभाग की ही ओर से होता है। माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी आदत से मज़बूर हैं। समय बलवान् है और फैक्ट्स को कोई छुपा नहीं सकता। इन्होंने नंबर की बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलिफोन तो डीनर के लिए भी

10.12.2014/1725/SLS-JT-2

करते हैं ,लंच के लिए भी करते हैं और पॉलिसी देने के लिए भी करते हैं। (व्यवधान) सुन लीजिए। अगर टेलिफोन नहीं करेंगे और सुनेंगे तो आप कहेंगे कि मंत्रियों के दिमाग खराब हो गए हैं ,इनके स्टॉफ वाले टेलिफोन नहीं सुनते। आप इन बातों को छोड़ दो। अभी इसी बात पर चर्चा होगी। (व्यवधान) कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। अगर यह मेरा नंबर होगा तो मैं त्यागपत्र दूंगा। (व्यवधान) आप कृपा करके इंतजार तो करो। (व्यवधान) आगे-आगे देखिए होता है क्या।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर से पहले कहना चाहूंगा कि कृपा करके वॉक आऊट मत करना। हमने नई बसें खरीदी हैं जो बाहर खड़ी हैं, उन्हें देखकर ज़रूर जाना। उनमें कोई सुधार करना है तो वह भी बता देना। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम, आम जनता को परिवहन सुविधा दूर-दराज क्षेत्रों से लेकर अन्तर्राज्जीय मार्गों पर उपलब्ध करवा रहा है। जिसके अंतर्गत 2018 बसों का संचालन कर रहा है। लेकिन निगम में साल 2014-15 में बड़े स्तर पर परिचालकों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए एवं आम जनमानस को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 04.06.2014 को सर्विस कमेटी द्वारा 799 परिचालकों के पद भरने हेतु

मासिक मानदेय मुव 4000 -/प्लस ½ प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात यह मामला निगम निदेशक मंडल की 126वीं बैठक जो दिनांक 27.06.2014 को हुई, में रखा गया जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. उपरोक्त पदों का पदनाम परिवहन बहुउदेश्यीय सहायक रखा गया तथा भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक बनाए गए।

जारी ..गर्ग जी

10/12/2014/1730/RG/JT/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री-----क्रमागत

परिवहन बहुउद्देश्यीय सहायक को मासिक मानदेय मु. 4000/-प्लस ½ प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।

यह भर्ती तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दिनांक 18.07.2014 को समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन हेतु समाचार प्रकाशित किया। आवेदन प्रपत्र निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मु. -/100 प्रति आवेदन प्रपत्र बेचे गए। हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा तकनीकी शिक्षा बोर्ड के मध्य इन पदों की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तें तय की गईं :-

1. आवेदन प्रपत्र हिमाचल प्रदेश तकनीकी बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे, लेकिन लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निगम द्वारा दिया जाएगा।

श्री महेन्द्र सिहं : नहीं ऐसा नहीं होता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : आपके कहने से ऐसा नहीं होता है। Will you decide? Please listen. आप बोल चुके हैं अब मुझे बोलने दें। आपने दिनांक 26/7 को ऑब्जैक्शन करना था।

श्री महेन्द्र सिंह : ऐसा रूल्ज में नहीं है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : दिखाओ, आप मुझे अभी दिखा दीजिए।-----(व्यवधान)----अब आप मेरी बात सुन लें। सभी आवेदकों को प्रवेश-पत्र तकनीकी शिक्षा बोर्ड वैबसाइट से डॉऊनलोड करने होंगे तथा प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाऐंगे।

2. लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र एवं पर्यवेक्षक इत्यादि तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।
3. तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों का श्रेणीवार परिणाम निकाला जाएगा तथा साक्षात्कार परिवहन निगम द्वारा लिए जाएंगे। ये सारी चीजें लिखित में हैं।
4. अन्तिम परिणाम तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा लिखित एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर श्रेणीवार निकाला जाएगा और उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की श्रेणवार सूची आगामी नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी।

10/12/2014/1730/RG/JT/2

तत्पश्चात हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 18.07.2014 को अंग्रेजी एवं हिन्दी के समाचार-पत्रों में कुल 680 परिवहन बहुउद्देश्यीय सहायक के पदों को भरने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा लिखित परीक्षा की तिथि 31.08.2014 निर्धारित की गई थी। लेकिन तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्रों को देरी से वैबसाइट पर लिंक करने के कारण जोकि निर्धारित समयावधि दिनांक 21.08.2014 के बजाय 24.08.2014 को वैबसाईट पर लिंक की गई थी तथा उस समय खराब मौसम के चलते दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट में बाधा आने के कारण व आवेदकों को लिखित परीक्षा हेतु कोई असुविधा न हो, को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित लिखित परीक्षा की तिथि में संशोधन करना पड़ा व नई तिथि 21.09.2014 निर्धारित की गई थी। इसी मध्य दिनांक 23.08.2014 को श्री जुगल किशोर ने माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका नं 2014/6185 . दायर की गई तथा इस भर्ती प्रक्रिया को परिवहन बहुउद्देश्यीय सहायक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम न होने के कारण रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। लेकिन निदेशक मण्डल द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 31.08.2014 को भर्ती एवं पदोन्नति नियम, भर्ती प्रक्रिया व लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। दिनांक 03.09.2014 को इन नियमों, भर्ती प्रक्रिया व लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट को खारिज कर दिया गया। कमेटी द्वारा नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बनाया गया पाठ्यक्रम निम्नलिखित है :-

सामान्य ज्ञान 50 :अंक, गणित : 05 अंक, हिन्दी : 05 अंक, यातायात संकेत व नियम : 20 अंक, साक्षात्कार : 15 अंक एवं शैक्षणिक योग्यता के 05 अंक थे।

उपरोक्त वर्णित भर्ती एवं पदोन्नति नियम, भर्ती प्रक्रिया व पाठ्यक्रम को निदेशक मण्डल की 127वीं बैठक में दिनांक 11.09,2014 को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी दी माननीय उच्च न्यायालय ने -----(व्यवधान)--------आप बैठ जाइए---------------------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

10/12/2014/1735/MS/JT/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता मामले मंत्री जारी-----

श्री महेन्द्र सिंहः आपके समय में घपला हुआ है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता मामले मंत्री : (व्यवधान) उसका भी जवचाब दे रहे हैं। क्योंकि संशोधित पाठयक्रम में व्यावहारिक पहलू सम्मिलित किए गए थे। इसलिए गोपनीय पत्र के माध्यम से लिखित परीक्षा पत्र सैट करने हेतु 6 विशेषज्ञों का पैनल मार्गदर्शन हेतु भेजा गया था ताकि लिखित परीक्षा समयानुसार करवाई जा सके।

इस लिखित परीक्षा को पारदर्शी एवं नकल रहित करवाने हेतु हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निम्नलिखित पक्रिया अपनाई गई थीः-

-1लिखित परीक्षा को करवाने हेतु एस0डी0एम0 को नोडल अधिकारी बनाया गया था (Don't mislead the House and the media.) तथा एक सब डिविजन में दो उड़न दस्ते नियुक्त किए गए थे।

-2प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर दो पुलिस जवान भी तैनात किए गेए थे ताकि परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनी रहे।

- 3प्रश्न पत्र तकनीकी शिक्षा बोर्ड से दिनांक 16-10-2014 को मण्डलीय प्रबंधकों द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त उसी दिन संबंधित SDM को कोषागार में जमा करवाने हेतु सौंपे गए व दिनांक 20-10-2014 को सुबह 8.30 बजे SDM द्वारा कोषागार से निकालकर परीक्षा केन्द्रों में उपलब्ध करवाए गए थे। (व्यवधान)आप तो SDM दफ्तर को भी शक के घरे में ला रहे हैं।

अध्यक्षः कृपया इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान) भारद्वाज जी, मंत्री जी को अपना उत्तर देने दीजिए।

Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: Please sit down

10/12/2014/1735/MS/JT/2

- 4सभी परीक्षा केन्द्रों से दोपहर 2.00 बजे उत्तर पुस्तिकाएं सीलड पैकेट के रूप में एकत्रित करने उपरान्त उसी दिन तकनीकी शिक्षा बोर्ड को सौंपे गए थे।
...(interruption)...
Have patience. I listened to you for three-and-a-half hour.
अध्यक्षः अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो बाद में बोल लें।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता मामले मंत्रीः सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा, प्रेषित पत्र संख्या 12344 दिनांक 14-11-2014 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया था कि सभी श्रेणियों मं लिखित परीक्षा का परिणाम 1:5 के अनुपात में निकाला जाए।

हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा साक्षात्कार की तिथि दिनांक 4-12-2014 से तय की गई थी लेकिन पत्र संख्या दिनांक 3-12 2014-द्वारा सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सीलड लिफाफे के माध्यम से उपरोक्त साक्षात्कार हेतु चयन हुए उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा के अंक मण्डलीय प्रबंधकों को बिना अनुरोध के सीधे तौर पर भेजे गए तथा इसकी एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित की गई लेकिन उसी दिन मुख्य कार्यालय द्वारा इन सीलड लिफाफे को वापिस करने के निर्देश जारी होने के उपरान्त उसी सीलड अवस्था में ये लिफाफे मण्डलीय प्रबंधकों द्वारा, (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं, अभी मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ।
श्री महेन्द्र सिंहः आपके समय में घपला हुआ है।
अध्यक्षः आप इनको पहले जवाब देने दो। He is replying. उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन मांग लेना।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता मामले मंत्रीः जवाब तो सुन लो। जवाब सुनने की क्षमता रखिए। (व्यवधान) एज केबिनेट मिनिस्टर मैं जवाब दे रहा हूं। I am a Cabinet Minister of the concerned Department.
श्री सुरेश भारद्वाजः पेपर तो शिक्षा बोर्ड लेता है।

10/12/2014/1735/MS/JT/3

श्री महेन्द्र सिंहः परीक्षा पत्र पहले ही लीक हो चुका था। हमने यह आप पर इल्जाम लगाया है। जो एलीगेशन्ज हमने लगाए हैं जब प्रश्न पत्र ही लीक हो गया तो कैसे मान लें। मंत्री जी खुद इसमें गुनहगार है इसलिए इस पर मुख्य मंत्री जवाब दें।

Speaker: Let the Hon. Minister speak. आप लोगों ने बोल दिया है। ये जवाब दे रहे हैं। आप क्लैरिफिकेशन बाद में पूछ लेना। (व्यवधान) यह बहुत गलत बात है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता मामले मंत्रीः आप पहले मेरा जवाब तो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके समय की बात उठाऊं? आप हिमाचल की जनता को धोखे में नहीं रख सकते। आप लोग उठकर कहां जा रहे हैं? सुन लो। जो 99 लोग आपने रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इसकी भी और उसकी भी सी0बी0आई0 से इन्क्वायरी करवाएं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिगर्मन किया)

अध्यक्ष महोदय, 99 लोगों को रखने के बाद ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सुनकर जाइए। यह गलत बात है. This is very bad. Have patience to have a reply. Have a reply. आप हिमाचल की जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। आपने ये 99 लोग कैसे रखे? आपने इंटरव्यु नहीं लिए, आपने कोई टैस्ट नहीं लिया। मैं आपको एक्सपोज करूंगा। आप तो भगोड़े हो।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

10.12.2014/1/740जेके/एजी/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः-----जारी--------

आप भगोड़े हैं। You are a "bhagora" and a corrupt man. You are a "bhagora". Sit down here and take the reply. Please take the reply. Sit down. Have the reply.

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी मैं आपसे एक बात साफ करना चाहता हूं कि under this Rule when the Hon'ble Minister replies तो किसी को भी बीच में डिस्कशन करने का हक नहीं है, लेकिन उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। आप अपना पूरा ज़वाब दीजिए। ज़वाब देने के बाद यदि कोई पूछना चाहे तो वह पूछ सकता है। माननीय मंत्री जी आप अपना ज़वाब पूरा कीजिए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ कि माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में पारदर्शिता रखते हुए

इन्टरव्यु रखे गए। इसे डिपार्टमैंट ने माना। डिपार्टमैंट के लोग अपने आप तय करते थे, डिपार्टमैंट के जी0एम0 पेपर तय करते थे और डिपार्टमैंट पेपर लेता था। डिपार्टमैंट के आदमी अंक देते थे। डिपार्टमैंट के आदमी इन्टरव्यु लेते थे और डिपार्टमैंट के आदमी सलैक्शन करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको चेंज करके हमने कहा कि पारदर्शिता हो। हिमाचल के पूरे इलाके से, पूरे हिमाचल प्रदेश से लगभग 35 हजार बच्चों ने पेपर दिए। उसमें हजारों बच्चे पास हुए। उन्होंने यहां पर आंकड़ें गलत दिए और यहां से उठ कर चले गए। मेरी विधान सभा क्षेत्र का 287 का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है , यदि यह सत्य हुआ तो मैं इस हाऊस से रिजाईन करूंगा नहीं तो ये यहां से रिजाईन करके जाएं। ये विधान सभा को मिस लीड न करें और न ही पत्रकार बन्धुओं को मिस लीड करें। ये पूरे सदन को मिस लीड करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके टाईम में क्या असूल थे और क्या रूल थे उनको मैं पढ़ता हूं। इन्होंने 3 93बस सहायक रखे। After the approval of the BOD and the State Government, the process to recruit 394 Bus Sahayaks was initiated by advertisement of these vacancies on 19.09.2010. The services of H.P. State Electronic Development Corporation was hired for what, "for scrutiny" कि आप एप्लिकेशन्ज की स्क्रूटनी करो और एप्लिकेशन्ज को डाटा केवल में चढ़ा दो। इन्होंने सिर्फ यह किया और उसके बाद नम्बर अपने आप लगाए। अपने तरीके से लोगों को पास किया।

10.12.2014/1/740जेके/एजी/2

माननीय अध्यक्ष महोदय, examination centres along with staff were identified and appointed by HRTC only. एच0आर0टी0सी0 ने भी डिफैंड किया था। Divisional Manager and Regional Manager were appointed as Nodal Officer for conducting the exam. अध्यक्ष महोदय, four set of question papers were set by the HRTC only but the person who set the paper is not on record. माननीय अध्यक्ष जी, हमने सिर्फ पैनल भेजा और उसमें विजिलैंस, पुलिस के भी लोग थे। ये उनको पूछ सकते थे और टेक्निकल बोर्ड में मेरा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमने पैनल भेजा। मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है ? जो इसमें टेक्निकल मैटर्ज थे। हमने रिजाईन लोगों का भी पैनल दिया। रिटायर्ड के ऊपर मेरा क्या कब्जा है, पुलिस के ऊपर मेरा क्या कब्जा है ? ये टेक्निकल बोर्ड का मामला था

वे जिस मर्ज़ी को चुनते। माननीय अध्यक्ष महोदय, two Interview Committees were constituted by the BJP Government. Two GMs (his choice GMs) जिसका वे नाम ले रहे थे , and DM and RM and other two members of the Committee to conduct the interview at divisional level. डिविज़नल लैवल पर इन्टरव्यु करवाए। दो पीयन लगाए और अपनी लिस्ट निकाली और चले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह काम यहीं पर नहीं रुक गया यह आगे भी चलता रहा। He engaged Bus Sahayaks in 2009 i.e. 99 numbers without interview/test, only on commission basis and made them conductors in 2011 क्योंकि श्री सोहन लाल जी और बाकी सदस्य इसके बारे में कहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गलत काम करता है उसको सारे ही गलत नज़र आते हैं। ये अपने आप गलत काम करते रहे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

10.12.2014/1745/SS-AG/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागतः
माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने टेलीफोन की बात बार-बार की। कल मेरा डिनर है। डिनर के लिए मेरे स्टाफ में से किसी ने फोन किया होगा। इन लोगों ने मुझ से कहा कि हमें ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी चाहिए। मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि इनको ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी दे दो। ये जहां-जहां पर रूके हैं वहां इन सब को भेज कर आया। अब ये लोग कहते हैं कि किसी का नम्बर ले लो और झूठ बोलने में नम्बर-1, न मेरे स्टाफ में किसी ने नम्बर मांगे और न हमारा मतलब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता इस सरकार से ऊपर कोई नहीं जान सकती। इनके समय में तारकोल घोटाले में मंत्री जी कैसे फंसे। मंडी का अड्डा जीती-जागती मिसाल है।
अध्यक्षः आप अपने विषय पर रैस्ट्रिक्ट करिये।
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister: Speaker, Sir, I am coming to this because his allegation was serious and I have to reply to the allegation. माननीय अध्य क्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि इस प्रक्रिया में कहीं भी कोई पक्षपात न हुआ है , न होने का चांस है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड एक इंडीपैंडेंट बॉडी है जिसने ये एग्जाम लिये हैं और एग्जाम बहुत बढ़िया हुए हैं पहली बार पारदर्शिता को मद्देनज़र रखते हुए। कार्यक्षेत्र जोकि मेरा अपना था, अगर मैंने अपने आप ही रखने होते तो मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे किसी

ने नहीं कहा। मैं फिर अपने डिपार्टमेंट से करवाता और अपने हिसाब से लगा लेता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चले गए हैं। मैंने जो रिपोर्ट थी वह आपके समक्ष पेश कर दी। **इस इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर किसी को ऑब्जैक्शन है तो कोई सोलिड प्रूफ के साथ मुझे बताए कि यहां पर त्रुटि हुई है। अगले तीन-चार दिन में सोलिड प्रूफ दे दे तो मैं इसके ऊपर सोचूंगा अदरवाइज़ जो एग्जाम है, 38 हजार जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके पेट के ऊपर कोई लात नहीं लगा सकता, इस बात को मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।** अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

10.12.2014/1745/SS-AG/2

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176 215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 10 दिसम्बर, 2014 **सचिव।**